डाक पंजीयन क्र. MP/Bhopal/186/2021/2023
लाइसेंस क्र. WPP/Tech/23-04/08/2021-2023
आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या 38506/84

रोज़गार और निर्माण

टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

प्रति सोमवार को प्रकाशित, भोपाल 20.03.2023 से 26.03.2023 ▶ वर्ष-40 ▶ अंक-12 ▶ मूल्य ₹ 10.00

पिछड़े जिलों की प्रगति के लिए राशि की कमी नहीं आने दी जाएगी - मुख्यमंत्री

श्योपुर बदल रहा है, यहां विकास की गंगा बह रही है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विकास और जन-कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित हैं। श्योपुर में शासकीय योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये। हमारी सरकार गरीब कल्याण और विकास को समर्पित है। रंगपंचमी पर श्योपुर की धरती पर विकास का रंग बरस रहा है। चीतों के आगमन, राष्ट्रीय राजमार्ग, ब्रॉडगेज रेल के बाद श्योपुर में मेडिकल कॉलेज की सौगात विकास का नया इतिहास रच रही है। श्योपुर जैसे पिछड़े जिलों की प्रगति के लिए राशि की कभी कमी नहीं आने दी जाएगी। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्योपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहीं।

श्योपुर, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्योपुर में 768 करोड़ रुपये के मेडिकल कॉलेज भवन, मूंझरी वृहद सिंचाई परियोजना, प्रेमसर-रिनीखेड़ा मुडला मार्ग और सीएम राइज शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन के शिलान्यास और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने चम्बल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने श्योपुर के बड़ौदा में कॉलेज खोलने की घोषणा भी की।

श्री चौहान ने कहा कि कूनो नदी पर 6 बांधों का निर्माण कर 4 जिलों को सिंचित करने की व्यवस्था के लिए जल्द निर्देश जारी किए जाएंगे। साथ ही चंबल सूक्ष्म सिंचाई योजना में सिंचाई सुविधा से छूटे गांवों को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। चंबल सूक्ष्म सिंचाई योजना का लोकार्पण तथा मूंझरी बांध का निर्माण श्योपुर के लिए वरदान सिद्ध होगा।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि श्योपुर के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। श्योपुर दूरस्थ एवं पिछड़ा जिला है, लेकिन मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में सड़कें, विद्युतीकरण, सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र का विस्तार हुआ है। श्योपुर जिला अब अग्रणी जिले के रूप में पहचाना जाने लगा है। उन्होंने कहा कि श्योपुर में मेडिकल कॉलेज होगा, यह किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को श्योपुर मेडिकल कॉलेज के लिए 258 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करने के लिये धन्यवाद दिया। श्री तोमर ने कहा कि श्योपुर में अब विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मध्यप्रदेश में जन-जन में विकास और विश्वास की अमिट छाप छोड़ी है। मुख्यमंत्री ने अन्नदाताओं को सिंचाई के क्षेत्र में 2 बड़ी सौगातें दी हैं। एक का लोकार्पण तो दूसरे का भूमि-पूजन हुआ है, इससे क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदल जायेगी।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान श्योपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुये।

स्व-सहायता समूह संचालित करें होम स्टे

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी युग पुरुष हैं। देश को भाग्य से ही इस प्रकार की दूरदृष्टि वाले व्यक्तित्व का नेतृत्व प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री की पहल पर श्योपुर में चीतों का आगमन हुआ है। इससे श्योपुर में रोज़गार के अवसरों की संभावना बढ़ी हैं। स्व-सहायता समूह की महिलाएं भी अपने गांव में होम-स्टे संचालित करने के लिए प्रेरित हो रही हैं। केंद्र और राज्य सरकार गरीब की जिंदगी बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी सोच के परिणामस्वरूप लाड़ली बहना योजना लागू की गई है।

आवासहीनों के लिये बजट में राशि का प्रावधान

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने गरीब आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए बजट में 8 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। रोज़गार के लिए एक लाख 24 हजार शासकीय पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में एक लाख युवाओं को विभिन्न उद्यमों से जोड़ा जा रहा है। साथ ही युवाओं को सीखने के साथ कमाने का अवसर उपलब्ध कराने मुख्यमंत्री कौशल अप्रेन्टिसशिप योजना शुरू की जा रही है।

पीएम मित्र पार्क

टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश बढ़ेगा - मुख्यमंत्री

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का मध्यप्रदेश के धार जिले में पीएम मित्र मेगा एकीकृत टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिये अभिनंदन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह निर्णय टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने और रोज़गार के अनेक अवसर सृजित करने में मददगार साबित होगा।

केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्र) पार्क स्थापित करने के लिए 4,445 करोड़ रुपये की पीएम मित्र पार्क योजना शुरू की थी। योजना का उद्देश्य कपड़ा उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए एकीकृत बड़े पैमाने पर और आधुनिक औद्योगिक बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है। यह योजना प्रधानमंत्री के 5-एफ विजन - फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से फॉरेन तक से प्रेरित है।

'पीएम मित्र पार्क' स्थापित करने में कई राज्यों ने रुचि दिखाई और अपना प्रस्ताव कपड़ा मंत्रालय को दिया था। मध्यप्रदेश सरकार विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचे के साथ 1,000 एकड़ से अधिक भूमि पार्सल में एकीकृत बड़े पैमाने पर कपड़ा और परिधान पार्क स्थापित करने की इच्छुक है, जो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को आकर्षित करेगी। साथ ही कपड़ा क्षेत्र में एफडीआई और स्थानीय निवेश को बढ़ावा देगी।

पार्क को आंतरिक सड़कों, बिजली वितरण, बुनियादी ढांचे, जल और अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, फैक्ट्री साइट्स, ऊष्मायन केंद्र इत्यादि जैसी सभी बुनियादी आधारभूत सुविधाओं के साथ विकसित करने की योजना है।

साढ़े तीन लाख से अधिक स्मार्ट मीटरों की स्थापना

भोपाल, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, केंद्र और राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले स्मार्ट मीटरों की स्थापना का कार्य तेजी से कर रही है। अब तक कंपनी क्षेत्र में 3 लाख 54 हजार स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के घर में लगाए गए हैं। इन मीटर से स्वतः ही मीटर रीडिंग कंपनी मुख्यालय एवं बिलिंग सॉफ्टवेयर तक पहुंच जाती है। कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर ने बताया कि सबसे ज्यादा अत्याधुनिक स्मार्ट मीटर 1 लाख 53 हजार इंदौर में लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही उज्जैन में 65 हजार, रतलाम में 56 हजार, खरगोन में 36 हजार 745, देवास में 28 हजार 720, महू में 14737 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

- **पिछला सप्ताह** - देश-विदेश की साप्ताहिक खबरों का संक्षिप्त विवरण
- **चर्चा में** - प्रमुख चर्चित व्यक्तियों और ध्यान आकर्षित करने वाली खबरों की चर्चा
- **खेल चर्चा** - प्रमुख खेल गतिविधियों का विवरण
- **सामयिकी** - देश-विदेश की प्रमुख घटनाएं

रबी उपार्जन

उपार्जन कार्य की जरूरी तैयारियां पूरी करें - मुख्यमंत्री

भोपाल, मध्यप्रदेश में रबी उपार्जन कार्य के लिए सभी आवश्यक तैयारियों को पूर्ण करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो। यह निर्देश मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में रबी उपार्जन कार्य के लिए की गई तैयारियों संबंधी बैठक में दिए। बताया गया कि प्रदेश में इस वर्ष उपार्जन के लिये करीब 15 लाख किसान पंजीयन करवा चुके हैं। गत वर्ष हुए पंजीयन की तुलना में तीन चौथाई पंजीयन हो चुके हैं। लगभग 20 लाख पंजीयन होने की संभावना है। अनाज के भण्डारण एवं परिवहन के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।

प्रदेश में 25 मार्च से गेहूं उपार्जन शुरू होगा। संभागवार तिथियां निर्धारित की गई हैं। भोपाल सहित इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभागों में 25 मार्च से उपार्जन प्रारंभ होगा। जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, ग्वालियर और चम्बल संभाग में एक अप्रैल से उपार्जन कार्य प्रारंभ होगा। प्रदेश में 4 हजार 223 उपार्जन केंद्र कार्य करेंगे। बारदाना व्यवस्था में करीब 3 लाख गठान की अनुमानित आवश्यकता के अनुसार प्रबंध हो चुका है। वर्तमान में उपलब्ध बारदानों से लगभग 70 लाख मीट्रिक टन उपार्जन संभव है। भण्डारण के लिए भारतीय खाद्य निगम, गोदाम और सायलो बैग सभी शासकीय और अर्द्धशासकीय एजेंसियों के गोदाम उपलब्ध हैं।

- **चना, मसूर और सरसों का उपार्जन भी 25 मार्च से शुरू होगा।**
- **पर्याप्त संख्या में बनाये जायेंगे उपार्जन केंद्र, बारदाने की नहीं होगी कमी।**
- **किसान को समय पर राशि का भुगतान हो, आवश्यक परिवहन व्यवस्था होगी।**
- **उपार्जन से जुड़े कार्यों में तकनीक का उपयोग होगा।**
- **किसान को उपार्जन के लिए खुद केंद्र के चयन की सुविधा दी जाए।**

एमएसएमई इकाइयों का प्रोत्साहन आवश्यक - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एमएसएमई सम्मेलन की बैठक को संबोधित करते हुये।

भोपाल, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। इस श्रेणी की औद्योगिक इकाइयां गठित की जाने से रोज़गार के अवसर बढ़ते हैं। उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ऐसी इकाइयों द्वारा नई तकनीक का उपयोग कर संयंत्रों का संचालन किए जाने पर भी आवश्यक मदद उपलब्ध करवाई जाए। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में होने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सम्मेलन संबंधी विचार विमर्श करते हुए कहीं।

अप्रैल माह में भोपाल में होने वाले सम्मेलन में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल को आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही उद्योग संघों के प्रमुख, लघु उद्योग भारती, फिक्की एवं डिक्की के प्रतिनिधि भी हिस्सेदारी करेंगे। सफल स्टार्टअप और एमएसएमई के साथ ही उच्च शिक्षा संस्थान, विश्वविद्यालय और इनक्यूबेशन सेंटर्स के प्रतिनिधि, वालमार्ट, ओएनडीसी, आईआईएम इंदौर और आईआईटी दिल्ली के प्रतिनिधि भी आमंत्रित किए जाएंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार सम्मेलन में मध्यप्रदेश में निर्यात संवर्धन, एमएसएमई के लिए वित्तीय समाधान के नए आयाम विषय पर चर्चा के साथ सत्र भी होंगे।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

11 मार्च

बीएसएफ की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण

● केंद्र सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने कहा कि सेना में सेवा देने के बाद रिटायर हुए अग्निवीरों को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में होने वाली भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा। इसके अलावा अग्निवीरों को फिजिकल टेस्ट में छूट दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार बीएसएफ जनरल ड्यूटी कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स 2015 में संशोधन किया गया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार कॉन्स्टेबल पद पर भर्ती के लिए अग्निवीरों के पहले बैच के कैंडिडेट को अपर ऐज लिमिट में पांच साल की छूट मिलेगी, जबकि इसके बाद के सभी बैचों के कैंडिडेट को अपर ऐज लिमिट में तीन साल की छूट दी जाएगी।

● जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा दो दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। वे 20 और 21 मार्च को भारत में दौरे पर रहेंगे। यह जानकारी विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा जापान के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच विभिन्न सेक्टर में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की जायेगी। इस यात्रा के दौरान किशिदा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।

12 मार्च

आतंकवाद पर देश में जारी रहेगी जीरो टॉलरेंस नीति

● आतंकवाद पर केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति आने वाले समय में भी जारी रहेगी। देश के किसी भी हिस्से में

अलगाववाद, आतंकवाद और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और सख्ती से निपटा जाएगा। यह बात केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के 54वें स्थापना दिवस समारोह में कही है। श्री शाह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और राज्य पुलिस की भूमिका अहम है। उन्होंने कहा कि कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है, जब उसके हवाई अड्डे, बंदरगाह और औद्योगिक प्रतिष्ठान सुरक्षित हों। सीआईएसएफ के शौर्यशाली इतिहास से पता चलता है कि इसने देश की प्रगति में काफी योगदान दिया है।

● स्टार्टअप को कर्ज देने में अग्रणी अमेरिकी बैंक सिलिकॉन वैली बैंक (एसवीबी) लगातार घाटे के बाद डूब गया है। एसवीबी वर्ष 2008 के बाद अमेरिका में वित्तीय संकट के कारण विफल होने वाला सबसे बड़ा बैंक बन गया है। इस बैंक के विफल होने के कारण भारत सहित विश्व के कई स्टार्टअप चिंतित हैं। इस बैंक में कई भारतीय स्टार्टअप ने निवेश किया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व पिछले वर्ष से ही ब्याज दरों में लगातार वृद्धि कर रहा है। इससे स्टार्टअप क्षेत्र में वित्तीय संकट पैदा हो गया है। चूंकि एसवीबी टेक स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाला बैंक था, ऐसे में ब्याज दरों में लगातार वृद्धि से एसवीबी की वित्तीय स्थिति गड़बड़ा गई।

13 मार्च

नौसेना में शामिल होंगी 200 से अधिक ब्रह्मोस मिसाइल

● भारतीय नौसेना के बेड़े में 200 से अधिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल शामिल होंगी। केंद्र सरकार ब्रह्मोस एयरोस्पेस को 2.5 अरब डॉलर के ऑर्डर देने की तैयारी कर रही है। इन मिसाइलों की कीमत लगभग 20,500 करोड़ रुपये है। नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अग्रिम पंक्ति के सभी युद्धपोतों को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस किया जायेगा। इसीलिए 200 से अधिक ब्रह्मोस मिसाइलों को नौसेना में शामिल कराने की तैयारी है।

● भारत और रूस में दोनों देशों के बीच ज्यादा नागरिक उड़ानों के लिए सैद्धांतिक सहमति बन गई है। इस सहमति के तहत रूसी विमानन कंपनियों को विभिन्न भारतीय शहरों के लिए 64 साप्ताहिक उड़ानें संचालित करने की अनुमति होगी। अभी मौजूदा समझौते के तहत रूस भारत के लिए सप्ताह में 52 उड़ानों का संचालन किया जा सकता है। भारत सैद्धांतिक रूप से रूसी विमानन कंपनियों की ओर से भारत के लिए संचालित की जाने वाली साप्ताहिक उड़ानों की संख्या 52 से बढ़ाकर 64 करने पर सहमत हो गया है।

14 मार्च

नेपाल ने एवरेस्ट पर अकेले ट्रैकिंग पर पूरी तरह लगाया प्रतिबंध

● नेपाल सरकार ने विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर अकेले चढ़ाई पर प्रतिबंध के फैसले को अब देश में भी लागू कर दिया है। इस फैसले के तहत अब बिना गाइड के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। नेपाल सरकार ने बताया कि पांच वर्ष पहले विदेशी पर्यटकों के लिए अकेले एवरेस्ट की चढ़ाई पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे अब देश में भी लागू कर दिया गया है। नेपाल में आगामी एक अप्रैल से देशी और विदेशी सभी पर्यटकों पर यह नियम लागू होगा। पर्यटकों को नए नियमों के अनुसार अपने साथ गाइड ले जाना अनिवार्य होगा ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकी।

● अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि सिलिकॉन वैली बैंक के बंद होने के बावजूद अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है। बाइडेन ने देश के लोगों और कारोबारियों को भरोसा दिलाया है कि बैंक बंद होने से करदाताओं के पैसों को कोई खतरा नहीं है। निवेशकों का जमा पैसा जरूरत पड़ने पर उन्हें मिल जाएगा। बाइडेन ने देश में सख्त बैंकिंग रेगुलेशन बनाने के संकेत दिये हैं। उन्होंने कहा कि वह संसद से सख्त नियम बनाने को कहेंगे, जिससे इस तरह की स्थिति दोबारा न निर्मित हो। साथ ही छोटे कारोबारियों के हितों की रक्षा भी की जा सके। उल्लेखनीय है कि कैलिफोर्निया स्थित सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक है, जिसे कैलिफोर्निया के वित्तीय संरक्षण और नवाचार विभाग द्वारा बंद कर दिया गया है।

15 मार्च

डीआरडीओ ने किया शॉर्ट रेंज मिसाइल का सफल परीक्षण

● रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने ओडिशा के चांदीपुर में स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ ने बताया कि परीक्षण के दौरान दो लगातार सफल उड़ान परीक्षण किए गए। इस मिसाइल को उच्च गति वाले मानव रहित विमानों के खिलाफ टेस्ट किया गया था। इस मिसाइल को ग्राउंड बेस्ड मैन पोर्टेबल लॉन्चर से लॉन्च किया गया था। परीक्षण के दौरान जमीन से हवा में दुश्मनों के हवाई उड़ानों और ड्रोन को टारगेट करने में ये मिसाइल कारगार साबित हुई।

● नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (एनबीईएमएस) ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) पीजी 2023 का परिणाम घोषित कर दिया है। नीट पीजी 2023 परीक्षा का आयोजन एमडी, एमएस डीएनबी और डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिले के लिए किया गया था। इस परीक्षा के लिए 2 लाख 09 हजार से अधिक उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। एनबीईएमएस ने कहा कि वे सभी उम्मीदवार जो नीट पीजी परीक्षा में शामिल हुए, वे आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर अपना परीक्षा परिणाम चेक कर सकते हैं।

16 मार्च

सीयूईटी परीक्षा तीन शिफ्ट में आयोजित होगी

● विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) परीक्षा अब दो की जगह तीन शिफ्ट में आयोजित होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार ने बताया कि इस वर्ष से स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सीयूईटी परीक्षा तीन शिफ्ट में होगी। उन्होंने कहा कि यूजीसी और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि सीयूईटी परीक्षा बिना किसी खामी के सम्पन्न हो जाये। उन्होंने कहा कि इस वर्ष सभी खामियों को दूर कर लिया जायेगा। इस परीक्षा में बड़ी संख्या में परीक्षार्थी शामिल होंगे, इसलिए इसे दो की जगह तीन शिफ्ट में कराया जायेगा।

● बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने विदेशी कानून, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और मध्यस्थता जैसे क्षेत्रों में विदेशी वकीलों और विधि फर्मों को भारत में वकालत करने की अनुमति प्रदान करने का फैसला किया है। बार काउंसिल ने कहा कि इससे भारतीय और विदेशी दोनों तरह के वकीलों को लाभ होगा। बार काउंसिल ने भारत में विदेशी वकील और विदेशी विधि पंजीकरण और नियमन-2022 के लिए नियम अधिसूचित किया है। इस नियम के अनुसार भारत में वकालत विदेशी वकीलों के लिए विदेशी कानून, गैर मुकदमें वाले विविध अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मामलों और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता क्षेत्रों में खुली है।

17 मार्च

हथियारों की खरीद के लिए 70 हजार करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मिली मंजूरी

● रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराने के लिए 70 हजार करोड़ रुपये के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 60 मेड इन इंडिया यूटिलिटी हेलिकॉप्टर मरीन और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की खरीद को स्वीकृति प्रदान की, वहीं भारतीय सेना के लिए 307 एटीएजीएस हॉवित्जर तोप, भारतीय तटरक्षक बल के लिए 9 एएलएच ध्रुव हेलिकॉप्टर की खरीद को भी रक्षा मंत्रालय की अनुमति मिली। इसके अलावा रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय वायुसेना के लिए लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन की खरीदी को मंजूरी प्रदान की।

● नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भारत के साथ संबंधों को ओर मजबूत करने के संकेत दिये हैं। पिछले वर्ष दिसम्बर में प्रधानमंत्री पद संभालने वाले प्रचंड अपने इस कार्यकाल के पहले विदेश दौरे पर भारत आयेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत दौरे पर आने की बात कही है और 28 मार्च को चीन में होने वाली बीओओ फोरम की बैठक से किनारा कर लिया है। संभावना है कि प्रचंड अप्रैल 2023 के दूसरे सप्ताह में भारत यात्रा कर सकते हैं। प्रचंड ने कहा है कि अप्रैल में भारत दौरे से पहले संसद में बहुमत परीक्षण और कैबिनेट विस्तार करना है। उल्लेखनीय है कि नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएनयूएमएल ने प्रचंड सरकार से समर्थन वापस ले लिया था।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित
फोटो : गूगल से साभार)

प्रवेश प्रारंभ- 2023-24
बी.एड. (02 वर्षीय), एम.एड. (02 वर्षीय)
12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों हेतु
बी.ए.बी.एड. (04 वर्षीय) | डी.एल.एड. (02 वर्षीय) | बी.एस.सी. नर्सिंग (04 वर्षीय) सत्र 2022–23
जबलपुर पब्लिक कॉलेज
(शिव नारायण फाउंडेशन द्वारा 1995 से संचालित)
Recognized by NCTE & Affiliated to M.P. Board & RDVV
All Course Registration link: http://jpc.org.in/online_admission.php
49, Karmeta, Patan Road, Jabalpur (M.P.)- 482002
Mob.: 9425154312, 7898737022, 9424580014
विशेष सूचना:– डी.एल.एड के साथ स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी एम.एड. की पात्रता है।
R-48311/2023

साप्ताहिक
रोज़गार और निर्माण
में विज्ञापन के लिए दरें
टैरिफ

क्रमांक	ब्लैक एंड व्हाइट (रेट प्रति वर्ग सेमी (Sq Per cm))	रंगीन (रेट प्रति वर्ग सेमी (Sq Per cm))
1. डीएवीपी (DAVP) रेट	13.36	18.70
2. कॉन्ट्रैक्ट रेट	70.00	98.00
3. कमर्शियल रेट	80.00	112.00

फुल पेज का आकार
चौड़ाई - 25 सेंटीमीटर
लंबाई - 37 सेंटीमीटर
कुल वर्ग सेंटीमीटर - 925 वर्ग सेंटीमीटर

संपर्क करें :
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) 462011
फोन नंबर : 0755-2551330, 0755-2760006
ई मेल : madhyam.rojgar@gmail.com Website : www.mpmadhyam.in
नोट : 1. 5% जीएसटी (GST) शुल्क अलग से देय होगा।
2. 4.5X5 सेमी (cm) से कम का विज्ञापन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

वर्ष 40, अंक 12 20.03.2023 से 26.03.2023
रोज़गार और निर्माण
rojgaraurnirman.in

● प्रबंध संचालक - राघवेन्द्र कुमार सिंह
● सम्पादक - राजीव तिवारी
● प्रबंधक - वंदना चतुर्वेदी (विज्ञापन एवं प्रसार)
● प्रबंधक - सुभाष चन्द्र जोशी (मुद्रण)
● आकल्पन - अरविन्द टोप्पो
● वेबसाइट - आत्माराम शर्मा

वार्षिक सदस्य बनने के लिये रुपये 500/- (पाँच सौ) का डी.डी., मनीऑर्डर अथवा पोस्टल ऑर्डर रोज़गार और निर्माण, भोपाल के नाम बनवाकर नीचे लिखे पते पर भेजें :-
रोज़गार और निर्माण, मध्यप्रदेश माध्यम, 40 प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) पिन-462011
फोन- 2760006, 2551330, 4281330, फैक्स - 4228409, **e-mail : madhyam.rojgar@gmail.com**
रोज़गार और निर्माण कार्यालय में नगद राशि जमा कर भी इसकी वार्षिक सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। रोज़गार और निर्माण में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। इनसे सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र भोपाल रहेगा। रोज़गार और निर्माण में निजी संस्थाओं के विज्ञापन भी प्रकाशित किये जाते हैं, इन विज्ञापनों में किए गए दावे और तथ्य निजी संस्थाओं के अपने होते हैं। इसका समाचार पत्र के प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है।

सम्पादकीय

राज्य के बजट और आर्थिक सर्वेक्षण पर जन-संवाद

सामान्यत: राज्य के बजट और आर्थिक सर्वेक्षण को अर्थशास्त्रीय और विशेषज्ञों का विषय माना जाता है। हमने पिछले साल से राज्य का बजट बनाने में जनता के सुझावों को शामिल करना शुरू किया। इस साल 4 हजार से अधिक सुझाव प्राप्त हुये, जिनमें से अधिकांश को राज्य के बजट में शामिल किया गया है। अब बजट का क्रियान्वयन भी जनभागीदारी के साथ करने के उद्देश्य से आर्थिक सर्वेक्षण और बजट पर जन-संवाद किया गया है। मैं चाहता हूं कि ग्रामसभाओं में भी बजट पर चर्चा हो। प्रदेशवासी बजट को समझें उसके क्रियान्वयन तथा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में अपना योगदान दें। उपरोक्त बातें मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहीं। मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, राज्य बजट 2023-24 सरकार की योजनाओं और उनके संभावित लाभों के संबंध में समाज के विभिन्न वर्ग, लाभार्थी और हितधारकों के संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान तथा मध्यप्रदेश राजनीति एवं योजना आयोग द्वारा भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में संवाद श्रृंखला का यह पहला कार्यक्रम था। प्रदेश के सभी संभागों में भी संवाद कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण के तथ्य तेजी से बढ़ते मध्यप्रदेश की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। कृषि ग्रामीण विकास, उद्योग एवं व्यापार, स्वास्थ्य शिक्षा और कौशल विकास सहित गरीब कल्याण के क्षेत्र में भी मध्यप्रदेश का प्रदर्शन अच्छा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि सही दिशा में दूरदर्शी सोच के साथ प्रयास किये जायें तो कठिनाइयों को भी कामयाबी में बदला जा सकता है। प्रदेश की आर्थिक वृद्धि दर 16.43 प्रतिशत हो गई है। यह वर्ष 2001-02 में 4.43 प्रतिशत थी। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 13 लाख 22 हजार 821 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो वर्ष 2001-02 में 71 हजार 594 करोड़ रुपये था। यह 18 गुना प्रगति प्रदेश के लिये चमत्कार है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2001-02 में 11 हजार 718 रुपये थी, जो वर्ष 2011-12 में 38 हजार 497 रुपये हुई और वर्ष 2022-23 में इसके एक लाख 40 हजार 583 रुपये होने का अनुमान है। हम इस प्रगति से अभी संतुष्ट नहीं हैं, प्रदेश को और भी आगे ले जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋण लेने के संबंध में राज्य सरकार पर आरोप लगाये जाते हैं। वास्तविकता यह है कि राज्य सरकार द्वारा ऋण लेने के मापदण्डों के अनुसार ही ऋण लिया गया। ऋण और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात वर्ष 2020-21 में 22.6 प्रतिशत रहा, जबकि वर्ष 2005 में यह 39.5 प्रतिशत था। राज्य का पूंजीगत व्यय 23.18 प्रतिशत से बढ़कर 45 हजार 685 करोड़ रुपये हुआ है, जो मध्यप्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक है। कोविड की कठिनाइयों के बाद भी राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के विजन के साथ राजस्व को बढ़ाने का हरसंभव प्रयास किया है। जो पिछले 3 साल में प्रतिवर्ष 7.94 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। हम देश का राजस्व बढ़ाने वाले पहले 5 राज्यों में शामिल हैं।

उल्का पिंड में मिले कार्बनिक यौगिक

समाचारों के माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि ब्रह्माण्ड में विद्यमान विभिन्न ग्रहों से उल्का पिंड समय-समय पर पृथ्वी से टकराते रहे हैं। वैज्ञानिक इनका विभिन्न दृष्टिकोण से अध्ययन भी करते हैं। 12 साल पहले पृथ्वी से टकराने वाले मंगल ग्रह के उल्का पिंड में कार्बनिक यौगिकों की विशाल विविधता मौजूद है। इसे मंगल ग्रह पर पहले कभी नहीं देखा गया है। शोधकर्ताओं के अनुसार जीवन पद्धति में कार्बनिक यौगिकों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, लिहाजा इससे मंगल पर रहने की क्षमता के बारे में जानकारी मिल सकती है। एक उल्का पिंड 18 जुलाई, 2011 को मोरक्को के टिसिंट शहर के ऊपर आसमान में टूटा था। टिसिंट के आसपास के रेगिस्तान में चट्टानों के टुकड़े गिरे थे। यह उल्का पिंड करोड़ों साल पहले मंगल ग्रह पर बना था। शोधकर्ताओं ने उल्का पिंड के टुकड़ों का विश्लेषण किया, इसके तहत कम से कम पांच विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के उदाहरण पाये गये। कार्बनिक यौगिक अणु होते हैं, जिनमें एक या अधिक तत्वों की भरमार होती है, इसमें आमतौर पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ कार्बन परमाणु भी होते हैं। ये यौगिक पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों में अत्यधिक प्रचुर मात्रा में हैं। टिसिंट उल्का पिंड में वैज्ञानिकों को कार्बनिक मैग्नीशियम यौगिक मिला है, जो पूरे उल्का पिंड में बेहद प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये यौगिक मंगल के प्राचीन मेंटल (मंगल की पपड़ी की नीचे की परत) के उच्च दबाव और उच्च तापमान की स्थितियों में बने थे। शोधकर्ताओं ने उल्का पिंड के भीतर कई अन्य यौगिकों को भी उजागर किया, इसमें एलिफैटिक ब्रांक्ड कार्बोक्सिलिक एसिड शामिल हैं। ऐसे यौगिक में प्रोटीन बनाने वाले अमीनो एसिड के समान संरचना होती है। यह घटना पहली बार नहीं हुई है। जब उल्का पिण्ड के अंदर कार्बनिक यौगिकों की खोज की गई है। 1984 में एक उल्का पिंड गिरा था। इसमें भी कई कार्बनिक यौगिक शामिल थे। हालांकि बाद में शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि इसके भीतर के यौगिक अरबों साल पहले बुनियादी भू-वैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाये गये थे।

- देवेश तिवारी

(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर लिखते हैं)

विश्व जल दिवस | 22 मार्च

जल संरक्षण की दिशा में हम सबका प्रयास

जल संकट से जूझ रही हमारी पृथ्वी को इस संकट से बचाने और इसके प्रति आम जनमानस में जागरूकता लाने के लिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। हमिंगबर्ड प्रजाति की एक चिड़िया से जुड़ी पौराणिक कथा है, जो बताती है कि किसी भी संकट का हमें कैसे सामना करना चाहिए। इस समय हम पानी और स्वच्छता के संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में हम खड़े होकर सिर्फ देखते हैं या फिर अपनी ओर से बदलाव के लिए कुछ प्रयास करते हैं।

इस कथा के अनुसार एक बार जंगल में आग लगी तो सारे जानवर मिलकर आग बुझाने में जुटे हुए थे, तब एक विशाल आकार के जानवर ने देखा कि एक चिड़िया बार-बार आग के पास जाती और वापस आती है। तब उस विशाल जानवर ने उस चिड़िया से पूछा कि, तुम बार-बार क्यों आना-जाना कर रही हो। तब चिड़िया ने कहा कि, मैं झील से अपने पंखों में पानी लाकर इस आग को बुझाने का प्रयास कर रही हूं। तब उस जानवर ने हंसकर कहा कि, यह आग तुमसे नहीं बुझेगी। तब उस चिड़िया ने कहा कि, मैं जो कर सकती हूं, वह कर रही हूं। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अपने नियमित कार्यों में पानी को बचाने के छोटे-छोटे प्रयास करते रहना चाहिये।

'रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून। पानी गये न ऊबरे, मोती, मानुष, चून।।' इस दोहे में रहीम ने यहां पानी के जीवन में अलग-अलग रूप का जिक्र किया है, लेकिन हम यदि बात करें जल की तो उसके बिना जीवन संभव नहीं है, यह हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और हर साल गर्मियों में पीने के पानी की वजह से देश-दुनिया की बड़ी आबादी संघर्ष करती है। ये बात सच है कि धरती की सतह पर 70 फीसदी हिस्से में पानी भरा हुआ है, लेकिन ये समुद्री पानी है जो खारा है। दुनिया में मीठा पानी केवल 3 फीसदी है और ये इतना सुलभ नहीं है। दुनिया में करोड़ों लोगों को पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है, जबकि लाखों लोगों को साल में एक महीने पीने का पानी नहीं मिलता है। साल 2014 में दुनिया के 500 बड़े शहरों में हुई एक जांच में पाया गया है कि एक अनुमान के अनुसार हर चार में से एक नगरपालिका 'पानी की कमी' की समस्या का सामना कर रही है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 'पानी की कमी' तब होती है जब पानी की सालाना सप्लाई प्रति व्यक्ति 1700 क्यूबिक मीटर से कम हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों के आकलन के अनुसार साल 2030 तक वैश्विक स्तर पर पीने के पानी की मांग सप्लाई से 40 फीसदी अधिक हो जाएगी।

विश्व जल दिवस का उद्देश्य

विश्व जल दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है साथ ही यह जल संरक्षण के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करता है। ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में विश्व जल दिवस मनाने की पहल की गई तथा वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने अपनी सामान्य सभा के द्वारा निर्णय लेकर इस दिन को वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के बीच में जल संरक्षण का महत्व, साफ पीने योग्य

जल का महत्व आदि बताना था। 2010 के जुलाई महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर दुनिया के हरेक व्यक्ति को पानी का अधिकार दिया गया है, जिसके तहत हरेक व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलना चाहिए।

जागरुकता के लिए आयोजित किए जाते हैं विभिन्न कार्यक्रम

पर्यावरण, स्वास्थ्य, कृषि और व्यापार सहित जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जल के महत्व की ओर लोगों की जागरुकता बढ़ाने के लिए पूरे विश्व भर में विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और क्रियाकलापों के आयोजनों के द्वारा मनाया जाता है जैसे दृश्य कला, जल के मंचीय और संगीतात्मक उत्सव, स्थानीय तालाब, झील, नदी और जलाशय की सैर, जल प्रबंधन और सुरक्षा पर स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिचर्चा, टीवी और रेडियो चैनल या इंटरनेट के माध्यम से संदेश फैलाना, स्वच्छ जल और संरक्षण उपाय के महत्व पर आधारित शैक्षणिक कार्यक्रम, प्रतियोगिता तथा अन्य गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। नीले रंग की जल की बूंद की आकृति विश्व जल दिवस उत्सव का मुख्य चिन्ह है। सोशल और डिजिटल मीडिया के इस दौर में फेसबुक, वॉट्सएप, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से भी कैंपेन चलाए जा रहे हैं तथा लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए भी संयुक्त राष्ट्र ने वॉटर फॉर ऑल की तर्ज पर विभिन्न पोस्टर तैयार किए हैं, इनमें वॉटर फॉर रिफ्यूजी, वॉटर फॉर ऑल स्टूडेंट्स, वॉटर फॉर ऑल रूरल पीपुल, वॉटर फॉर ऑल वुमन, वॉटर फॉर ऑल डिसेबल जैसे अलग-अलग वर्ग के लोगों को केन्द्रित संदेश लिखे हुए हैं।

बढ़ता जल प्रदूषण चिंता का कारण

वर्तमान में पीने योग्य स्वच्छ एवं शुद्ध जल नहीं मिलने से जल संकट गहराता जा रहा है। प्रदूषित जल के दुष्प्रभाव से मानव स्वास्थ्य के अतिरिक्त जलीय जीव-जन्तुओं एवं वनस्पतियों पर भी प्रभाव पड़ा है। अवसादी प्रदूषण के कारण नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों के गादों में विद्यमान कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन भारी धातुकण एवं अम्ल आदि विषैले रसायन जल में मिल रहे हैं, जिससे जल की गुणवत्ता मे गिरावट आ रही है। मानव एवं जलीय जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है। अब यह जल लगभग 60,000 से ज्यादा जहरीले केमिकल्स से युक्त हो चुका है जिसमें कई जानलेवा कैंसरकारक तत्व भी शामिल हैं। पानी में अब कई घातक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वायरस भी हैं। कई जलस्रोतों में सुपरबग भी काफी मात्रा में पाये गये हैं। पीलिया, टायफॉइड, जिआर्डियासी, अमीबीएसिस आदि जल से होने वाले सामान्य रोग हैं, लेकिन अब कैंसर, किडनी फेलियर जैसे रोग भी पानी से हो रहे हैं। लेड और आर्सेनिक जैसे घातक मेटल्स भी अब पीने के पानी में आम है। खेती में उपयोग किए जाने वाले कीटनाशक और पेस्टीसाइड भी बारिश में रिसकर नदी, तालाब, पोखर और झीलों के पानी में मिलकर स्थिति को और घातक बना रहे हैं। उद्योगों से निकलने वाले कचरे बेधड़क पानी में मिलाएं जा रहे हैं और सभी जीवों को नष्ट करते जा रहे हैं। कचरे से मृत्यु या यूं कहें कि कचरे से 'मास जीनोसाइड' हो रहा है।

अस्पतालों से निकलने वाले वेस्ट भी पानी में मिल रहे हैं और न चाहते हुए भी लोग दवाओं के अंश पानी के साथ पी रहे हैं, जिसमें प्रमुख हैं एंटीबायोटिक, पेनकिलर्स, स्टेरॉइड और हार्मोनल मेडिसिन। एंटीबायोटिक पानी में घुलकर बैक्टेरिया को रेसिस्टेंट करके पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजाने वाले सुपरबग पैदा कर रहे हैं। हमारे नलों से आने वाला पानी हमें बीमारियों की खान बना रहा है। पानी कितना जानलेवा हो गया है यदि यह आपको विस्तार से जानना है तो आपको रॉबर्ट मोरिस की किताब 'द ब्ल्यू डेथ' अवश्य पढ़नी चाहिए।

म्युनिसिपल के नलों से आने वाले पानी की इतनी बुराई सुनकर आप यदि धनी हैं तो बॉटल बंद पानी खरीदने के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन याद रहे कि पैसों से खरीदी गई हर चीज लाभदायक हो यह जरूरी नहीं है। हर महंगी चीज अच्छी होती है, यह एक भ्रांति है। आज हर अमीर गरीब बॉटल का पानी खरीदकर पीता है ज़िन्दगी में कभी न कभी...अक्सर सफर में। कई शोधों में पता चला है कि बोतलबंद पानी में एक घातक रसायन पाया जाता है जिसका नाम है - बिस्फेनॉल ए (BPA)। रिसर्च बताती हैं कि इसे पीने से बच्चों के दिमाग का विकास रुक जाता है और व्यवहार संबंधित समस्याओं से वह ग्रस्त हो जाता है।

पानी बचाने के लिए हम कर सकते हैं ये प्रयास

जल संरक्षण : नहाने के लिए शॉवर के नीचे घंटों खड़े रहने की बजाय कम समय ही बिताएं। ब्रश करते समय, बर्तन धोते समय या खाना तैयार करते समय नल को चालू ना छोड़ें।

प्रदूषण फैलाना बंद करें : तेल, दवाइयां, केमिकल या खराब खाना, पानी नालियों में बहाकर गंदगी ना फैलाएं।

प्रकृति का संरक्षण : जब भी अवसर मिले अपने आसपास पेड़ जरूर लगाएं। वर्षा जल संग्रहण और रेन गार्डन जैसी पद्धति का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो जल संरक्षण और बाढ़ को रोकने की दिशा में काम आएं।

हर एक बूंद का उपयोग करें

पानी की निश्चित मात्रा को एक से अधिक कामों में उपयोग करने की कोशिश करें। अगर आप सब्जी धो रहे हैं, तो किसी बर्तन में पानी लेकर धोएं, फिर बचे पानी को पौधों में डाल सकते हैं या सफाई करने के लिये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बाकी कामों में भी पानी बचाएं और उसे दूसरे काम में उपयोग करें।

सर्वविदित है कि पृथ्वी पर पानी का होना ही जीवन के उदय का कारण है। जब तक पानी रहेगा, जीवन रहेगा। पानी एक ऐसा अनिवार्य अवयव है, जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसे सबको समझना होगा। अपने हित के लिए सबके हित के लिए।

सर्जना चतुर्वेदी

(लेखिका : समसामयिक विषय पर लेखन कार्य करती हैं)

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र, इन्दौर

मध्यप्रदेश शासन के तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार विभाग अंतर्गत तकनीकी पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन 2023

विज्ञापन क्रमांक 01/2023/ 13.03.2023
शासन के विभिन्न विभाग, मध्यप्रदेश शासन

आवेदन करने की अंतिम तिथि
02.05.2023 (दोपहर 12:00 बजे)

महत्वपूर्ण निर्देश

A. आवेदन-पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार विभाग अंतर्गत निम्नानुसार पदों की पूर्ति हेतु परीक्षा 2023 के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं -

स.क्र.	पद का नाम	अनिवार्य अर्हता
1.	प्राचार्य प्रथम श्रेणी	**शैक्षणिक अर्हता :-** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मण्डल या बोर्ड से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। **अनुभव :-** किसी तकनीकी शिक्षा या शासकीय/अर्द्धशासकीय, संगठन/निर्माण कार्य विभागों या भारत सरकार द्वारा यथा परिभाषित वृहद् एवं मध्यम उद्योगों में कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव। उपधि धारक के लिए 02 वर्ष तथा डिप्लोमा धारक के लिए 07 वर्ष।
2.	उपसंचालक	**शैक्षणिक अर्हता :-** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मण्डल या बोर्ड से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। **अनुभव :-** किसी तकनीकी शिक्षा या शासकीय/अर्द्धशासकीय, संगठन/निर्माण कार्य विभागों या भारत सरकार द्वारा यथा परिभाषित वृहद् एवं मध्यम उद्योगों में कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव। उपधि धारक के लिए 02 वर्ष तथा डिप्लोमा धारक के लिए 07 वर्ष।
3.	प्राचार्य द्वितीय श्रेणी	**शैक्षणिक अर्हता :-** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मण्डल या बोर्ड से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। **अनुभव :-** डिप्लोमा धारक के लिये, किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा/प्रशिक्षण संस्थानों या किसी शासकीय/अर्द्ध शासकीय संगठन/निर्माण कार्य विभागों या भारत सरकार द्वारा यथा परिभाषित वृहद् एवं मध्यम उद्योगों में कार्य करने का 05 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव।
4.	सहायक संचालक (तकनीकी)	**शैक्षणिक अर्हता :-** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मण्डल या बोर्ड से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। **अनुभव :-** डिप्लोमा धारक के लिये, किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा/प्रशिक्षण संस्थानों या किसी शासकीय/अर्द्ध शासकीय संगठन/निर्माण कार्य विभागों या भारत सरकार द्वारा यथा परिभाषित वृहद् एवं मध्यम उद्योगों में कार्य करने का 05 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव।

2. आवेदन-पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे आवेदन-पत्र **दिनांक 03.04.2023 (दोपहर 12:00 बजे) से 02.05.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in** तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकते हैं।
3. अन्य किसी भी प्रकार से भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

B. आयु की गणना :-

1. आयु की गणना 01 जनवरी 2024 के संदर्भ में की जाएगी।
2. आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं (High School) की अंक-सूची में अंकित है। अत: अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उक्त अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

C. शुल्क संबंधी निर्देश :-

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट-02 का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी को दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से भली-भांति अध्ययन के पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :-

1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 07.04.2023 से 04.05.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र ₹ 50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम. पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।
2. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अत: वे आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
3. त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-2) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/भूतपूर्व सैनिक/शासकीय सेवक/जन्मतिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा अभ्यर्थी से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

E. पात्रता :-

1. **शैक्षणिक अर्हता -** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मण्डल या बोर्ड से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा एवं अनुभव। (विस्तृत विवरण हेतु विज्ञापन की कंडिकाओं का अवलोकन करें)।
2. **रोज़गार पंजीयन -**
   - (क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।
   - (ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र अनिवार्यत: प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
   - (ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/ निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।
3. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता/अनुभव/वांछनीय अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अत: अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे उस विभाग को अपनी शिकायत प्रेषित कर सकते हैं।

F. परीक्षा केन्द्र तथा प्रवेश-पत्र :-

1. इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, तथा ग्वालियर स्थित परीक्षा केन्द्रों पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की OMR आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम, परीक्षा तिथि एवं प्रवेश-पत्र उपलब्धता तिथि को यथासमय आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।
2. आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापनों में ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रण के समय अभ्यर्थियों से परीक्षा केन्द्र आवंटन हेतु शहर की अग्रमान्यता एवं उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा एक बार अग्रमान्यता उपरांत परीक्षा शहर परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित अभ्यर्थियों को परीक्षा में आने-जाने का नियमानुसार यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु Reimbursement का वर्गीकरण प्रावधानित है, जिसके अनुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जाती है। अतएव इस संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

G. परीक्षा नियम/निर्देश आदि :-

1. चयन/परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन/निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों/निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
   चयन/परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोज़गार पंजीयन आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय -समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
2. पाठ्यक्रम निर्धारण समिति द्वारा विज्ञापन के संदर्भ में प्रकाशित पाठ्यक्रम में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है, तो तद्नुसार संशाधित पाठ्यक्रम परीक्षा के यथोचित समय पूर्व आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। परीक्षा उपरोक्तानुसार संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जाएगी । इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है । चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची/प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
4. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य/दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. **उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 25181/2019 एवं इससे संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा।**

अन्य निर्देश :-

1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं, संशोधन आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अत: समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त E-mail Address/पत्राचार/दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
2. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है । अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षा सूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अत: अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा । सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टत: परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना वर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएँ तथा परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** एवं रोजगार और निर्माण समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे । अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें ।
6. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है । किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है । अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर आयोग को अविलम्ब प्रदान कर दें, ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से मध्यप्रदेश शासन के तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार विभाग अंतर्गत निम्नानुसार पदों हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। विभिन्न वर्गों हेतु उल्लेखित पदों की संख्या विभागों द्वारा प्रेषित मांगपत्रों के अनुसार है :-

स. क्र.	विभाग एवं पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					मध्यप्रदेश के मूलनिवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या				पदों की कुल संख्या	वेतनमान
		UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	LD	VH	HH	MD		
1.	**प्राचार्य प्रथम श्रेणी**	9	4	6	8	2	3	1	2	3	1	0	1	1	0	29	67300-206900
	मुख्य भाग (87%)	9	4	6	4	2	3	1	2	2	1					25	
	प्रावधिक भाग (13%)	4 (काल्पनिक)	-	-	4	-	1 (काल्पनिक)	-	-	1	-					4	
2.	**उपसंचालक**	3	1	2	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	8	67300-206900
	मुख्य भाग (87%)	3	1	2	1	0	1	0	1	1	0					7	
	प्रावधिक भाग (13%)	1 (काल्पनिक)	-	-	1	-	-	-	-	-	-					1	
3.	**प्राचार्य द्वितीय श्रेणी**	27	15	19	26	9	9	5	6	9	3	1	2	2	1	96	56100-177500
	मुख्य भाग (87%)	27	15	19	13	9	9	5	6	5	3					83	
	प्रावधिक भाग (13%)	13 (काल्पनिक)	-	-	13	-	4 (काल्पनिक)	-	-	4	-					13	
4.	**सहायक संचालक (तकनीकी)**	14	8	9	13	4	5	3	3	4	1	1	1	1	0	48	56100-177500
	मुख्य भाग (87%)	14	8	9	7	4	5	3	3	2	1					42	
	प्रावधिक भाग (13%)	6 (काल्पनिक)	-	-	6	-	2 (काल्पनिक)	-	-	2	-					6	

टीप :- सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार उपरोक्तानुसार विज्ञापित पदों का परीक्षा परिणाम दो भागों में मुख्य भाग एवं प्रावधिक रूप में घोषित किया जाना है, इस संबंध में विभाग द्वारा आयोग को प्रेषित पत्र क्रमांक एफ 4-3/2017/42-2, दिनांक 20.02.2023 के अनुसार मुख्य भाग तथा प्रावधिक रूप से घोषित होने वाले पदों का विवरण का उल्लेख भी उपरोक्त तालिका में किया गया है। उक्त पदों हेतु परीक्षा में चयनित प्रावधिक अभ्यर्थी साक्षात्कार में प्रावधिक रूप से ही सम्मिलित होंगे एवं माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने के उपरांत वह अपने संबंधित वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित) में रोके गए 13 प्रतिशत पद के विरुद्ध ही चयनित होंगे न की पूर्व घोषित हो चुके 87 प्रतिशत पद के विरुद्ध ।

आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम उपरोक्तानुसार विभाजन के आधार पर घोषित किए जाएंगे । अभ्यर्थियों द्वारा उक्त विभाजन को मान्य करते हुए आवेदन पत्र भरे जाएंगे तथा साक्षात्कार हेतु सफल अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार के पूर्व इस आशय का अभिवचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

दो पद का विवरण

(अ) पद का नाम : प्राचार्य प्रथम श्रेणी

(ब) अर्हता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मण्डल या बोर्ड से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।

(स) अनुभव : किसी तकनीकी शिक्षा या शासकीय/अर्द्धशासकीय, संगठन/निर्माण कार्य विभागों या भारत सरकार द्वारा यथा परिभाषित वृहद् एवं मध्यम उद्योगों में कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव। उपधि धारक के लिए 02 वर्ष तथा डिप्लोमा धारक के लिए 07 वर्ष ।

(द) कर्तव्य : संस्थाओं के लिए आवश्यक धन राशि की स्वीकृति, बजट अनुसार आहरण एवं संवितरण, संस्थाओं का प्रशासन विभागीय नियमानुसार संचालन।

(इ) श्रेणी तथा वेतनमान : प्रथम श्रेणी (अस्थायी पद) 67300 - 206900

(अ) पद का नाम : उपसंचालक

(ब) अर्हता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मण्डल या बोर्ड से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।

(स) अनुभव : किसी तकनीकी शिक्षा या शासकीय/अर्द्धशासकीय, संगठन/निर्माण कार्य विभागों या भारत सरकार द्वारा यथा परिभाषित वृहद् एवं मध्यम उद्योगों में कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव। उपाधि धारक के लिए 02 वर्ष तथा डिप्लोमा धारक के लिए 07 वर्ष ।

(द) कर्तव्य : संचालनालय एवं संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रशिक्षण, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का नियंत्रण, निरीक्षण, प्रवेश, परीक्षा, लेखा, बजट, शिक्षुता, योजना, स्थापना आदि से संबंधित कार्य।

(इ) श्रेणी तथा वेतनमान : प्रथम श्रेणी (अस्थायी पद) 67300 - 206900

(अ) पद का नाम : प्राचार्य द्वितीय श्रेणी

(ब) अर्हता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मण्डल या बोर्ड से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।

(स) अनुभव : डिप्लोमा धारक के लिये, किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा/प्रशिक्षण संस्थानों या किसी शासकीय/अर्द्ध शासकीय संगठन/निर्माण कार्य विभागों या भारत सरकार द्वारा यथा परिभाषित वृहद् एवं मध्यम उद्योगों में कार्य करने का 05 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव।

(द) कर्तव्य : संस्थाओं के लिए आवश्यक धन राशि की स्वीकृति, बजट अनुसार आहरण एवं संवितरण, संस्थाओं का प्रशासन, विभागीय नियमानुसार संचालन।

(इ) श्रेणी तथा : प्रथम श्रेणी (अस्थायी पद)

वेतनमान 56100 - 177500

(अ) **पद का नाम : सहायक संचालक (तकनीकी)**

(ब) अर्हता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मण्डल या बोर्ड से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।

(स) अनुभव : डिप्लोमा धारक के लिये, किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा/प्रशिक्षण संस्थानों या किसी शासकीय/अर्द्ध शासकीय संगठन/निर्माण कार्य विभागों या भारत सरकार द्वारा यथा परिभाषित वृहद् एवं मध्यम उद्योगों में कार्य करने का 05 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव।

(द) कर्तव्य : संचालनालय एवं संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रशिक्षण, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का नियंत्रण, निरीक्षण, प्रवेश, परीक्षा, लेखा, बजट, शिक्षुता, योजना, स्थापना आदि से संबंधित कार्य।

(इ) श्रेणी तथा : प्रथम श्रेणी (अस्थायी पद)
वेतनमान 56100 - 177500

तीन (i) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। किन्तु पदों की संख्या में वृद्धि केवल परीक्षा के परिणाम के पूर्व तक ही की जा सकेगी। पदों में वृद्धि की स्थिति में कोई अतिरिक्त आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे तथा सभी पदों हेतु केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि ऑनलाइन आवेदन-पत्र जमा किया है।

(ii) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

(iii) किसी भी प्रवर्ग में मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।

(iv) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है अत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिला तथा दिव्यांगजन को देय आरक्षण एवं आरक्षण तथा आयु सीमा की छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित अभ्यर्थी के रूप में मान्य किए जाएंगे। मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर में आने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य लाभ देय नहीं होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर में न आने के संदर्भ में परिशिष्ट-2 में यथा विनिर्दिष्ट अभिवचन-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(v) मध्यप्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

चार **आयु सीमा:** आयु सीमा- 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, परंतु 40 वर्ष पूर्ण न की हो ।

पाँच **आयु संगणना तिथि 01.01.2024 होगी।**
अधिकतम आयु सीमा में दी गयी छूट के लिए परिशिष्ट -1 देखें।

छ: **मध्यप्रदेश सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान हैं तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता हैं, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

सात **महत्वपूर्ण :-** ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का गहन अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें की उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है या नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गयी कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी उम्मीदवारी/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

आठ **अधिवार्षिकी आयु :- 62 वर्ष**

नौ **चयन प्रक्रिया :-**
इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की OMR आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन परिणाम, परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा आयोजन से संबंधित समस्त जानकारियां, परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम, परीक्षा तिथि एवं प्रवेश-पत्र उपलब्धता तिथि आदि यथासमय आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग के पास चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस **आवेदन प्रक्रिया :-** उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट-2 का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएँ, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** एवं रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे । अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी । अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं की प्राप्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें ।

बारह **कोविड-19 के संदर्भ में अभ्यर्थियों द्वारा केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा यथासमय जारी दिशानिर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।**

तेरह विज्ञापन के प्रकाशन में हुई किसी भी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि में सुधार करने के लिए आयोग का सर्वाधिकार सुरक्षित है।

अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-
(i) आयु सीमा की छूट परिशिष्ट-1
(ii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के निर्देश तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां परिशिष्ट-2
(iii) ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश परिशिष्ट-3
(iv) अनुभव प्रमाण-पत्र हेतु निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट-4

सचिव

परिशिष्ट - 1

आयु सीमा में छूट

(एक) उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/दिव्यांगजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

तथा

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अत: उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

* ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-
भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप :- (1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यो/योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे।
(सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट :- (01) उपरोक्त परिशिष्ट–''एक'' में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात् जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

(03) जिस आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं उन्हें आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी किन्तु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

(तीन) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पि. वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात् जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

परिशिष्ट - 2

आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

1. उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे
1. mppsc.mp.gov.in 2. www.mppsc.mp.gov.in

2. अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधाधारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

3. अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्कैन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह आवश्यक सुनिश्चित कर लें कि आवेदन-पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।

फोटो स्कैनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-
1. स्कैनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
2. फोटो खिचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्मे का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टत: दिख रही हों।
4. टोपी हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं हैं। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं, किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफेद हो।
6. किसी और से अपनी फोटो खिचवाएं। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।

4. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

5. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अत: ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व एक बार पुन: अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र

सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।

6. आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात् **उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी तत्समय ही Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगें। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमे उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "Proceed for Payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

7. **त्रुटि सुधार सुविधा :-** अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 07.04.2023 से 04.05.2023 (दोपहर 12:बजे) तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। **नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।** अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क 500 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु 250 निर्धारित है अत: आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपए 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

8. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें की उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

2. **परीक्षा हेतु तथा आवेदन तथा परीक्षा शुल्क**

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
₹ 250/-	₹ 500/-

टीप : आयोग को प्राप्त शुल्क केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में वापस किया जाएगा।

3. **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि**

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 02.05.2023 है। अंतिम तिथि को दोपहर 12:00 बजे के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :- दूरभाष :- हेल्पलाइन – 0755-6720220 तथा 0755-6720221

4. अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नही करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्युलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षो/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :- दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखनुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा |

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं--------------------- आयोग के मध्यप्रदेश शासन के तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार विभाग अंतर्गत तकनकी पदों की पूर्ति के विज्ञापन क्रमांक 01/2023 दिनांक 13.03.2023 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। मैं निम्नानुसार घोषणा करता रहा/रही हूँ।

1. मैं-----------------पुत्र/पुत्री श्री-------------------------- निवासी ग्राम/कस्बा/शहर/------------- जिला ------------,मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं--------- जाति का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।
2. मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात् क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ।

दिनांक :- --------------- हस्ताक्षर-----------------------------

नाम-----------------------------------

रोल नंबर----------------------------

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

कार्यरत/छंटनी किए गए शासकीय सेवकों हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

अनुभव प्रमाण-पत्र :- पदों हेतु प्रावधानित अनुभव हेतु अनुभव प्रमाण-पत्र परिशिष्ट 4 में दिए गए प्रारूप में संलग्न करें। अन्य किसी प्रारूप में/प्रकार के अनुभव प्रमाण-पत्र अमान्य किए जाएंगे।

5. जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।

6. **अनुशासनिक निर्देश :-**

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या

02 प्रतिरूपण किया हो; या

03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हो, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

05 ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हो; या

06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या

07 परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या

08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हों या धमकाया हो या शारीरिक छति पहुंचाई हो; या

09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित है, अतिक्रमण किया हो; या

10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है अनर्ह ठहरा सकेगा।
और/या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. **अनर्हताएं :-**

ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8. **परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-**

01 परीक्षा का परिणाम केवल "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।

02 परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अत: सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबन्धित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमे प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।

03 साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वयंमेव समाप्त हो जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

9. **यात्रा व्यय का भुगतान :-**

(अ) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के

अभ्यर्थी जो कही सेवारत न हों, को परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।

(ब) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(स) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबंधित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो ।

(द) **अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना होगा। साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्कैन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।**

(इ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।

(फ) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

परिशिष्ट - तीन

ऑप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश

टीप - ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन ऑप्टिकल स्कैनर/कम्प्यूटर द्वारा किया जाएगा अतः ओ.एम.आर. शीट का उपयोग नीचे बताई गई बातों पर आवश्यक ध्यान रखते हुए अत्यन्त सावधानी पूर्वक करें।

1. आप अपने साथ परीक्षा कक्ष में कम से कम दो काले बाल प्वाइंट पेन अवश्य लाएं।
2. गोले भरने के लिए केवल काला बाल प्वाइंट पेन का ही उपयोग करें। गोलों को पूरी तरह गहरा काला करें, अधूरा अस्पष्ट या हल्का काला करने पर ओ.एम.आर. शीट स्कैनर द्वारा जांची नहीं जा सकेगी।
3. ओ.एम.आर.शीट पर किसी प्रकार का रफकार्य न किया जाए। इस कार्य के लिए प्रश्नपत्र पर अलग से स्थान निर्धारित है, उस स्थान का ही उपयोग करें ।
4. ओ.एम.आर. शीट अत्यन्त सावधानीपूर्वक रखें। उसे किसी तरह से मोड़ा या काटा न जाए और किसी प्रकार से गंदी न की जाए अन्यथा कम्प्यूटर/ऑप्टिकल स्कैनर उसे रद्द कर देगा।
5. उत्तर देना प्रारंभ करने के पहले सुनिश्चित कर लें कि ओ.एम.आर. शीट पर सभी प्रविष्टियां सही रूप से की गई हैं। अभ्यर्थी द्वारा उसे प्रदत्त प्रश्न पत्र सेट ए.बी.सी.डी. अंकन न करने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा ।
6. आपको प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के सामने का केवल एक ही गोला काला करना है। एक से अधिक गोले को काला करने पर या गोलों को हल्का, अस्पष्ट या अधूरा काला करने पर या किसी अन्य पेन्सिल या स्याही से काला करने पर किसी अन्य तरीके से कोई निशान जैसे (✓) या (x) लगाने पर ओ.एम.आर. शीट कम्प्यूटर/ऑप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी नहीं जाएगी।
7. **ओ.एम.आर. शीट पर उत्तर अंकन के लिए - सामान्य निर्देश :**

(अ) प्रश्नों के उत्तर: ओ.एम.आर. शीट पर यथास्थान उत्तर अंकित करने के अनुदेश दिए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ओ.एम.आर. शीट पर आवश्यक संख्या लिखी है। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने क्रमशः 4 गोले ए.बी.सी.डी. बने हैं। प्रश्नपत्र में प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर ए.बी.सी.डी. दिए हैं। इनमें से एक सही उत्तर चुनकर संबंधित प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने बने गोलों में से केवल एक गोला काले बाल पाइन्ट पेन से गहरा काला करें। एक से अधिक गोलों को काला करने पर प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

OMR Sheet में उत्तर अंकित कर उसे काटने/मिटाने/व्हाइटनर लगाने से उक्त प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

(ब) ओ.एम.आर. शीट के सामने के पृष्ठ पर अपना नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा तिथि, प्रश्नपत्र कोड आदि भरने के लिए बने खानों में प्रविष्टि के लिए काले बाल पेन का उपयोग करें। प्रश्न पत्र A,B,C,D सेट में से कोई एक ही सेट दिया जाएगा। अपने सेट का कोड क्रमांक सावधानी से नियत स्थान पर भरें एवं सेट के गोले को काले पेन से काला करें।

(स) हस्ताक्षर - ओ.एम.आर. शीट पर निर्धारित स्थान पर बाल पेन से हस्ताक्षर करें।

(द) **ओ.एम.आर. शीट के पीछे के पृष्ठ पर अनुक्रमांक, प्रश्नपत्र कोड के कॉलम के गोलों में प्रविष्टि करने के लिए काला बाल प्वाइंट पेन का उपयोग कर संबंधित क्रमांक के गोले को काला करें। अभ्यर्थी उसे आवंटित 'प्रश्न पत्र के सेट कोड ध्यान से देखें तथा सेट की जानकारी सुनिश्चित होने के पश्चात ही प्रश्न पत्र के सेट कोड के गोले को अत्यंत सावधानी से काला करें। इसी काले किए गए कोड (ABCD के गोले) के आधार पर ही उत्तरशीट का मूल्यांकन किया जाएगा। सेट कोड गलत भरने पर त्रुटि सुधार नहीं होगा। मूल्यांकन अभ्यर्थी द्वारा भरे गए सेट कोड की उत्तर कुंजी के आधार पर होगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा । आवश्यक प्रविष्टियां सही स्थान पर उचित रूप से न भरने पर अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य नहीं किया जाएगा।**

8. **रोल नम्बर की प्रविष्टि (चित्र एक)**

रोल नं. चित्र 1

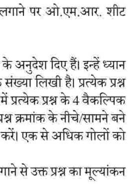

रोल नम्बर के खाने में बायें से दायें 1 से 6 तक स्तम्भ हैं। पहला स्तम्भ का लाख का, दूसरा स्तम्भ दस हजार का, तीसरा स्तम्भ हजार का, चौथा स्तम्भ सैकड़े का, पांचवां स्तम्भ दहाई का एवं छठा स्तम्भ इकाई का है। इनके नीचे 0 से 9 अंक लिखे हुए गोले हैं। इन्हीं में आपको अपने रोल नम्बर भरना है। उदाहरणार्थ यदि आपका रोल नं. 684021 है तो आप पहले ऊपर की लाइन में चौकोर खानों में दर्शाए अनुसार रोल नम्बर काला बाल प्वाइंट पेन से लिखें तत्पश्चात पहले स्तम्भ के गोले क्रमांक 6, दूसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 8, तीसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 4, चौथे स्तम्भ के गोले क्रमांक 0, पांचवे स्तम्भ के गोले क्रमांक 2 तथा छठे स्तम्भ के गोले क्रमांक 1 को काला बाल प्वाइंट से गहरा काला करें।

अनुक्रमांक के गोले न भरने पर या गलत भरने पर **OMR** का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अंकों में तथा गोले भरने में भिन्नता होने पर भी ओ.एम. आर शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

परीक्षार्थियों हेतु निर्देश एवं अनुदेश :

निम्नलिखित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के उपरांत ही परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हों। निर्देशों एवं अनुदेशों का पालन न करने पर परीक्षार्थी आयोग द्वारा निर्धारित दंड का भागी होगा।

एक - प्रवेश

01 परीक्षा में परीक्षार्थी को दिया गया प्रवेश नितांत प्रावधिक है।

02 परीक्षा नियत समय पर प्रारंभ होगी। केन्द्राध्यक्ष की घड़ी का समय ही प्रामाणिक मानकर परीक्षा संचालन किया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

03 परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र तथा मान्य फोटोयुक्त परिचय-पत्र आवश्यक रूप से अपने साथ रखें।

04 परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी की जांच की जाएगी। परीक्षार्थी अपने साथ केवल दो काले बाल प्वाइंट पेन, प्रवेश-पत्र एवं मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर आएं। इसके अतिरिक्त मोबाइल, केलक्युलेटर, पेजर एवं किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है।

दो - निर्गमन

01 सामान्यतः परीक्षार्थी को परीक्षा की अवधि में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीक्षक से विशेष अनुमति लेकर उनकी निगरानी में ही बाहर जाया जा सकेगा।

02 किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् एक घंटे तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भले ही उसने प्रश्नपत्र हल कर लिया हो।

03 प्रश्नपत्र हल करने के पश्चात् केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक द्वारा ओ.एम.आर. शीट एकत्रित किए जाने के उपरांत वीक्षक की अनुमति से ही परीक्षार्थी परीक्षा भवन छोड़ेगा। ओ.एम.आर. शीट सहित कक्ष से बाहर जाने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा ।

04 निर्धारित समय समाप्त होने के उपरांत किसी भी परीक्षार्थी को अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा (केवल दृष्टिबाधित तथा ऐसे अस्थिबाधित जो दोनों ही हाथों से लिखने में असमर्थ हैं तथा वे जिन्होंने सहलेखक की सुविधा ली है, ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में 20 मिनट प्रति घण्टा अतिरिक्त समय दिया जाएगा ।

निर्धारित समय के उपरांत कोई भी परीक्षार्थी न तो लिखे उत्तरों में कोई संशोधन करेगा और न ही शेष रहे प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेगा।

तीन - ओ.एस.आर. शीट पर नाम और अनुक्रमांक :-

ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना नाम और अनुक्रमांक लिखें। ओ.एम.आर. शीट के अन्य किसी भी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और न ही पता अंकित करें। ओ.एम.आर. शीट के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना वर्जित है। ओ.एस.आर. शीट पर पेंसिल, रबर एवं व्हाइटनर का उपयोग करने या अभ्यर्थी के पास कक्ष में पांए जाने पर अनुचित साधन का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। ओ.एम.आर. शीट में (आपको दिए गए A, B, C, D प्रश्न पत्र सेट में से कोई एक सेट मिलेगा) प्रश्नपत्र का सेट अवश्य लिखें एवं सेट के गोले को काले पेन से अनिवार्यत: काला करें। आपके द्वारा प्रश्नपत्र सेट के गोले को काला करने पर ही उक्त सेट की उत्तर कुंजी से ही ओ.एम.आर. शीट मूल्यांकन होगा। जैसा चित्र में सेट- B को काला किया है। सेट का गोला काला नहीं करने पर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

चित्र- चार

A	○
B	●
C	○
D	○

उत्तर अंकित करने हेतु अनुदेश -

1. केवल काली स्याही वाले बॉल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें।
2. प्रत्येक प्रश्न का उत्तर - पत्र में दिए गए प्रश्न क्रमांक के सामने संबद्ध गोले को काला करें।
3. प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु केवल एक ही गोले को गहरा काला करना है, जैसे नीचे दिखाया गया है :-

4. पूरे गोले को गहरा काला कीजिए।
5. उत्तर के लिए दिए गए गोले को काला कीजिए एक से अधिक गोले काले करने/चिह्न (.) होने पर भी उत्तर मान्य नहीं होगा।
6. उत्तर पत्र पर कच्चा काम करना मना है। इस काम के लिए प्रश्न पत्र के अंत में खाली जगह का ही उपयोग कीजिए ।
7. प्रश्न-पत्र के सेट के गोले को अत्यंत सावधानी से काला करें। उत्तर-पत्र में काले किए गए सेट के गोले के आधार पर ही उसे जांचा जाएगा। गलत गोला काला करने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
8. अभ्यर्थी अगर प्रश्न पुस्तिका सेट का गोला नहीं भरता है, तो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा एवं वह अयोग्य माना जाएगा।
9. अभ्यर्थी अगर अपने अनुक्रमांक के गोले नहीं भरता है, तो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा एवं वह अयोग्य माना जाएगा।
10. अभ्यर्थी अपनी ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका कक्ष के बीक्षक को ही जमा करें।
11. अभ्यर्थी अगर अपनी ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका पर उत्तर के गोले भरने/मिटाने के लिए यदि पेंसिल/व्हाइटनर का उपयोग करता है, तो नकल का प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

चार - अनुचित साधन :-

परीक्षा हॉल/कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण जैसे- मोबाइल, वॉच, डिजिटल डायरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पेजर, केल्कुलेटर आदि तथा पेंसिल, रबर व्हाइटनर जैसी सामग्री के साथ पाया जाता है, तो अनुचित साधन का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। उनके पास कम्पास, स्केल या पॉकेट में कोई अवांछित सामग्री, कोई पुस्तक या कागज जो परीक्षा में प्रश्नपत्र हल करने में सहायक हो। अभ्यर्थी के पास पाए जाने पर नकल प्रकरण दर्ज होगा।

परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग सर्वथा वर्जित व दण्डनीय है। परीक्षा भवन में अपने साथ कोई भी लिखित या कोरा कागज, पुस्तक, वस्तु, टीप विशेषकर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा अन्य वर्जित वस्तुएं आदि लाना अनुचित साधनों के प्रयोग में सम्मिलित माना जाएगा। इसी प्रकार परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से चर्चा करना, उसकी ओ.एम.आर. शीट से नकल करना अथवा अपनी शीट से अन्य परीक्षार्थी को नकल करवाना, किसी अन्य परीक्षार्थी से ओ.एम.आर. शीट बदलना, परीक्षा भवन में जोर-जोर से बोलना, किसी भी प्रकार की सांकेतिक भाषा अथवा किसी प्रकार भव-भगिमा से अन्य परीक्षार्थी को किसी प्रश्न का उत्तर बताना अथवा किसी अन्य परीक्षार्थी से किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का कोई प्रयास करना या किसी कागज पर प्रश्न पत्र की नकल करना भी अनुचित साधनों के प्रयोग के अन्तर्गत माना जाएगा। परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी द्वारा दी गई परीक्षा को निरस्त किया जा सकेगा, उसे परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा तथा साथ ही उसे आगामी ऐसी अवधि के लिए जो आयोग उचित समझे आयोग की सभी परीक्षाओं, अन्य प्रदेशों के आयोगों की परीक्षा एवं साक्षात्कारों से वंचित किए जाने का दण्ड भी दिया जा सकेगा।

परीक्षा की गोपनीयता :- परीक्षा पूर्व/दौरान/पश्चात प्रश्न-पत्र की गोपनीयता के भंग होने की किसी भी गतिविधि में लिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों/व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जा कर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

पांच - प्रश्न संबंधी शिकायत

प्रश्न से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत होने पर परीक्षार्थी परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के

निर्दिष्ट तिथियों पर 07 दिवस के अंदर निर्धारित शुल्क (100 रुपये प्रति प्रश्न तथा रुपये 40 प्रति सत्र पोर्टल चार्ज प्रथक से देय) आपत्ति शुल्क एवं पोर्टल चार्ज किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। जमा कर ऑनलाइन पद्धति से आपत्ति दर्ज कराए। परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर ऑनलाइन पद्धति से दर्ज शिकायतों पर ही विचार किया जाएगा। इसके पश्चात एवं अन्य किसी पद्धति से प्रस्तुत आवेदनों को नस्तीबद्ध किया जाएगा। आपत्ति दर्ज कराने पर देय शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। दर्ज आपत्तियाँ सही पाई जाने पर संशोधन का लाभ समस्त अभ्यर्थियों को प्राप्त होगा। भले ही उनके द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं की गई हो।

छः - ओ.एम.आर. शीट का लौटाना -

परीक्षार्थी परीक्षा के उपरान्त ओ.एम.आर. शीट कक्ष के वीक्षक को ही सौंपेंगे। परीक्षार्थी द्वारा किसी भी स्थिति में ओ.एम.आर. शीट परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना अथवा परीक्षा के उपरांत उसे वापस न दिया जाना गम्भीर अपराध माना जाएगा और इस हेतु उसके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

सात - ओ.एम.आर. शीट पर अनुक्रमांक अंकन व अन्य पूर्तियां

1. ओ.एम.आर. शीट पर नियत स्थान पर परीक्षार्थी अपना सही नाम और अनुक्रमांक शब्दों एवं अंकों में अंकित करें तथा परीक्षा का विषय कोड के सही गोले भरें। साथ ही प्रश्न पत्र सेट और भी अत्यंत सावधानी से भरें एवं सेट के गोले को काला करें। इस संबंध में दिए गए निर्देशों को गम्भीरता पूर्वक पढने के पश्चात ही आवश्यक प्रविष्टियां की जाएं।
2. ओ.एम.आर. शीट पर कोई दाग/चिह्न न लगने पाए, इस बात की सतर्कता बरतें।

आठ - प्रश्नपत्र पर अंकन

परीक्षार्थी प्रश्नपत्र पर भी अनुक्रमांक लिखें तथा रफ कार्य प्रश्नपत्र में दिए गए पृष्ठ पर ही करें इसके अतिरिक्त प्रश्नपत्र पर कुछ भी लिखना, प्रश्नपत्र की नकल करना या उसकी प्रति बनाना निषिद्ध होकर अनुचित साधन प्रयोग के समान दण्डनीय है।

नौ - उपस्थिति पत्रक

प्रत्येक प्रश्नपत्र के समय परीक्षा कक्ष में वीक्षक के समक्ष परीक्षार्थी तिथि सहित अपने हस्ताक्षर करें। यह हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर के अनुरूप हों। हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम भी लिखें।

दस - दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु सहलेखक संबंधी नियम

अ. अभ्यर्थियों का विवरण जिन्हें सुविधा प्रदान की जाएगी :-

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पाल्सी से दिव्यांगजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तम (स्पेस्टिक) डाइसलेक्सिक पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हों, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. आकस्मिक दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो ओर इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
5. उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों को सहलेखक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

ब. प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जाएगी। उपरोक्त सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं घोषणा-पत्र सहित परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व संबंधित परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत करना होगी ताकि नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके। अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी। लेखन सहायक से घोषणा-पत्र भरवाया जाएगा।

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की अर्हता से कम होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शैक्षणिक अर्हता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता स्नातक से कम होना चाहिए। (अर्थात् स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए) यदि किसी पद की परीक्षा की शैक्षणिक अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि है तो सहलेखक की योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि से कम होनी चाहिए (अर्थात् स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए)

(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :-

ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें उपरोक्तानुसार सहलेखक की सुविधा प्रदान की गई है, निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए 60 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए 40 मिनट

स. इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएं :-

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जाएगा।

द. अभ्यर्थी को पात्र सहलेखक साथ में लेकर परीक्षा हेतु आना होगा। आयोग/केन्द्राध्यक्ष द्वारा सहलेखक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

टीप :-
1. उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त दिव्यांगजन सम्बन्धित अन्य किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण एवं निर्णय लिए जाने हेतु आयोग के सर्वाधिकार सुरक्षित रहेंगे।
2. दिव्यांगजन श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें सहलेखक एवं भूतल पर बैठने की व्यवस्था की आवश्यकता है वे अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उक्त आवश्यकताओं की प्रविष्टि करेंगे। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आकस्मिक दुर्घटना एवं बीमारी के मामलों को छोड़कर अन्य मामलो में अभ्यर्थियों को उक्त सुविधाएं उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के आधार पर ही देय होगी।

ग्यारह - विविध :

1. परीक्षार्थियों को किसी भी प्रश्नपत्र में ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेन्सिल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और परीक्षार्थी स्वयं भी ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेन्सिल परीक्षा भवन में नहीं लाएंगे।
2. परीक्षार्थियों को अपने साथ पेंसिल, व्हाइटनर, डिजिटल डायरी, वॉच, केल्क्यूलेटर, सेल्युलर फोन, पेजर तथा अन्य Electronic Gadgets लाना वर्जित हैं। उपरोक्त वर्जित वस्तुएं अभ्यर्थी के पास पाए जाने पर अनुचित साधन प्रकरण अंतर्गत नकल प्रकरण बनाया जाएगा।

बारह - परीक्षार्थी ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्नपत्रों पर दी गई समस्त सूचनाएं/निर्देश एवं अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़ें व अनिवार्यतः उनका पालन करें।

तेरह - अनुशासन व शालीनता :

1. परीक्षा कक्ष में धूम्रपान करना/अशिष्ट, अनर्गल वार्तालाप करना पूर्णतः निषिद्ध व दण्डनीय है।
2. परीक्षा परिसर में एवं भवन के अन्दर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है।
3. परीक्षा भवन के फर्नीचर अथवा केन्द्र पर की गई अन्य व्यवस्था को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जाना चाहिए। यह दण्डनीय है।
4. यदि परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा अशिष्ट आचरण करता है अथवा अनुचित या अशोभनीय या अशालीन व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा। उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी तथा वह ऐसे अन्य दण्ड का भी भागी होगा जो आयोग उचित समझे। केन्द्राध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे परिक्षार्थियों के नाम गोपनीय ढंग से आयोग को सूचित किए जाए। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण में होगा।

परिशिष्ट - 4

तकनीकी शिक्षा/प्रशिक्षण संस्थान/शासकीय/अर्द्धशासकीय संगठन/निर्माण कार्य विभाग/भारत सरकार द्वारा यथा परिभाषित वृहद एवं मध्यम उद्योग (जो भी लागू हो)

दूरभाष क्रमांक...ईमेल का पता...

अनुभव प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. आत्मज/आत्मज श्री/श्रीमती.....................................आयु......................वर्ष, मेरे तकनीकी शिक्षा/प्रशिक्षण संस्थान/शासकीय/अर्द्धशासकीय संगठन/निर्माण कार्य विभाग/भारत सरकार द्वारा यथा परिभाषित वृहद एवं मध्यम उद्योग (जो लागू हो)..............................(नाम एवं पूर्ण पता) जो कि........................... द्वारा मान्यता प्राप्त है, में पूर्णकालिक रोज़गार में...................................पद पर दिनांक....................से दिनांक.................तक वेतनमान रुपये.........................में कुल वेतन रुपये ....में कार्यरत हैं/कार्यरत रहे हैं। वर्तमान में उनका वेतन रुपये.........................प्रतिमाह है। इन्हें .... पद पर कार्य करने का.............वर्ष का व्यवहारिक अनुभव (Practical Experience) प्राप्त है।

मेरे तकनीकी शिक्षा/प्रशिक्षण संस्थान/शासकीय/अर्द्धशासकीय संगठन/निर्माण कार्य विभाग/भारत सरकार द्वारा यथा परिभाषित वृहद एवं मध्यम उद्योग...........................(नाम एवं पूर्ण पता) का पंजीयन क्रमांक............ जीएसटी नं. ....तथा इनकम टैक्स टेन (TAN) नं. .... (जो भी लागू हों) है।

श्री/श्रीमती/कुमारी..............................को उनकी नियुक्ति दिनांक से समस्त सेवा अवधि में भुगतान किए गए वेतन तथा भत्तों के अभिलेख संस्थान/विभाग/कार्यालय में उपलब्ध है।

स्थान............................ **हस्ताक्षर जारीकर्ता ....**
दिनांक.......................... **नाम ....**
पदनाम ....

जी-24571/48282/2023 **संस्थान/विभाग/कार्यालय की सील/मुद्रा**

कार्यालय अतिरिक्त परियोजना संचालक
लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई
निर्माण भवन, प्लाट नं. 27-28, अरेरा हिल्स, भोपाल

एनआईटी नं. - 33/2022/निविदा/सा/पीडी/ **भोपाल, दिनांक : 10.03.2023**

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रण की जाती है :–

स.क्र. एवं कार्य का नाम :– 1. हरणगांव जिला देवास में उपतहसील (टप्पा) कार्यालय भवन का निर्माण कार्य।

पोर्टल टेंडर क्र.	जिला	ठेके की अनु. राशि (पीएसी) (रु. लाख में)	अमानत राशि (ईएमडी) (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह में वर्षाकाल सहित)
2023_PWPIU_259520_1	देवास	87.70	87700	10000	10 माह वर्षाकाल सहित

स.क्र. एवं कार्य का नाम :– 2. पिपलरांवा जिला देवास में उपतहसील (टप्पा) कार्यालय भवन का निर्माण कार्य।

2023_PWPIU_259526_1	देवास	87.70	87700	10000	10 माह वर्षाकाल सहित

स.क्र. एवं कार्य का नाम :– 3. खातेगांव जिला देवास में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय भवन का निर्माण।

2023_PWPIU_259522_1	देवास	92.48	92480	10000	10 माह वर्षाकाल सहित

स.क्र. एवं कार्य का नाम :– 4. बागली जिला देवास में संयुक्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय भवन (तहसील, उपकोषालय, उपपंजीयक, पटवारी हॉल एवं मल्टीपरपज हॉल) का निर्माण कार्य।

2023_PWPIU_259532_1	देवास	792.29	792290	20000	18 माह वर्षाकाल सहित

स.क्र. एवं कार्य का नाम :– 5. सोनकच्छ जिला देवास में संयुक्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय भवन (तहसील, उपकोषालय, उपपंजीयक, पटवारी हॉल एवं मल्टीपरपज हॉल) का निर्माण कार्य।

2023_PWPIU_259536_1	देवास	792.29	792290	20000	18 माह वर्षाकाल सहित

स.क्र. एवं कार्य का नाम :– 6. रेनोवेशन/अपग्रेडेशन/ऐडिशनल न्यू कंस्ट्रक्शन वर्क्स इन गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेन्डरी स्कूल एट पंचमढ़ी डिस्ट्रिक्ट नर्मदापुरम् अंडर सी.एम. राइज स्कूल स्कीम (द्वितीय आमंत्रण)।

2023_PWPIU_260484_1	नर्मदापुरम्	3082.28	1541140	50000	18 माह वर्षाकाल सहित

स.क्र. एवं कार्य का नाम :– 7. पीआईयू राजगढ़ में बालक हायर सेकेण्डरी स्कूल राजगढ़ एवं मॉडल स्कूल जीरापुर में पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण के लिये परामर्श एवं गुणवत्ता नियंत्रण के लिये परामर्श सेवाएं।

2023_PWPIU_260191_1	राजगढ़	7276.00	145520	12500	24 माह वर्षाकाल सहित

स.क्र. एवं कार्य का नाम :– 8. पीआईयू राजगढ़ में सीएम राइज योजनांतर्गत उत्कृष्ट हायर सेकेण्डरी स्कूल नरसिंहगढ़ एवं उत्कृष्ट हायर सेकेण्डरी स्कूल ब्यावरा में पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण के लिये परामर्श सेवाएं

2023_PWPIU_260201_1	राजगढ़	8723.00	174460	12500	24 माह वर्षाकाल सहित

1. निविदा से संबंधित बिड डॉक्यूमेंट वेबसाइट **http://mptenders.gov.in** पर बिना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सकेंगे।
2. निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑनलाइन पोर्टल पर क्रेडिट/डेबिट/कैशकार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकेगा।
3. निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाइन दिनांक 10.03.2023 समय 10.30 से दिनांक 27.03.2023 समय 05.30 तक खरीदा जा सकेगा। सूचना व अन्य जानकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
4. निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त वेबसाइट पर ही दर्ज किये जायेंगे, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

अतिरिक्त परियोजना संचालक
(मुख्य अभियंता)
लो.नि.वि. पी.आई.यू. भोपाल

जी-24651/48310/2023

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग - मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक संचालक/जिला सांख्यिकी अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 05/2023/13.03.2023	ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31.05.2023 दोपहर 12:00 बजे तक	आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 07.06.2023

महत्वपूर्ण

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग हेतु सहायक संचालक/जिला सांख्यिकी अधिकारी के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार है:-

   अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता -

   1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र - सांख्यिकी, वाणिज्य या कृषि अर्थशास्त्र/सांख्यिकी में से किसी एक विषय में दितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।
   2. क्षेत्रिय नियोजन एवं आर्थिक विकास में स्नातकोत्तर उपाधि धारकों को अधिमान्यता दी जाएगी।

   रोज़गार पंजीयन -

   (क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश **दिनांक 08.03.2022** के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।

   (ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

   (ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।

2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे आवेदन पत्र **दिनांक 01.05.2023 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 31.05.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in,** तथा **mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकते हैं।
3. आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने तथा आवेदन शुल्क का भुगतान करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त करें तथा आवेदन पत्र में उल्लेखित भुगतान विवरण से यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क भुगतान हो चुका है। उक्त ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ अपनी अर्हता से संबंधित सभी अभिलेखों तथा अनुप्रमाणन-पत्रक, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक एवं उपस्थिति-पत्रक **(आयोग की वेबसाइट https://mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध)** की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न कर आयोग कार्यालय में **दिनांक 07.06.2023 तक** जमा कराएं। **आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट-2 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें एवं तद्नुसार पर्याप्त समय पूर्व आवेदन-पत्र भरें।**
4. आवेदक ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। **ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में दिनांक 08.05.2023 से दिनांक 02.06.2023 तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा।** इस हेतु प्रति सुधार सत्र रु. 50/- त्रुटिसुधार शुल्क देय होगा। आवेदक त्रुटिसुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन अमान्य किए जाएंगे तथा आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनाएँ, परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **https://mppsc.mp.gov.in** में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही आवश्यक होने पर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिए गए e-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर e-mail तथा SMS Alert भी प्रेषित किए जाएंगे। अत: आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करें।
6. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है, वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है। जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अत: अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे विभाग को अपनी शिकायत अग्रेषित कर सकते हैं।
7. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें।
8. कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।
9. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
10. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टत: परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना विवर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
11. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित अभ्यर्थियों को परीक्षा में आने-जाने का नियमानुसार भुगतान प्राप्त करने हेतु **Reimbursement** का वर्गीकरण प्रावधानित है। जिसके अनुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जाती है, अतएव इस संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
12. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य/दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, अतएव इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
13. **आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।**
14. **उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 25181/2019 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा।**

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से **योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन** के निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD
1.	सहायक संचालक/ जिला सांख्यिकी अधिकारी	2	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
टीप :- (1)	**अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु पद उपलब्ध न होने के कारण वे अनारक्षित श्रेणी हेतु विचारित किए जाएंगे एवं उन्हें आयु-सीमा में देय छूट का लाभ भी प्रदान नहीं किया जाएगा। उनकी पात्रता श्रेणी अनारक्षित रहेगी।**															

दो **पद का विवरण**

01	**पद का नाम**	:	सहायक संचालक/जिला सांख्यिकी अधिकारी
	विभाग का नाम	:	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
	श्रेणी	:	राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी)
	पद स्थिति	:	स्थायी
	वेतनमान	:	56100-157700
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	विभिन्न आधारभूत संमकों का संकलन, मूल्यांकन, विश्लेषण आदि के द्वारा सामाजिक, आर्थिक स्थिति का स्पष्ट एवं वास्तविक चित्रांकन।

तीन **शैक्षणिक अर्हता :**

अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र - सांख्यिकी, वाणिज्य या कृषि अर्थशास्त्र/सांख्यिकी में से किसी एक विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।
2. क्षेत्रिय नियोजन एवं आर्थिक विकास में स्नातकोत्तर उपाधि धारकों को अधिमान्यता दी जाएगी।

विशेष :

(1) उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की **अंतिम तिथि 31.05.2023 तक** अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।

(2) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/

पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबन्धित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख संलग्न करना भी अनिवार्य है।

टीप-

(1) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा परीक्षा की स्थिति में परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(2) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

(3) मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में विहित छूट तथा यात्रा-व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

(6) जिस श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं वे अनारक्षित पदों के विरुद्ध विचारित किए जाएंगे।

चार **मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

पांच **महत्वपूर्ण :-** यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अत: आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छ: **आयु सीमा :** 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

आयु सीमा में छूट : मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अत: सभी अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष होगी। आयु सीमा में अन्य कोई छूट देय नहीं होगी।

सात **आयु संगणना तिथि 01.01.2024**

आठ **अधिवार्षिकी आयु :- 62 वर्ष**

नौ **चयन प्रक्रिया :-**

चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। अभ्यर्थियों की संख्या 500 से कम होने की स्थिति में अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विज्ञापित पदों हेतु 24 तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों।

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा। अनारक्षित तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु 41% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे।

टीप:-

(1) अभ्यर्थियों की संख्या 500 से अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

(2) लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस **आवेदन प्रक्रिया :-** उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु इस विज्ञापन के **परिशिष्ट** का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने सही ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

(i) आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट-1**

(ii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के निर्देश तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-2**

सचिव

परिशिष्ट-1

आयु सीमा में छूट

विज्ञापन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु पद आरक्षित नहीं होने से उन्हें आयुसीमा में छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।

(एक) **उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें**

प्रोत्साहनस्वरूप दी गयी छूट

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप :- **(1) परिशिष्ट-1** (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहनस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

नोट :- (01) उपरोक्त परिशिष्ट – ''एक'' में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

(03) जिस आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं उन्हें आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी किन्तु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

(तीन) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पि.वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों कि अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

परिशिष्ट-2

ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. **ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-**

1 . उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे

1. www.mponline.gov.in

2. mppsc.mp.gov.in

2. आवेदक mponline के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरकर कियोस्क पर ही आवेदन/परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें तथा आवेदन-पत्र की भलीभांति जांच कर सुनिश्चित कर लें कि भुगतान हो चुका है। mponline के अधिकृत कियोस्कों की सूची **www.mponline.gov.in** तथा **mppsc.mp.gov.in** पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।

3. आवेदक अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक आवेदक नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

4. आवेदक फॉर्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें, जिन्हें ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड करना होगा। mponline के अधिकृत कियोस्क पर स्केनिंग की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध है, जिसका उपयोग किया जा सकता है।

फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-

1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
2. फोटो खिचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्में का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टत: दिख रही हों।
4. टोपी, हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं हैं। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं, किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफेद हो।
6. किसी और से अपनी फोटो खिचवाएं। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।

5. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें। आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध अनुदेशों तथा निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर तदनुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरें।

6. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह माना जाएगा कि आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फॉर्म में अंकित की जा रही है, वही प्रमाणिक जानकारी है, अत: ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन-पत्र submit करें।

7. आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुन: फॉर्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फॉर्म सब्मिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "proceed for payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा, जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा, जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done स्पष्टत: उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

8. **त्रुटि सुधार सुविधा :-** अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर **दिनांक 08.05.2023 से 02.06.2023 तक** प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा। मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु शुल्क रु. 250 तथा अन्य श्रेणियों हेतु रु. 500 निर्धारित है अत: छूट वाली श्रेणियों के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा गैर छूट श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपए 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु गैर छूट श्रेणी के अभ्यर्थियों के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा छूट श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

9. **आवेदन-पत्र प्रेषण के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-**
(1) आयोग की वेबसाइट **https://mppsc.mp.gov.in** के Download Format लिंक से अनुप्रमाणन फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक, एवं उपस्थिति-पत्रक डाउनलोड करके उनकी पूर्ति करें। पूर्ति पश्चात उक्त प्रपत्रों की क्रमश: तीन, छ: तथा एक छायाप्रति कराएं।
(2) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने तथा शुल्क भुगतान के पश्चात प्राप्त ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित भुगतान विवरण की जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क का भुगतान हो चुका है। यह भी जांच कर लें कि समस्त प्रविष्टियां सही हैं (त्रुटि होने पर विहित अवधि में त्रुटि सुधार कर लें **(देखें बिन्दु-8)**। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें। उक्त हस्ताक्षरित ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ अपने सभी अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें तथा साथ ही अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक, एवं उपस्थिति पत्रक की एक एक प्रति संलग्न करें। (प्रपत्रों की शेष प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखें क्योंकि उन्हें आपको साक्षात्कार के समय अपने मूल अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगा)
(3) एक बड़े लिफाफे पर निम्न विवरण अंकित कर उक्त सेट (आवेदन-पत्र तथा समस्त अभिलेख) इस बड़े लिफाफे में रखकर पंजीबद्ध डाक या स्पीड पोस्ट से आयोग को प्रेषित करें।

विज्ञापन क्रमांक 05/2023 दिनांक 13.03.2023
सहायक संचालक/जिला सांख्यिकी अधिकारी, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के पद हेतु आवेदन-पत्र

	प्रति,
	सचिव
प्रेषक :	मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
आवेदक का नाम	रेसीडेंसी एरिया
तथा पता	इंदौर (मध्यप्रदेश) पिन - 452001

(लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक, पद/विभाग का नाम अंकित न होने पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा)

(4) ध्यान रखें अभिलेखों सहित उक्त आवेदन-पत्र **दिनांक 07.06.2023 को सायंकाल 06:00 बजे तक** आयोग कार्यालय में पहुंचने पर ही समयावधि में प्राप्त माना जाएगा। आवेदन-पत्र उक्त दिनांक तथा समय तक समस्त कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय **(प्रात: 10:00 बजे से सायंकाल 06:00 बजे तक)** आयोग कार्यालय में भी प्राप्त किए जाएंगे तथा प्राप्ति की रसीद दी जाएगी। आवेदक आयोग को प्रेषित आवेदन-पत्र तथा अभिलेखों का एक सेट अपने पास सुरक्षित रखें।

10. विलंब से प्राप्त आवेदन-पत्र निरस्त किए जाएंगे तथा जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। **अत: आवेदक अंतिम तिथि की प्रतीक्षा करने के बजाय पर्याप्त समय पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र आयोग को प्रेषित करें।**

11. आवेदक यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

2. **आवेदन शुल्क**

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
रु. 250/-	रु. 500/-
उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त रु. 40/- (जीएसटी सहित) पोर्टल शुल्क देय होगा	
● **शुल्क वापसी :-** अपरिहार्य कारणों से विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन शुल्क वापसी आवेदन प्राप्त कर आवेदन शुल्क की राशि वापस की जाएगी किन्तु पोर्टल शुल्क की राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी।	

आवेदन शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य किसी राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो mponline से निम्न दूरभाष पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं :-

हेल्पलाइन – 0755-6720200

नोट : यदि आपको ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए दूरभाष नंबरों पर संपर्क करें :-
एम.पी.ऑनलाइन लिमिटेड, (मध्यप्रदेश शासन तथा टाटा कंसल्टेन्सी सर्विसेज का संयुक्त उपक्रम)
ऑफिस ब्लाक OB-14 से 17, चतुर्थ तल, डी.बी. सिटी कार्पोरेट पार्क,
अरेरा हिल्स, ज़ोन-1 के सामने, एम.पी. नगर, भोपाल-462011 हेल्पलाइन – 0755-6720200

3. **आवेदन की अंतिम तिथि**
ऑनलाइन आवेदन करने की **अंतिम तिथि 31.05.2023** है। अंतिम तिथि को **दोपहर 12:00 बजे** के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

4. **अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण-पत्रों की छायाप्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-**
आयु संबंधी प्रमाण के लिए :-
केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंक-सूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।
रोज़गार कार्यालय में पंजीयन का प्रमाण-पत्र :-
जिस श्रेणी के अभ्यर्थियों को जीवित रोज़गार पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, वे उपलब्ध होने पर संलग्न करें। उक्त प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :-
दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा।
शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण-पत्र :-
हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंकसूचियां एवं उपाधि।
शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :-
यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
जाति के प्रमाण-पत्र :-
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का स्थाई जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत है द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। विवाहित महिलाएं विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र संलग्न करें। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र संलग्न करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं--------------------- आयोग के विज्ञापन क्रमांक 05/2023 दिनांक 13.03.2023 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूं

1. मैं---------------------पुत्र/पुत्री श्री-------------------------निवासी ग्राम/कस्बा/शहर/------------- जिला ------------,मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूं। यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं------------ जाति का/की सदस्य हूं जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।
2. मैं शपथपूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्धारित अद्यतन मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूं।

दिनांक :- ----------------- हस्ताक्षर-----------------------------
नाम--------------------------------
आवेदन-पत्र क्रमांक -----------------

(उक्त घोषणा-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र की स्केन्ड प्रति ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें)
तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
शासकीय/निगम/मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/ सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

5. जो व्यक्ति पहले से शासकीय सेवा में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

6. **अनुशासनिक निर्देश :- (परीक्षा संबंधी अनुदेश परीक्षा की स्थिति में)**
यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-
01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या
02 प्रतिरूपण किया हो; या
03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
05 ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हो; या
06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या
07 परीक्षा कक्ष में अथवा अन्यत्र अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या
08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक छति पहुंचाई हो; या
09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिए, दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या
10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,
तब आयोग द्वारा :-
(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहराया जा सकेगा
और/ या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।
(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।
(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।
एवं तब शासन द्वारा :-
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. **अनर्हताएँ :-** ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी भी चयन संस्था द्वारा विशिष्ट कालावधि हेतु भर्ती परीक्षा हेतु विवर्जित किया गया है उस कालावधि हेतु आवेदन करने हेतु अपात्र रहेंगे।

8. **यात्रा व्यय का भुगतान :-**
मध्यप्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जो कहीं सेवारत नहीं हैं, मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का भुगतान आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा। आवेदकों को इसके लिए वांछित घोषणा-पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबन्धित निम्नांकित अभिलेख प्रस्तुत करना होंगे :-
(01) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति।
(02) यात्रा टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गई है तथा किराए की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो।
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, स्वयं के बैंक खाते का नम्बर एवं बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड का उल्लेख करना तथा साथ ही अपनी बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

जी-24575/48286/2023

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

आयुष विभाग - मध्यप्रदेश शासन हेतु
वरिष्ठ चिकित्सक होम्योपैथी/विशेषज्ञ होम्योपैथी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक	ऑनलाइन आवेदन करने की	आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र
04/2023/13.03.2023	अंतिम तिथि 23.05.2023, दोपहर 12:00 बजे तक	जमा करने की अंतिम तिथि 30.05.2023

महत्वपूर्ण

1. **मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग हेतु वरिष्ठ चिकित्सक होम्योपैथी/विशेषज्ञ होम्योपैथी के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार है:-**
   अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता
   (क) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से होम्योपैथी के क्लीनिकल विषय में सी.सी.एच. द्वारा मान्य स्नातकोत्तर उपाधि।
   (ख) म.प्र. राज्य में विधि द्वारा स्थापित होम्योपैथी परिषद में पंजीकृत।
   रोज़गार पंजीयन -
   (क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।
   (ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
   (ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/ निगम/ मण्डल/ उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।
2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र **दिनांक 24.04.2023 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 23.05.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in, तथा mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकते हैं।
3. आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने तथा आवेदन शुल्क का भुगतान करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त करें तथा आवेदन पत्र में उल्लेखित भुगतान विवरण से यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क भुगतान हो चुका है। उक्त ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ अपनी अर्हता से संबंधित सभी अभिलेखों तथा अनुप्रमाणन-पत्रक, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक एवं उपस्थिति-पत्रक (आयोग की वेबसाइट **https://mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध) की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न कर आयोग कार्यालय में **दिनांक 30.05.2023 तक** जमा कराएं। **आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट-2 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें एवं तदनुसार पर्याप्त समय पूर्व आवेदन-पत्र भरें।**
4. आवेदक ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में **दिनांक 28.04.2023 से दिनांक 25.05.2023 तक** त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति सुधार सत्र रु. 50/- त्रुटिसुधार शुल्क देय होगा। आवेदक त्रुटिसुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी / वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन अमान्य किए जाएंगे तथा आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनाएँ, परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **https://mppsc.mp.gov.in** में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही आवश्यक होने पर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिए गए e-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर e-mail तथा SMS Alert भी प्रेषित किए जाएंगे। अत: आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करें।
6. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है, वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है। जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अत: अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे विभाग को अपनी शिकायत अग्रेषित कर सकते हैं।
7. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें।
8. कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।
9. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
10. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टत: परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना विवर्जित रहती है अतएवं औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
11. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित अभ्यर्थियों को परीक्षा में आने-जाने का नियमानुसार भुगतान प्राप्त करने हेतु Reimbursement का वर्गीकरण प्रावधानित है। जिसके अनुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जाती है, अतएव इस संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
12. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य / दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, अतएव इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
13. **आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।**
14. **उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 25181/2019 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा।**

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से **आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन** के निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD
1	वरिष्ठ चिकित्सक होम्योपैथी/ विशेषज्ञ होम्योपैथी	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

टीप:- (1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु पद उपलब्ध न होने के कारण वे अनारक्षित श्रेणी हेतु विचारित किए जाएंगे एवं उन्हें आयु-सीमा में देय छूट का लाभ भी प्रदान नहीं किया जाएगा। उनकी पात्रता श्रेणी अनारक्षित रहेगी।

दो **पद का विवरण**

01	**पद का नाम**	:	वरिष्ठ चिकित्सक होम्योपैथी/विशेषज्ञ होम्योपैथी
	विभाग का नाम	:	आयुष विभाग
	श्रेणी	:	राजपत्रित (प्रथम श्रेणी)
	पद स्थिति	:	स्थायी
	वेतनमान	:	रुपये 15600 - 39100 + 6600 ग्रेड पे वेतनमान में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	चिकित्सकीय एवं शोध कार्य

तीन **शैक्षणिक अर्हता :** अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता

(क) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से होम्योपैथी के क्लीनिकल विषय में सी.सी.एच. द्वारा मान्य स्नातकोत्तर उपाधि।

(ख) म.प्र. राज्य में विधि द्वारा स्थापित होम्योपैथी परिषद में पंजीकृत।

विशेष:

(1) उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की **अंतिम तिथि 23.05.2023 तक** अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।

(2) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड / पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/ पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र / सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/ सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबन्धित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख संलग्न करना भी अनिवार्य है।

टीप-

(1) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा परीक्षा की स्थिति में परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(2) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

(3) मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में विहित छूट तथा यात्रा-व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

(6) जिस श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं वे अनारक्षित पदों के विरुद्ध विचारित किए जाएंगे।

चार **मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी

भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

पांच **महत्वपूर्ण :-** यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अत: आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छ: **आयु सीमा :** 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

आयु सीमा में छूट : मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अत: सभी अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष होगी। आयु सीमा में अन्य कोई छूट देय नहीं होगी।

सात **आयु संगणना तिथि 01.01.2024**

आठ **अधिवार्षिकी आयु :- 62 वर्ष**

नौ **चयन प्रक्रिया :-**

चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। अभ्यर्थियों की संख्या 500 से कम होने की स्थिति में अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विज्ञापित पदों हेतु 12 तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों।

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा। अनारक्षित तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु 41% तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी हेतु 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे।

टीप:- (1) अभ्यर्थियों की संख्या 500 से अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/ उप श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

(2) लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस **आवेदन प्रक्रिया :-** उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु इस विज्ञापन के **परिशिष्ट** का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** एवं रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने सही ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

(i) आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट -1**

(ii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के निर्देश तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-2**

सचिव

परिशिष्ट -1

आयु सीमा में छूट

विज्ञापन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु पद आरक्षित नहीं होने से उन्हें आयु सीमा में छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।

(एक) उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें

प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप :- (1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/ योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

नोट :-(01)उपरोक्त परिशिष्ट – 'एक' में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

(03) जिस आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं उन्हें आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी किन्तु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

परिशिष्ट 2

ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-
1. उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे
   1. www.mponline.gov.in
   2. mppsc.mp.gov.in
2. आवेदक mponline के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरकर कियोस्क पर ही आवेदन/ परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें तथा आवेदन-पत्र की भलीभांति जांचकर सुनिश्चित कर लें कि भुगतान हो चुका है। mponline के अधिकृत कियोस्कों की सूची www.mponline.gov.in तथा mppsc.mp.gov.in पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।
3. आवेदक अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन/ परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक आवेदक नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
4. आवेदक फॅार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें, जिन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय अपलोड करना होगा। mponline के अधिकृत कियोस्क पर स्केनिंग की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध है, जिसका उपयोग किया जा सकता है।

   फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-

   1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज़ की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
   2. फोटो खिचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
   3. यदि आप चश्में का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ़्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टत: दिख रही हों।
   4. टोपी, हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं हैं। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं, किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
   5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफ़ेद हो।
   6. किसी और से अपनी फोटो खिचवाएं। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।
5. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें। आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ मे अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध अनुदेशों तथा निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर तदनुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरें।
6. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह माना जाएगा कि आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है, वही प्रमाणिक जानकारी है, अत: ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन-पत्र submit करें।
7. आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

   अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "proceed for payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा, जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा, जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done स्पष्टत: उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

8. **त्रुटिसुधार सुविधा :-** अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 28.04.2023 से 25.05.2023 तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र रु. 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा। **मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु शुल्क रु. 250 तथा अन्य श्रेणियों हेतु रु. 500 निर्धारित है अत: छूट वाली श्रेणियों के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा गैर छूट श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपये 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु गैर छूट श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा छूट श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।**

9. **आवेदन-पत्र प्रेषण के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-**

   (1) आयोग की वेबसाइट https://mppsc.mp.gov.in के Download Format लिंक से अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक, एवं उपस्थिति-पत्रक डाउनलोड करके उनकी पूर्ति करें। पूर्ति पश्चात उक्त प्रपत्रों की क्रमश: तीन, छ: तथा एक छायाप्रति कराएं।

   (2) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने तथा शुल्क भुगतान के पश्चात प्राप्त ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित भुगतान विवरण की जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क का भुगतान हो चुका है। यह भी जांच कर लें कि समस्त प्रविष्टियां सही हैं (त्रुटि होने पर विहित अवधि में त्रुटि सुधार कर लें **(देखें बिन्दु-8)**। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें। उक्त हस्ताक्षरित ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ अपने सभी अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें तथा साथ ही अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक, एवं उपस्थिति पत्रक की एक एक प्रति संलग्न करें। (प्रपत्रों की शेष प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखें क्योंकि उन्हें आपको साक्षात्कार के समय अपने मूल अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगा)

   (3) एक बड़े लिफाफे पर निम्न विवरण अंकित कर उक्त सेट (आवेदन-पत्र तथा समस्त अभिलेख) इस बड़े लिफाफे में रखकर पंजीबद्ध डाक या स्पीड पोस्ट से आयोग को प्रेषित करें।

विज्ञापन क्रमांक 04/2023 दिनांक 13.03.2023

वरिष्ठ चिकित्सक होम्योपैथी/विशेषज्ञ होम्योपैथी , आयुष विभाग के पद हेतु आवेदन-पत्र

	प्रति,
प्रेषक:	**सचिव**
आवेदक का नाम	मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी एरिया
तथा पता	इंदौर (मध्यप्रदेश) पिन - 452001

(लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक, पद/ विभाग का नाम अंकित न होने पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा)

(4) ध्यान रखें अभिलेखों सहित उक्त आवेदन-पत्र दिनांक 30.05.2023 को सायंकाल 06:00 बजे तक आयोग कार्यालय में पहुंचने पर ही समयावधि में प्राप्त माना जाएगा। आवेदन-पत्र उक्त दिनांक तथा समय तक समस्त कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय (प्रात: 10:00 बजे से सायंकाल 06:00 बजे तक) आयोग कार्यालय में भी प्राप्त किए जाएंगे तथा प्राप्ति की रसीद दी जाएगी। आवेदक आयोग को प्रेषित आवेदन-पत्र तथा अभिलेखों का एक सेट अपने पास सुरक्षित रखें।

10. विलंब से प्राप्त आवेदन-पत्र निरस्त किए जाएंगे तथा जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। **अत: आवेदक अंतिम तिथि की प्रतीक्षा करने के बजाय पर्याप्त समय पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र आयोग को प्रेषित करें।**

11. आवेदक यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

2. आवेदन शुल्क

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
रु. 250/-	रु.500/-
उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त रु. 40/- (जीएसटी सहित) पोर्टल शुल्क देय होगा	
● **शुल्क वापसी :-** अपरिहार्य कारणों से विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन शुल्क वापसी आवेदन प्राप्त कर आवेदन शुल्क की राशि वापस की जाएगी किन्तु पोर्टल शुल्क की राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी।	

आवेदन शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य किसी राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो mponline से निम्न दूरभाष पर संपर्क कर शिकायत दर्ज़ करा सकते हैं :-

हेल्पलाइन – 0755-6720200

नोट : यदि आपको ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए दूरभाष नंबरों पर संपर्क करें :-

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर (0731) 2701624, 2701983

एम.पी.ऑनलाइन लिमिटेड, (मध्यप्रदेश शासन तथा टाटा कंसल्टेन्सी सर्विसेज का संयुक्त उपक्रम)

ऑफिस ब्लाक OB-14 से 17, चतुर्थ तल, डी.बी. सिटी कार्पोरेट पार्क,

अरेरा हिल्स, ज़ोन-1 के सामने, एम. पी. नगर,

भोपाल-462011, हेल्पलाइन – 0755-6720200

3. आवेदन की अंतिम तिथि

ऑनलाइन आवेदन करने की **अंतिम तिथि 23.05.2023** है। अंतिम तिथि को दोपहर 12:00 बजे के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

4. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण-पत्रों की छायाप्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें:-

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :-

केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंक-सूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

रोज़गार कार्यालय में पंजीयन का प्रमाण-पत्र :-

जिस श्रेणी के अभ्यर्थियों को जीवित रोज़गार पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, वे उपलब्ध होने पर संलग्न करें। उक्त प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :-

दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http:\\www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण-पत्र :-

हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षो/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां एवं उपाधि।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :-

यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

जाति के प्रमाण-पत्र :-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का स्थाई जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो की मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत है द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। विवाहित महिलाएं विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र संलग्न करें। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र संलग्न करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं --------------------- आयोग के विज्ञापन क्रमांक 04/2023 दिनांक 13.03.2023 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूं

1. मैं ------------------पुत्र/पुत्री श्री-------------------- निवासी ग्राम/कस्बा/ शहर/-------------जिला ------------,मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूं। यह घोषणा करता/ करती हूं कि मैं --------------- जाति का/की सदस्य हूं जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।

2. मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्धारित अद्यतन मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/ आती हूं।

दिनांक :- ---------------- हस्ताक्षर--

नाम--

आवेदन-पत्र क्रमांक -------------------------

(उक्त घोषणा-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र की स्केन्ड प्रति ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें)

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

शासकीय/निगम/मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/ सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

5. जो व्यक्ति पहले से शासकीय सेवा में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/ विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/ साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

6. अनुशासनिक निर्देश :- (परीक्षा संबंधी अनुदेश परीक्षा की स्थिति में)

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या

02 प्रतिरूपण किया हो; या

03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

05 ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हों; या

06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या

07 परीक्षा कक्ष में अथवा अन्यत्र अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या

08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक छति पहुंचाई हो; या

09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित है, अतिक्रमण किया हो; या

10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहराया जा सकेगा
और/ या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. **अनर्हताएं:-** ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी भी चयन संस्था द्वारा विशिष्ट कालावधि हेतु भर्ती परीक्षा हेतु विवर्जित किया गया है उस कालावधि हेतु आवेदन करने हेतु अपात्र रहेंगे।

8. यात्रा व्यय का भुगतान :-

मध्यप्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जो कहीं सेवारत नहीं है, मध्यप्रदेशशासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का भुगतान आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा। आवेदकों को इसके लिए वांछित घोषणा-पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित निम्नांकित अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे :-

(01) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति।

(02) यात्रा टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गई है तथा किराए की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो।

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम स्वयं के बैंक खाते का नम्बर एवं बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड का उल्लेख करना तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

जी-24574/48285/2023

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

खेल एवं युवक कल्याण - मध्यप्रदेश शासन हेतु

जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक	ऑनलाइन आवेदन करने की	आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र
08/2023/13.03.2023	अंतिम तिथि 25.06.2023, दोपहर 12:00 बजे तक	जमा करने की अंतिम तिथि 06.07.2023

महत्वपूर्ण

1. **मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के खेल एवं युवक कल्याण विभाग हेतु जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार है:-**
   अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता
   स्नातक के साथ एम.पी.एड./एम.पी.ई. एवं राष्ट्रीय खेल अथवा अधिकृत सीनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में प्रतिनिधित्व।
   रोज़गार पंजीयन -
   (क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।
   (ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
   (ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/ आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।
2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे आवेदन पत्र **दिनांक 26.05.2023 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 25.06.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in**, तथा **mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकते हैं।
3. आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने तथा आवेदन शुल्क का भुगतान करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त करें तथा आवेदन पत्र में उल्लेखित भुगतान विवरण से यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क भुगतान हो चुका है। उक्त ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ अपनी अर्हता से संबंधित सभी अभिलेखों तथा अनुप्रमाणन-पत्रक, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक एवं उपस्थिति-पत्रक (आयोग की वेबसाइट https://mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध) की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न कर आयोग कार्यालय में **दिनांक 06.07.2023 तक** जमा कराएं। **आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट-2 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें एवं तदनुसार पर्याप्त समय पूर्व आवेदन-पत्र भरें।**
4. आवेदक ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में **दिनांक 01.06.2023 से दिनांक 27.06.2023 तक** त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति सुधार सत्र रु. 50/- त्रुटिसुधार शुल्क देय होगा। आवेदक त्रुटिसुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन अमान्य किए जाएंगे तथा आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **https://mppsc.mp.gov.in** में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही आवश्यक होने पर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिए गए e-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर e-mail तथा SMS Alert भी प्रेषित किए जाएंगे। अत: आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करें।
6. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है, वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है। जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अत: अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे विभाग को अपनी शिकायत अग्रेषित कर सकते हैं।
7. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें।
8. कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।
9. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
10. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टत: परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना विवर्जित रहती है अतएवं औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
11. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित अभ्यर्थियों को परीक्षा में आने-जाने का नियमानुसार भुगतान प्राप्त करने हेतु Reimbursement का वर्गीकरण प्रावधानित है। जिसके अनुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जाती है, अतएवं इस संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
12. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य/दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, अतएवं इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
13. **आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।**
14. **उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 25181/2019 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा।**

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से **खेल एवं युवक कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन** के निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD
1.	जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी	3	1	1	1	0	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0

दो **पद का विवरण**

01	**पद का नाम**	:	**जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी**
	विभाग का नाम	:	खेल एवं युवक कल्याण विभाग
	श्रेणी	:	राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी)
	पद स्थिति	:	अस्थायी
	वेतनमान	:	रुपये 9300 - 34800 + 4200 ग्रेड पे वेतनमान में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	1. विभाग द्वारा खेल एवं युवक कल्याण संबंधी समस्त गतिविधियों का जिला स्तर पर सुचारू संचालन सुनिश्चित करना। 2. एकीकृत खेल प्रतियोगिता का आयोजन, प्रतिभाओं की खोज, पहचान एवं प्रशिक्षण एवं उनकी उपलब्धियों का रिकॉर्ड रखने हेतु प्रभावी कार्यवाही करना। 3. जिला स्तर पर विविध शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों की उपलब्धि का रिकॉर्ड रखना व सुव्यवस्थित संधारण करना। 4. विभागीय बजट नियमानुसार तैयार कर योजना मण्डल द्वारा निर्धारित समय-सीमा व प्रक्रिया अनुसार यथासमय तैयार कर प्रस्तुत करना व स्वीकृतियां प्राप्त करना। विभागीय बजट का सही एवं यथासमय पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना। 5. भारत सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण, नेहरू युवा केन्द्र आदि द्वारा खेल एवं युवक कल्याण से सम्बन्धित संचालित समस्त योजनाओं की अद्यतन जानकारी रखना तथा इन योजनाओं का जिले में पूरा-पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नियमानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करना स्वीकृतियां प्राप्त कर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। 6. भारतीय खेल प्राधिकरण, नेहरू युवा केन्द्र, आयुक्त, जिलाध्यक्ष, स्कूल, कॉलेज आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों, विश्वविद्यालय, नगर-निगम तथा नगर पालिका व अन्य शासकीय व अर्द्धशासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ समन्वय स्थापित कर जिले में खेल एवं युवक कल्याण गतिविधियों का सुचारू संचालन करना। 7. ग्रामीण/महिला खेल प्रतियोगिता का सामयिक आयोजन व इस हेतु विभिन्न विधाओं में योग्य खिलाड़ियों का सामयिक खोज, पहचान एवं प्रशिक्षण। 8. ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन तथा खेल प्रतिभाओं की पहचान, चयन एवं प्रशिक्षण। विभिन्न विधाओं में इनकी उपलब्धियों का रिकॉर्ड का संधारण।

		9. राष्ट्र निर्माण, युवक कल्याण एवं साहसिक गतिविधियों का संचालन कर रही स्वयंसेवी संस्थाओं की जानकारी रखना व उनसे समन्वय स्थापित कर उन्हें बढ़ावा देना। क्षेत्रीय एवं सम्भागीय खेल अधिकारियों को निर्धारित रोस्टर के अनुसार सौंपे गए जिला कार्यालयों को यथासमय निरीक्षण पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
		10. खेल एवं युवा नीति को लागू करने के लिए आवश्यक समस्त कार्यवाही करना। जिले में खेल गतिविधियों के लिए उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की जानकारी एकत्रित करना व उसका अद्यतन संधारण करना। पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों, विभिन्न खेल संघ/संगठनों/संस्थाओं के पदाधिकारियों के सम्बन्ध में अद्यतन जानकारी रखना। 11. जिले में कार्यरत खेल एवं यूथ क्लबों/संघों/संगठनों/महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालय एवं शिक्षा विभाग तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर खेल एवं युवक कल्याण गतिविधियों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना। खिलाड़ी/संघ/संगठन की समय-समय पर बैठकों का आयोजन करना। 12- 'युवा संधि' व 'अभियान' के विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करना। 13. जिले में जहां भी विभाग द्वारा अनुदान/वित्तीय सहायता दी गई हो, उसकी प्रगति आदि से अवगत रहना व विभाग को अवगत कराना। विभाग/संचालनालय/ भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा दी गई खेल सुविधा/सामग्री का उत्तरदायित्व व उनके सही प्रयोग के विषय में जागरूकता रखना। 14. संचालक द्वारा सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन।

तीन शैक्षणिक अर्हता : अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता

स्नातक के साथ एम.पी.एड./एम.पी.ई. एवं राष्ट्रीय खेल अथवा अधिकृत सीनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में प्रतिनिधित्व।

विशेष:

(1) उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25.06.2023 तक अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।

(2) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/ पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/ सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबन्धित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख संलग्न करना भी अनिवार्य है।

टीप-

(1) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा परीक्षा की स्थिति में परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(2) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

(3) मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में विहित छूट तथा यात्रा-व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

(4) जिस श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं वे अनारक्षित पदों के विरुद्ध विचारित किए जाएंगे।

चार मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

पांच महत्वपूर्ण :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अत: आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छ: आयु सीमा : 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

आयु सीमा में छूट: मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ. प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अत: सभी अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष होगी। आयु सीमा में अन्य कोई छूट देय नहीं होगी।

सात आयु संगणना तिथि :- 01.01.2024

आठ अधिवार्षिकी आयु :- 62 वर्ष

नौ चयन प्रक्रिया :-

चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। अभ्यर्थियों की संख्या 500 से कम होने की स्थिति में अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विज्ञापित पदों हेतु 36 तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों।

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा। अनारक्षित तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु 41% तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी हेतु 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे।

टीप:-

(1) अभ्यर्थियों की संख्या 500 से अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/ उप श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

(2) लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस आवेदन प्रक्रिया :- उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु इस विज्ञापन के **परिशिष्ट-2** का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने सही ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

(i) आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट -1**

(ii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के निर्देश तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-2**

सचिव

परिशिष्ट -1

आयु सीमा में छूट

(एक) उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

तथा

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गो हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अत: उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

* ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप :- (1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यो/योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे।

(सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट :- (01) उपरोक्त परिशिष्ट – 'एक' में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

(03) जिस आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं उन्हें आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी किन्तु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

(तीन) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पि.वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों कि अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

परिशिष्ट-2

आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-

   1. उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे

   1. www.mponline.gov.in 2. www.mppsc.mp.gov.in

3. अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/ परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

4. अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह अवश्यक सुनिश्चित कर लें कि आवेदन-पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट है।

फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-

1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
2. फोटो खिचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्में का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखे स्पष्टत: दिख रही हों।
4. टोपी हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं है। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य है, किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।

5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफ़ेद हो।
6. किसी और से अपनी फोटो खिचवाए। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।

5. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

6. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म मे अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अत: ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व एक बार पुन: अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।

7. आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी तत्समय ही Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "Proceed for Payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

8. **त्रुटि सुधार सुविधा :-** अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 01.06.2023 से 27.06.2023 (दोपहर 12:बजे) तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र रु. 50/- त्रुटि-सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। **नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा। अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क 500 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु 250 निर्धारित है अत: आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटिसुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपये 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटिसुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/ शासकीय सेवक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।**

09. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें की उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

2. **परीक्षा हेतु तथा आवेदन तथा परीक्षा शुल्क**

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
Rs. 250/-	Rs. 500/-

टीप: आयोग को प्राप्त शुल्क केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में वापस किया जाएगा।

3. **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि**

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की **अंतिम तिथि 25.06.2023** है। अंतिम तिथि को दोपहर 12:00 बजे के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/ शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :-

दूरभाष :- हेल्पलाइन – 0755-6720220 तथा 0755-6720221

4. अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नहीं करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/ प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/ सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमी लेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं --------------------- आयोग के मध्यप्रदेश शासन के खेल एवं युवक कल्याण विभाग हेतु जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी क्रमांक 08/2023 दिनांक 13.03.2023 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ

1. मैं ------------------पुत्र/पुत्री श्री------------------- निवासी ग्राम/कस्बा/ शहर/------------जिला ---------------, मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/ करती हूँ कि मैं ---------------जाति का/ की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।

2. मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/ आती हूँ।

दिनांक :- -----------------

हस्ताक्षर---------------------
नाम--------------------------
रोल नंबर--------------------

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

कार्यरत/ छंटनी किए गए शासकीय सेवकों हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/ सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5. जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।

6. **अनुशासनिक निर्देश :-**

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या
02 प्रतिरूपण किया हो; या
03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
05 ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हो; या
06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या
07 परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या
08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हो या धमकाया हों या शारीरिक छति पहुंचाई हो; या
09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित है, अतिक्रमण किया हो; या
10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है अनर्ह ठहरा सकेगा

और/ या

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुसंशा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. **अनर्हताएं :-** ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8. **परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-**

01 परीक्षा का परिणाम केवल "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।

02 परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अत: सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबन्धित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।

03 साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वयमेव समाप्त हो जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

9. **यात्रा व्यय का भुगतान :-**

(अ) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों, को परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।

(ब) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आबंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(स) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो।

(द) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना होगा। साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्कैन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(इ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।

(फ) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

जी-24578/48289/2023

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

वाणिज्यिक कर विभाग- मध्यप्रदेश शासन हेतु
सिस्टम एनालिस्ट (System Analyst) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक	ऑनलाइन आवेदन करने की	आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र
03/2023/13.03.2023	अंतिम तिथि 16.05.2023, दोपहर 12:00 बजे तक	जमा करने की अंतिम तिथि 25.05.2023

महत्वपूर्ण

1. **मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग हेतु सिस्टम एनालिस्ट (System Analyst) के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार है:-**

   अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता

   मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान/ सूचना प्रौद्योगिकी में बी.ई/बी.टेक. में 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण। अथवा एम.सी.ए./एम.सी.एम./एम.एस.सी. सूचना प्रौद्योगिकी/एम.एस.सी. कम्प्यूटर विज्ञान में 60 प्रतिशत अंक के साथ।

   रोज़गार पंजीयन -

   (क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश **दिनांक 08.03.2022** के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।

   (ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

   (ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/ निगम/ मण्डल/ उपक्रम/ आयोग/ बोर्ड/विश्वविद्यालय/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।
2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे आवेदन पत्र **दिनांक 17.04.2023 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 16.05.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in, तथा mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकते हैं।
3. आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने तथा आवेदन शुल्क का भुगतान करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त करें तथा आवेदन पत्र में उल्लेखित भुगतान विवरण से यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि शुल्क भुगतान हो चुका है। उक्त ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ अपनी अर्हता से संबंधित सभी अभिलेखों तथा अनुप्रमाणन-पत्रक, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक एवं उपस्थिति-पत्रक (आयोग की वेबसाइट https://mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध) की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न कर आयोग कार्यालय में दिनांक 25.05.2023 तक जमा कराएं। **आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट-2 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें एवं तदनुसार पर्याप्त समय पूर्व आवेदन-पत्र भरें।**
4. आवेदक ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में दिनांक 22.04.2023 से दिनांक 18.05.2023 तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति सुधार सत्र रु. 50/- त्रुटिसुधार शुल्क देय होगा। आवेदक त्रुटिसुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन अमान्य किए जाएंगे तथा आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनाएँ, परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **https://mppsc.mp.gov.in** में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही आवश्यक होने पर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिए गए e-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर e-mail तथा SMS Alert भी प्रेषित किए जाएंगे। अत: आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करें।
6. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है, वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है। जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अत: अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे विभाग को अपनी शिकायत अग्रेषित कर सकते हैं।
7. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।
8. आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापनों में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रण के समय अभ्यर्थियों से परीक्षा सेंटर आवंटन हेतु शहर की च्वाइस फीलिंग एवं उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा एक बार च्वाइस फीलिंग उपरांत परीक्षा शहर परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
9. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
10. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टत: परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना विवर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
11. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित अभ्यर्थियों को परीक्षा में आने-जाने का नियमानुसार भुगतान प्राप्त करने हेतु Reimbursement का वर्गीकरण प्रावधानित है। जिसके अनुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जाती है, अतएव इस संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
12. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य/दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, अतएव इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
13. **आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।**
14. **उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 25181/2019 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा।**

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से **वाणिज्यिक कर विभाग, मध्यप्रदेश** शासन के निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD
1.	सिस्टम एनालिस्ट (System Analyst)	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
टीप:-	(1) अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु पद उपलब्ध न होने के कारण वे अनारक्षित श्रेणी हेतु विचारित किए जाएंगे। उनकी पात्रता श्रेणी अनारक्षित रहेगी।															

दो **पद का विवरण**

01	**पद का नाम**	:	**सिस्टम एनालिस्ट (System Analyst)**
	विभाग का नाम	:	वाणिज्यिक कर विभाग
	श्रेणी	:	राजपत्रित (II)
	पद स्थिति	:	स्थायी
	वेतनमान	:	रुपये 15600 - 39100 + 5400 ग्रेड पे वेतनमान में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	कम्प्यूटराईजेशन के तहत होने वाले हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर में आने वाली तकनीकी समस्याओं का निराकरण।

तीन **शैक्षणिक अर्हता : अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता**

मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में बी.ई/बी.टेक. में 60 प्रतिशत अंक के साथ उतीर्ण। अथवा एम.सी.ए./एम.सी.एम./एम.एस.सी. सूचना प्रौद्योगिकी/एम.एस.सी. कम्प्यूटर विज्ञान में 60 प्रतिशत अंक के साथ।

विशेष :

(1) उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16.05.2023 तक अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।

(2) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड / पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/ पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबन्धित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख संलग्न करना भी अनिवार्य है।

टीप-

(1) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा परीक्षा की स्थिति में परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(2) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

(3) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित पदों हेतु केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति ही आवेदन कर सकेंगे। **अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग**

(गैर क्रीमीलेयर) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में मान्य है अथवा दिव्यांगजन है, अनारक्षित श्रेणी के रूप में विचारित किए जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों को यह घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा की वे क्रीमीलेयर श्रेणी में नहीं आते।

(5) मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में विहित छूट तथा यात्रा-व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

(6) जिस श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं वे अनारक्षित पदों के विरुद्ध विचारित किए जाएंगे।

चार मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

पांच महत्वपूर्ण :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अत: आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छ: आयु सीमा : 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

आयु सीमा में छूट : मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अत: सभी अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष होगी। आयु सीमा में अन्य कोई छूट देय नहीं होगी।

सात आयु संगणना तिथि 01.01.2024

आठ अधिवार्षिकी आयु :- 62 वर्ष

नौ चयन प्रक्रिया :-

चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। अभ्यर्थियों की संख्या 500 से कम होने की स्थिति में अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विज्ञापित पदों हेतु 24 तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों।

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा। अनारक्षित तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु 41% तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी हेतु 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे।

टीप:-

(1) अभ्यर्थियों की संख्या 500 से अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/ उप श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

(2) लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस आवेदन प्रक्रिया :- उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु इस विज्ञापन के **परिशिष्ट** का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने सही ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

(i) आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट -1**

(ii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के निर्देश तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-2**

सचिव

परिशिष्ट -1

आयु सीमा में छूट

(एक) उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसूचित जनजाति के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

तथा

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अत: उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

* ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप :- (1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अत: अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे।

(सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट :- (01) उपरोक्त परिशिष्ट – 'एक' में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

(03) जिस आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं उन्हें आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी किन्तु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

(तीन) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पि.वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों कि अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

परिशिष्ट 2

ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-
   1. उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे
      1. www.mponline.gov.in
      2. mppsc.mp.gov.in
2. आवेदक mponline के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरकर कियोस्क पर ही आवेदन/ परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें तथा आवेदन-पत्र की भलीभांति जांचकर सुनिश्चित कर लें कि भुगतान हो चुका है। mponline के अधिकृत कियोस्कों की सूची **www.mponline.gov.in** तथा **mppsc.mp.gov.in** पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।
3. आवेदक अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक आवेदक नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
4. आवेदक फॉर्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें, जिन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय अपलोड करना होगा। mponline के अधिकृत कियोस्क पर स्केनिंग की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध है, जिसका उपयोग किया जा सकता है।

   फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-
   1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
   2. फोटो खिचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
   3. यदि आप चश्में का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ़्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टत: दिख रही हों।
   4. टोपी, हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं हैं। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं, किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
   5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफ़ेद हो।
   6. किसी और से अपनी फोटो खिचवाए। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।
5. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें। आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध अनुदेशों तथा निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर तदनुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरें।
6. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह माना जाएगा कि आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है, वही प्रमाणिक जानकारी है, अत: ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन-पत्र submit करें।
7. आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

   अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "proceed for payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा, जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा, जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done स्पष्टत: उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

8. **त्रुटिसुधार सुविधा :-** अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 22.04.2023 से 18.05.2023 तक प्रति त्रुटिसुधार सत्र रुपये 50/- त्रुटिसुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटिसुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा। **मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु शुल्क रु. 250 तथा अन्य श्रेणियों हेतु रु. 500 निर्धारित है अत: छूट वाली श्रेणियों के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा गैर छूट श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपये 250 त्रुटिसुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु गैर छूट श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटिसुधार द्वारा छूट श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गई श्रेणी/वर्ग (अनुसूचित जनजाति) के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।**

9. आवेदन-पत्र प्रेषण के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-

(1) आयोग की वेबसाइट https://mppsc.mp.gov.in के Download Format लिंक से अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक, एवं उपस्थिति-पत्रक डाउनलोड करके उनकी पूर्ति करें। पूर्ति पश्चात उक्त प्रपत्रों की क्रमश: तीन, छ: तथा एक छाया प्रति कराएं।

(2) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने तथा शुल्क भुगतान के पश्चात प्राप्त ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित भुगतान विवरण की जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क का भुगतान हो चुका है। यह भी जांच कर लें कि समस्त प्रविष्टियां सही हैं (त्रुटि होने पर विहित अवधि में त्रुटिसुधार कर लें (देखें बिन्दु-8)। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें। उक्त हस्ताक्षरित ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ अपने सभी अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें तथा साथ ही अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक, एवं उपस्थिति पत्रक की एक एक प्रति संलग्न करें। (प्रपत्रों की शेष प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखें क्योंकि उन्हें आपको साक्षात्कार के समय अपने मूल अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगा)

(3) एक बड़े लिफाफे पर निम्न विवरण अंकित कर उक्त सेट (आवेदन-पत्र तथा समस्त अभिलेख) इस बड़े लिफाफे में रखकर पंजीबद्ध डाक या स्पीड पोस्ट से आयोग को प्रेषित करें।

विज्ञापन क्रमांक 03/2023 दिनांक 13.03.2023
सिस्टम एनालिस्ट (System Analyst) , वाणिज्यिक कर विभाग के पद हेतु आवेदन-पत्र

	प्रति,
	सचिव
प्रेषक:	मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
आवेदक का नाम	रेसीडेंसी एरिया
तथा पता	इंदौर (मध्यप्रदेश) पिन - 452001

(लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक, पद/विभाग का नाम अंकित न होने पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा)

(4) ध्यान रखें अभिलेखों सहित उक्त आवेदन-पत्र **दिनांक 25.05.2023 को सायंकाल 06:00 बजे तक** आयोग कार्यालय में पहुंचने पर ही समयावधि में प्राप्त माना जाएगा । आवेदन-पत्र उक्त दिनांक तथा समय तक समस्त कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय **(प्रात: 10:00 बजे से सायंकाल 06:00 बजे तक)** आयोग कार्यालय में भी प्राप्त किए जाएंगे तथा प्राप्ति की रसीद दी जाएगी। आवेदक आयोग को प्रेषित आवेदन-पत्र तथा अभिलेखों का एक सेट अपने पास सुरक्षित रखें।

10. विलंब से प्राप्त आवेदन-पत्र निरस्त किए जाएंगे तथा जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। **अत: आवेदक अंतिम तिथि की प्रतीक्षा करने के बजाय पर्याप्त समय पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र आयोग को प्रेषित करें।**

11. आवेदक यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

2. आवेदन शुल्क

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
रु. 250/-	रु. 500/-
उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त रु. 40/- (जीएसटी सहित) पोर्टल शुल्क देय होगा	
● **शुल्क वापसी :-** अपरिहार्य कारणों से विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन शुल्क वापसी आवेदन प्राप्त कर आवेदन शुल्क की राशि वापस की जाएगी किन्तु पोर्टल शुल्क की राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी।	

आवेदन शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य किसी राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो mponline से निम्न दूरभाष पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं :-

हेल्पलाइन – 0755-6720200

नोट : यदि आपको ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए दूरभाष नंबरों पर संपर्क करें :-
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर (0731) 2701624, 2701983
एम.पी.ऑनलाइन लिमिटेड, (मध्य प्रदेश शासन तथा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का संयुक्त उपक्रम)
ऑफिस ब्लाक OB-14 से 17, चतुर्थ तल, डी.बी. सिटी कार्पोरेट पार्क,
अरेरा हिल्स, ज़ोन-1 के सामने, एम. पी. नगर,
भोपाल-462011 हेल्पलाइन – 0755-6720200

3. आवेदन की अंतिम तिथि

ऑनलाइन आवेदन करने की **अंतिम तिथि 16.05.2023** है। अंतिम तिथि को **दोपहर 12:00 बजे** के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

4. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण-पत्रों की छायाप्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें:-

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :-
केवल हाईस्कूल/ हायर सेकेण्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंक-सूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

रोज़गार कार्यालय में पंजीयन का प्रमाण-पत्र :-
जिस श्रेणी के अभ्यर्थियों को जीवित रोज़गार पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, वे उपलब्ध होने पर संलग्न करें। उक्त प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :-
दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के http:\\www.swavlambancard.gov.in के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण-पत्र :-
हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां एवं उपाधि।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :-
यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

जाति के प्रमाण-पत्र :-
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का स्थाई जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो की मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत है द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। विवाहित महिलाएं विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र संलग्न करें। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा |

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमी लेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र संलग्न करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं --------------------- आयोग के विज्ञापन क्रमांक 03/2023 दिनांक 13.03.2023 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूं

1. मैं ------------------पुत्र/पुत्री श्री------------------- निवासी ग्राम/कस्बा/ शहर/------------जिला ------------,मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूं। यह घोषणा करता/ करती हूं कि मैं ---------------जाति का/ की सदस्य हूं जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।

2. मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्धारित अद्यतन मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/ आती हूं।

दिनांक :- ----------------- हस्ताक्षर---------------------------------
नाम-----------------------------------
आवेदन-पत्र क्रमांक -----------------------

(उक्त घोषणा-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र की स्केन्ड प्रति ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें)

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

शासकीय/निगम/मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/ सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

5. जो व्यक्ति पहले से शासकीय सेवा में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/ विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/ साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

6. अनुशासनिक निर्देश :- (परीक्षा संबंधी अनुदेश परीक्षा की स्थिति में)

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या
02 प्रतिरूपण किया हो; या
03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
05 ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हों; या
06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या
07 परीक्षा कक्ष में अथवा अन्यत्र अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या
08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक छति पहुंचाई हो; या
09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित है, अतिक्रमण किया हो; या
10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहराया जा सकेगा
और/ या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।
(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।
(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. **अनर्हताएं:-** ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी भी चयन संस्था द्वारा विशिष्ट कालावधि हेतु भर्ती परीक्षा हेतु विवर्जित किया गया है उस कालावधि हेतु आवेदन करने हेतु अपात्र रहेंगे।

8. यात्रा व्यय का भुगतान :-

मध्यप्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जो कहीं सेवारत नहीं है, मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का भुगतान आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा। आवेदकों को इसके लिए वांछित घोषणा-पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबन्धित निम्नांकित अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे :-

(01) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति।
(02) यात्रा टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गई है तथा किराए की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो।

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा । इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम स्वयं के बैंक खाते का नम्बर एवं बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड का उल्लेख करना तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

जी-24573/48284/2023

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग - मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक संचालक रेशम के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 07/2023/13.03.2023

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 17.06.2023 दोपहर 12:00 बजे तक

आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 26.06.2023

महत्वपूर्ण

1. **मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग हेतु सहायक संचालक रेशम के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार है :-**

अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राणी शास्त्र/वनस्पति शास्त्र में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।

अधिमान्य अर्हता :- पीएच.डी. की उपाधि वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

रोज़गार पंजीयन -

(क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।

(ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने पर रोजगार पंजीयन से छूट रहेगी।

2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे आवेदन पत्र **दिनांक 18.05.2023 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 17.06.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in**, तथा **mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकते हैं।

3. **आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने तथा आवेदन शुल्क का भुगतान करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त करें तथा आवेदन पत्र में उल्लेखित भुगतान विवरण से यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क भुगतान हो चुका है। उक्त ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ अपनी अर्हता से संबंधित सभी अभिलेखों तथा अनुप्रमाणन-पत्रक, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक एवं उपस्थिति-पत्रक (आयोग की वेबसाइट https://mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध) की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न कर आयोग कार्यालय में दिनांक 26.06.2023 तक जमा कराएं। आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट-2 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें एवं तद्नुसार पर्याप्त समय पूर्व आवेदन-पत्र भरें।**

4. **आवेदक ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में दिनांक 25.05.2023 से दिनांक 19.06.2023 तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति सुधार सत्र रु. 50/- त्रुटिसुधार शुल्क देय होगा। आवेदक त्रुटिसुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन अमान्य किए जाएंगे तथा आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।**

5. **विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट https://mppsc.mp.gov.in में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही आवश्यक होने पर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS Alert भी प्रेषित किए जाएंगे। अत: आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करें।**

6. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है, वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है। जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अत: अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे विभाग को अपनी शिकायत अग्रेषित कर सकते हैं।

7. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें।

8. कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

9. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

10. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टत: परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना विवर्जित रहती है अतएवं औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित अभ्यर्थियों को परीक्षा में आने-जाने का नियमानुसार भुगतान प्राप्त करने हेतु **Reimbursement** का वर्गीकरण प्रावधानित है। जिसके अनुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जाती है, अतएवं इस संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

12. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य/दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, अतएव इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

13. **आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।**

14. **उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 25181/2019 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा।**

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से **कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, मध्यप्रदेश शासन** के निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD
1.	सहायक संचालक रेशम	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

टीप :- (1) अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु पद उपलब्ध न होने के कारण वे अनारक्षित श्रेणी हेतु विचारित किए जाएंगे। उनकी पात्रता श्रेणी अनारक्षित रहेगी।

दो पद का विवरण

01	पद का नाम	:	सहायक संचालक रेशम
	विभाग का नाम	:	कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
	श्रेणी	:	राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी)
	पद स्थिति	:	स्थायी
	वेतनमान	:	रुपये 15600 - 39100 + 5400 ग्रेड पे वेतनमान में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	प्रशासकीय कार्य

तीन शैक्षणिक अर्हता : अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राणी शास्त्र/वनस्पति शास्त्र में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।

अधिमान्य अर्हता :- पीएच.डी. की उपाधि वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी। (अंतिम चयन के स्तर पर समान अंकों की स्थिति में अधिमान्य अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी)

(शेष पृष्ठ 27 पर)

नई आबकारी नीति में शराब पीने पर लगाया है नैतिक प्रतिबंध

भोपाल, जनकल्याण और विकास कार्यों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। नई आबकारी नीति में शराब पीने पर नैतिक प्रतिबंध लगाया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर रोक लगाई गई है। दुर्घटनाएं रोकने और समाज-सुधार की दृष्टि से यह बड़ा कदम है। पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती को मैं मां, बहन, बेटी और मित्र के रूप में देखता हूं। दीदी को कभी निराश नहीं करूंगा। माता-बहनों और बेटियों पर अत्याचार के खिलाफ मैंने और दीदी ने मिलकर कार्य किया है। इसी का परिणाम लाड़ली लक्ष्मी और मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना है। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रवीन्द्र भवन में प्रदेश की मातृ शक्ति के सम्मान, सुरक्षा एवं हितों के अनुरूप आबकारी नीति लाने पर अपने अभिनंदन समारोह में कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं वर्षों से उमा दीदी के साथ काम करता आया हूं। दीदी जगत-कल्याण के लिए कार्य करती हैं। वे अन्याय कभी सहन नहीं करती हैं। समाज-सुधारक हैं। नशा मुक्ति, गाय की रक्षा और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही हैं। सरस्वती उनके कंठ में विराजमान हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना से बहनों के खाते में एक-एक हजार रुपये प्रतिमाह अंतरित किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि मैं दीदी के सुझावों पर हमेशा कार्य करूंगा। दीदी का आशीर्वाद अच्छे कार्यों के लिए मुझे सदैव मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। उनकी प्रेरणा से ही मैं यह कार्य कर पाया हूं। बेटी और बहन के कल्याण के लिए बेहतर से बेहतर कार्य किये जायेंगे।

पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई आबकारी नीति लाकर ऐतिहासिक कार्य किया है। इसके लिये उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि नई नीति से मैं बहुत खुश हूं। मुझे आत्म-संतोष है। मुख्यमंत्री ने मेरे मन की कामना पूरी की है। ऐसी आबकारी नीति भारत के किसी भी राज्य में नहीं है। नई नीति में अहाते बंद करने का सराहनीय कार्य किया गया है। नई नीति में शराब पीकर वाहन नहीं चला सकते हैं और न ही सड़क पर चल सकते हैं। यह नीति ऐसे हालात पैदा कर देगी कि लोग शराब छोड़ने के लिए मजबूर हो जायेंगे। समाज की मर्यादा रखने में यह नीति मील का पत्थर साबित होगी। सुश्री भारती ने कहा कि नीति का पालन कराना प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों की भी बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कृषि के मामले में मध्यप्रदेश पंजाब और हरियाणा से भी आगे निकल गया है। गौ-माता की रक्षा के लिए जैविक खेती कारगर होगी।

मुख्यमंत्री ने 'नाटू-नाटू' गाने और 'द एलीफेंट व्हीस्परर्स' को ऑस्कर मिलने पर दी बधाई

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पूरा देश गर्व से भरा है। आरआरआर फिल्म के गाने 'नाटू-नाटू' को सर्वश्रेष्ठ ओरिजनल सॉन्ग श्रेणी में ऑस्कर अवॉर्ड मिला है। साथ ही कार्तिकी गोंसाल्वेस तथा गुनीत मोंगा की 'द एलीफेंट व्हीस्परर्स' भारतीय शॉर्ट फिल्म को भी ऑस्कर अवॉर्ड से नवाजा गया है। पहले गोल्डन ग्लोब और अब ऑस्कर अवॉर्ड मिलना यह बताता है कि भारतीय संगीत और फिल्मों का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। मुख्यमंत्री ने आरआरआर फिल्म के निर्देशक श्री राजामौली, संगीतकार श्री एम.एम. कीरावानी, फिल्म के कलाकार श्री रामचरण और श्री जूनियर एनटीआर को इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए बधाई दी है। साथ ही 'द एलीफेंट व्हीस्परर्स' फिल्म की पूरी टीम को भी बधाई और शुभकामनाएं दीं।

उल्लेखनीय है कि कैलिफोर्निया में 95वें अकादमी पुरस्कार समारोह में 'द एलीफेंट व्हीस्परर्स' ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु श्रेणी का ऑस्कर अवॉर्ड जीता है। इसमें एक परिवार अनाथ हाथियों को पालता है। फिल्म में मनुष्य और वन्य-जीवों के परस्पर संवेदनशील संबंधों को दिखाया गया है।

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना

अब अन्य अनाथ बच्चों को भी मिलेगी पेंशन - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सागर जिले में आयोजित विवाह समारोह में सम्मिलित हुये।

सागर, कोविड सक्रमंण के दौरान माता-पिता की मृत्यु होने से अनाथ बच्चों के लिए लागू पेंशन योजना के दायरे में अब ऐसे अन्य अनाथ बच्चों को भी शामिल किया जायेगा, जिनके माता-पिता नहीं हैं। श्री गोपाल भार्गव की पहल पर सागर जिले के गढ़ाकोटा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना में 2100 गरीब कन्याओं का विवाह हुआ है, यह सामाजिक समरसता का महायज्ञ है। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर जिले के गढ़ाकोटा स्थित रहस मेला मैदान में योजना के 20वें पुण्य विवाह समारोह में कहीं। विवाह समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती, नगरीय विकास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने भी वर-वधु को आशीर्वाद दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री भार्गव केवल राजनेता ही नहीं समाज-सेवक और विकास पुरुष भी हैं। प्रदेश के विकास के लिए वे सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। उन्होंने 21 सौ कन्याओं का विवाह कराकर समाज-सेवा का जो इतिहास बनाया, वह अनुकरणीय है। उन पर हम सभी को गर्व है। श्री भार्गव ने यह सिद्ध किया कि राजनीति पेशा नहीं समाज-सेवा है। मुख्यमंत्री ने विवाह समारोह को सामाजिक सेवा का महाकुंभ भी बताया, जिसमें एक लाख से अधिक लोग शामिल हुए।

श्री चौहान ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का लक्ष्य है कि सभी बेटियां सुखी रहें। कोई भी माता-पिता अपनी बेटी के विवाह को लेकर परेशान नहीं हो। प्रदेश सरकार ने बेटियों के जन्म से लेकर पढ़ाई और फिर बाद में विवाह के लिए योजना लागू की है। अब महिलाओं के कल्याण की सबसे बड़ी योजना 'लाड़ली बहना' शुरू की गई है, जिससे पात्र सभी महिलाओं के बैंक खाते में एक हजार रुपये प्रतिमाह राशि डाली जायेगी। बेटियों, बहनों और महिलाओं के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना मध्यप्रदेश सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। लाड़ली बहना योजना में शामिल होने के लिए महिलाओं को यहां-वहां भटकने की जरूरत नहीं होगी, गांव, शहर के वार्डों में शिविर लगाकर आवेदन लिए जायेंगे।

श्री गोपाल भार्गव ने बताया कि बीस साल पहले मुख्यमंत्री और उन्होंने गरीब कन्याओं के विवाह संपन्न कराने की शुरुआत थी। उन्होंने बताया कि 20 साल पहले मैंने छोटे रूप में इसकी शुरुआत की थी, जो अब विशाल स्वरूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की एक भी बेटी ऐसी नहीं होना चाहिए, जिसके हाथ आर्थिक तंगी के अभाव में पीले नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने परिणय-सूत्र में बंधने वाली बेटियों से कहा कि जब तक गोपाल भार्गव जीवित है, धर्मपिता के रूप में वह आपके काम आयेगा। अब मध्यप्रदेश का कोई भी गरीब चाहेगा तो उनकी बेटी का विवाह वे संपन्न करायेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को लोक कल्याण और सामाजिक समरसता की योजना बताया।

सांसद श्री वी.डी. शर्मा ने कन्यादान को भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ा दान बताया।

स्व. पुष्पेन्द्र पाल सिंह के नाम से पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाएगा पुरस्कार

स्वर्गीय सिंह निष्काम कर्मयोगी और अहंकारशून्य व्यक्ति थे - मुख्यमंत्री

भोपाल, स्व. श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह निष्काम कर्मयोगी और अहंकारशून्य व्यक्ति थे। उनके नाम से पत्रकारिता क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी एवं संचार विश्वविद्यालय में एक कक्ष स्व. पुष्पेन्द्र पाल सिंह के नाम पर किया जायेगा। कक्ष में उनके लेखों का संग्रह भी होगा। साथ ही उनकी स्मृति में व्याख्यान माला भी होगी। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में पूर्व प्राध्यापक और रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र के सम्पादक स्व. श्री पुष्पेंद्र पाल सिंह की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुये कहीं।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र के सम्पादक स्व. श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्व. पुष्पेन्द्र पाल सिंह सामान्य सीट पर बैठकर ही विद्यार्थियों से बात करते थे। वे सदैव उत्साह से भरे रहते थे और सचमुच में भगवान कृष्ण के सात्विक कार्यकर्ता थे। मुख्यमंत्री ने स्व. सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा-सुमन अर्पित किए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग, खजुराहो सांसद श्री वी.डी. शर्मा और पत्रकारों सहित बड़ी संख्या में स्व. पी.पी. सिंह के शिष्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व. सिंह विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान और मदद करते थे। उनके मन में सहयोग का भाव रहता था। वे हम सबको रुला कर चले गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी कई यादें हमारे जहन में हैं।

श्रद्धांजलि सभा में स्व. श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह के जीवन-दर्शन पर केंद्रित लघु फिल्म का प्रदर्शन और कॉफी टेबिल बुक का विमोचन भी हुआ।

किसान कल्याण

किसानों को सहकारी बैंकों ने जारी किये 39 लाख 57 हजार केसीसी

भोपाल, मध्यप्रदेश के किसानों को सहकारी बैंकों द्वारा नवम्बर-2022 तक 39 लाख 57 हजार किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं। विभिन्न बैंकों द्वारा जारी कुल 65 लाख 83 हजार केसीसी में से सहकारी बैंकों की भागीदारी 7 प्रतिशत है। केसीसी से कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण प्रदान किया जाता है। यह जानकारी सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में दी गई। समिति के सदस्य विधायक श्री संजय सत्येंद्र पाठक उपस्थित थे।

सचिव सहकारिता श्री विवेक पोरवाल ने बताया कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन और शासकीय उचित मूल्य दुकानों का संचालन सफलता से किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर समितियों द्वारा 46 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उपार्जन किया गया। समितियों द्वारा प्रदेश में 16 हजार 452 शासकीय उचित मूल्य दुकानों का संचालन किया जा रहा है। इनसे 119 लाख परिवारों को समय पर राशन वितरित किया जा रहा है।

विभाग द्वारा किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण के वितरण में उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित की गई है। वर्ष 2022-23 में 14 हजार 699 करोड़ रुपये के ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को उपलब्ध कराये गये हैं। राज्य सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंकों में बैंकिंग सेवाओं का उन्नयन किया जा रहा है।

प्रदेश के 29 जिला सहकारी बैंकों से संबद्ध शाखाओं और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में चार हजार माइक्रो एटीएम स्थापित किये जा रहे हैं। इनसे समिति स्तर पर किसानों को आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही राज्य सहकारी बैंक और खरगोन, इंदौर एवं विदिशा जिला सहकारी बैंक में मोबाइल बैंकिंग की सुविधा संचालित की जा रही है।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

मध्यप्रदेश में चल रहा है जनता की तकदीर बदलने का महाअभियान

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर के शाहगंज के गौरव दिवस समारोह को संबोधित करते हुये।

सीहोर, यदि सरकार की नीयत और नीति दोनों ठीक हो तो तस्वीर और तकदीर बदलती है। प्रदेश में जनता की तकदीर और प्रदेश की तस्वीर बदलने का महाअभियान चल रहा है। मेरी जिंदगी का मकसद है, आपकी जिंदगी में खुशहाली लाना और इसके लिये मैं निरंतर कार्य कर रहा हूं। यदि आपकी जिंदगी खुशहाल होती है, तो मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थकता है। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के शाहगंज नगर के गौरव दिवस समारोह को संबोधित करते हुये कहीं। उन्होंने नगर की प्रतिभाओं को सम्मानित किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के हितलाभ और स्वीकृति-पत्र हितग्राहियों को वितरित किये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के साथ समाज के सहयोग से शाहगंज प्रदेश के अन्य शहरों के लिये प्रेरणा बन गया है। शाहगंज स्वच्छता में छोटे शहरों में नंबर एक है। यहां शासन की सभी योजनाएं व्यवस्थित रूप से लागू हुई हैं। गौरव दिवस का आयोजन भी व्यवस्थित ढंग से किया गया है।

श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में बहनों का सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है। लाड़ली बहना योजना महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी योजना है। 25 मार्च से इस योजना के फार्म भरवाए जाएंगे और 10 जून को बहनों के खातों में पैसा आ जाएगा।

- **शाहगंज में 55 लाख 61 हजार रुपये की लागत से निर्मित पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेई की प्रतिमा का किया गया अनावरण।**
- **मुख्यमंत्री ने शाहगंज में 7 करोड़ 59 लाख रुपये के निर्माण कार्यों का किया लोकार्पण।**

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 56 हजार गरीब बेटियों की शादी सरकार द्वारा करवाई गई है और 44 लाख 40 हजार बेटियों को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल रहा है। प्रदेश में बहनों के प्रति दुराचार करने वालों के विरुद्ध फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। प्रसूति सहायता योजना में जन्म से पहले 4 हजार और जन्म के बाद 12 हजार रुपये की सहायता दी जाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेधावी विद्यार्थी योजना में उच्च शिक्षा की फीस भी सरकार भरवा रही है। प्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब हिंदी में शुरू हो गई है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मामा कोचिंग क्लास चलाई जा रही है। प्रदेश में 1 लाख 24 हजार सरकारी पदों पर भर्ती की कार्रवाई चल रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नई आबकारी नीति में एक अप्रैल से सभी शराब के अहाते बंद कर दिए जाएंगे। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर चालक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

श्री चौहान ने कहा कि पुरानी सरकार ने किसानों से कर्ज माफी के झूठे वादे कर उन्हें डिफॉल्टर बना दिया था। हमारी सरकार किसानों का ब्याज मुक्त करेगी और उन्हें जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिलवाएगी। शाहगंज क्षेत्र में स्वामित्व योजना के पट्टे वितरित किए गये हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के पट्टों का भी शीघ्र वितरण होगा। क्षेत्र के जो 13 गांव नर्मदा पाइप लाइन से छूट गए हैं, उनके लिए 55 करोड़ रुपये की नई योजना बनाई जा रही है, जिससे 3400 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी।

समन्वयक समर्पित भाव से राज्य शासन की योजनाओं का करें प्रचार-प्रसार - मुख्यमंत्री

भोपाल, राज्य सरकार की कल्याण-कारी योजनाओं और कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के समन्वयक चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाएं। टीम के रूप में समर्पित भाव से राज्य शासन की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करें। समन्वयक सचमुच में सरकार के प्राण हैं। उन्हें राज्य सरकार के बड़े उद्देश्य को पूरा करना है। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में समृद्धि योजना में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के संभाग, जिला और विकासखण्ड समन्वयकों की एक दिवसीय प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला को संबोधित करते हुये कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पेसा नियम लागू करना कोई आसान काम नहीं है। सोशल मीडिया हमारी योजनाओं को जनजातीय वर्गों तक पहुंचाने का माध्यम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के सहयोग से ही प्रदेश का विकास होगा। उन्होंने कहा कि लाड़ली बहना सामाजिक क्रांति और महिला सशक्तिकरण की दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। श्री चौहान ने कहा कि सीएम जन सेवा मित्र, पेसा को-ऑर्डिनेटर सजग रहकर चुनौती के रूप में कार्य करें। मेरे भाव और विचार जनता तक प्रभावी रूप से पहुंचायें। परिषद के उपाध्यक्ष श्री जितेन्द्र जामदार भी उपस्थित थे।

मध्यप्रदेश में एक अप्रैल से शुरू होगी पशु एम्बुलेंस सेवा

भोपाल, मध्यप्रदेश में एक अप्रैल 2023 से पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू हो जायेगी। पशुपालन विभाग ने एम्बुलेंस में एक डॉक्टर, एक कम्पाउण्डर और एक ड्रायवर सहित कॉल-सेंटर के लिये 1238 लोगों को रोज़गार से जोड़ा है। एम्बुलेंस में सभी आवश्यक सुविधाएं रहेंगी। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल की अध्यक्षता में हुई पशुपालन विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक में यह जानकारी में दी गई।

श्री पटेल ने कहा कि धार्मिक व्यक्ति और संस्थान गौ-शालाओं का संचालन बेहतर ढंग से करते हैं। जिन ग्राम सभाओं में गौ-शालाओं का व्यवस्थित संचालन नहीं हो रहा है, वहां यह जिम्मेदारी एनजीओ को दें। बताया गया कि पड़ोसी राज्य राजस्थान में लम्पी बीमारी से लगभग 70 हजार गायों की मृत्यु के बावजूद सतर्कता के चलते मध्यप्रदेश में केवल 696 मृत्यु दर्ज की गई। लम्पी बीमारी से बचाव के लिये गायों को लगाये गये 37 लाख 13 हजार से अधिक टीकों का इसमें बड़ा योगदान है।

पशुपालन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा अनुसार ब्लॉक में अलग-अलग और छोटी-छोटी गौ-शालाओं की जगह एक बड़ी गौ-शाला में बेसहारा गायों को रखें। इससे गायों की देखभाल अच्छी होने के साथ गोबर और गौ-मूत्र अधिक होने से उनकी आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी।

पशुपालन की विभिन्न केंद्रीय और राज्य की गौ-भैंस, बकरी, कुक्कुट-पालन आदि योजनाओं की अद्यतन स्थिति पर भी चर्चा की गई। बकरी-पालन में हितग्राही को शासन द्वारा 60 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है। केंद्र शासन की 4 करोड़ रुपये की गौ-पालन योजना में 2 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का प्रावधान है। साथ ही प्रदेश की आचार्य विद्यासागर योजना में 10 लाख रुपये तक का ऋण 5 गायों के लिये दिया जाता है। पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में डेयरी प्लस योजना विदिशा, रायसेन और सीहोर में लागू की गई है। इसमें अनुसूचित जाति-जनजाति को 75 प्रतिशत और सामान्य को 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है। विशेष पिछड़ी जनजातियों बैगा, भारिया, सहरिया को 90 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में उच्च नस्ल की बछियों की संख्या बढ़ाने के लिये ब्लॉक स्तर पर निःशुल्क टीके उपलब्ध कराये जायेंगे।

'वन नेशन-वन राशन' योजना का लाभ सभी को मिलना सुनिश्चित करें

भोपाल, वन नेशन-वन राशन योजना का लाभ सभी हितग्राहियों को अनिवार्य रूप से मिलना सुनिश्चित किया जाये। यह निर्देश गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश 2023 और अमृत काल 2047 सुशासन से संबंधित मंत्री समूह की बैठक में दिये। बैठक में 7 विभागों के निर्धारित लक्ष्यों की समीक्षा की गई। सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया, पशुपालन मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री रामखेलावन पटेल, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री विनोद कुमार और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

गृह मंत्री ने कहा कि सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ मिलने में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। राशन मिलने में होने वाली गड़बड़ी से संबंधित दोषियों का चिन्हांकित कर उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें। हितग्राहियों को राशन लेते ही उनके मोबाइल पर हिन्दी में एसएमएस भेजने के पुख्ता प्रबंध करें।

सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद भदौरिया ने योजनाओं से अधिकतम पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिये लक्ष्य बढ़ाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि देश में सबसे पहले मध्यप्रदेश में पेक्स सोसायटी के डिजिटाइजेशन का कार्य करने का लक्ष्य रखा गया है। जल्द ही इस लक्ष्य को पूर्ण भी किया जायेगा। पेक्स के बेहतर संचालन के लिये आवश्यक प्रबंध भी किये जा रहे हैं। आगामी एक साल में 10 हजार पंचायतों में पेक्स सोसायटी की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पशुपालन मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि शासन द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं का समय पर लाभ दिया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन की सार्थकता तभी है, जब तत्परता से जनता लाभान्वित हो।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री रामखेलावन पटेल ने कहा कि योजनाओं का लाभ मैदानी स्तर पर ग्रामीणों को उपलब्ध हो। उन्होंने सरकार की योजनाओं को जल्द से जल्द क्रियान्वित करने के निर्देश दिये।

बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, सहकारिता, जनजातीय कार्य, लोक सेवा प्रबंधन, पशुपालन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, राजस्व तथा परिवहन विभाग की समीक्षा की गई।

मध्यप्रदेश में तेजी से भरे जा रहे हैं बैकलॉग के पद - मुख्यमंत्री

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में एक लाख 14 हजार शासकीय पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। बैकलॉग के रिक्त पदों को तेजी से भरा जा रहा है। स्टाफ नर्स का काम सेवा है। सेवा ही धर्म है। लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट भी अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करें और मन में सेवा का भाव रहे। मुझे पूरा विश्वास है कि नव-नियुक्त अभ्यर्थी मानव-सेवा का नया रिकॉर्ड स्थापित करेंगे।

मुख्यमंत्री ने गैस त्रासदी विभाग के कर्मचारी मंडल द्वारा समूह-5 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रमाण-पत्र का वितरण किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पद पर नियुक्ति के लिये वित्तीय वर्ष 2022-23 में 160 रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है। शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति वर्ष 2023-24 में की जाएगी। वर्तमान में 19 बैकलॉग पदों में से बैगा, भारिया, सहरिया, अनुसूचित जनजाति के सीधे आवेदन के आधार पर एक पद पर स्टाफ नर्स की सीधी नियुक्ति की गई है। अन्य 10 चयनित अभ्यर्थियों

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में गैस त्रासदी विभाग में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रमाण-पत्र वितरित करते हुये।

में से 6 स्टाफ नर्स, 2 लैब टेक्नीशियन, एक फार्मासिस्ट तथा एक लैब सहायक के नियुक्ति आदेश वितरित किए गए। शेष अन्य 120 पदों पर कर्मचारी चयन मंडल ने परीक्षा करा ली है, जिसका परिणाम आने पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कुमारी किरण भारती स्टाफ नर्स भारिया अनुसूचित जनजाति की भर्ती सीधे आवेदन के आधार पर की गई है। बैकलॉग के कोई भी पद रिक्त नहीं रहेंगे।

कार्यक्रम में कर्मचारी चयन मंडल द्वारा समूह-5 के चयनित 10 अभ्यर्थियों में स्टाफ नर्स श्रीमती रामरती बासौर, श्रीमती नीलिमा वर्मा, कु. ज्योति कनाड़े, कु. भारती हीरालाल भावरकर, श्रीमती निष्ठा मलिक और कु. प्रियंका भवेदिया, लैब टेक्नीशियन श्री भानुप्रताप चौधरी और श्री सचिन बर्फा, फार्मासिस्ट ग्रेड-2 श्रीमती मनीषा अहिरवार और लैब असिस्टेंट कु. बबीता सोनी शामिल हैं।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

बाघों के आने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनेगी शिवपुरी की पहचान - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान माधव नेशनल पार्क में बाघ छोड़ने के बाद पार्क का अवलोकन करते हुये।

शिवपुरी, शिवपुरी ऐतिहासिक प्राचीन पर्यटन नगरी है। नेशनल पार्क में दो बाघ के छोड़ने से अब शिवपुरी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर पहचाना जाएगा। पर्यावरण-संरक्षण एवं संवर्धन के लिये बाघों का संरक्षण और उनकी सुरक्षा भी करनी होगी। शिवपुरी में बाघों के आने से स्थानीय स्तर पर रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और देशी एवं विदेशी पर्यटकों के आने से जिले की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। यह बात मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में बाघ का एक जोड़ा छोड़ने के बाद कही।

मुख्यमंत्री ने बाघ मित्रों से संवाद करते हुए कहा कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क से मादा और सतपुड़ा नेशनल पार्क से नर बाघ शिवपुरी लाया गया है। शीघ्र ही तीन बाघ और लाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बाघ मित्रों से कहा कि हमें बाघ और वन्य-प्राणियों के संरक्षण के लिये लोगों को जागरूक कर बताना होगा कि वन्य-प्राणी हमारे मित्र हैं और हमें उन्हें संरक्षण देना है।

श्री चौहान ने कहा कि बाघ प्रोजेक्ट में बाघों के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ अधो-संरचना के कार्य भी किए जायेंगे। साथ ही गाइड, होटल एवं टैक्सी संचालकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। होम-स्टे को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे बाहर से आने वाले सैलानियों को प्राकृतिक एवं खुले वातावरण में बाघ एवं वन्य-प्राणियों को देखने का अवसर मिलेगा।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सिंधिया ने कहा कि 27 वर्षों के बाद माधव नेशनल पार्क में अब बाघों की दहाड़ सुनने के साथ सैलानियों को उन्हें देखने का भी अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि शिवपुरी सहित अंचल के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है और क्षेत्र के लिए गौरव की बात भी है। उन्होंने कहा कि उनके पिताजी स्व. माधवराव सिंधिया की जयंती पर मुख्यमंत्री के प्रयासों से माधव नेशनल पार्क में पुनः बाघों को विस्थापित किया गया है। दूसरे चरण में 3 बाघ और लाए जाएंगे। श्री सिंधिया ने कहा कि बाघों के आने से जहां पर्यावरण संतुलित होगा, वहीं स्थानीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा होंगे।

लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के दायरे में अब 48 विभागों की 696 सेवाएं

भोपाल, लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम में 48 विभागों की 696 सेवाएं दी जा रही हैं। लोक सेवा प्रबंधन एवं सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में हुई विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक में यह जानकारी दी गई।

बताया गया कि नागरिकों द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर किये गये आवेदनों का निराकरण किया जा रहा है। लगभग एक करोड़ 22 लाख से अधिक व्यक्तियों को सीएम हेल्पलाइन से लाभान्वित किया गया है। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज 2 करोड़ शिकायतों में से 98 प्रतिशत का निराकरण किया जा चुका है। सीएम जन-सेवा में नागरिकों को दैनिक जीवन में सर्वाधिक जनोपयोगी लोक सेवा गारंटी अधिनियम की सेवाएं दी जा रही हैं। इनमें आय, मूल निवासी प्रमाण-पत्र और चालू खसरा-खतौनी, नक्शा एवं भू-अधिकार पुस्तिका की प्रतिलिपियों का प्रदाय सीएम हेल्पलाइन नम्बर 181 पर प्राप्त कॉल पर किया जा रहा है। सीएम हेल्पलाइन से नागरिकों को व्हाट्सएप के माध्यम से दर्ज शिकायतों की स्थिति और योजनाओं की जानकारी देने की सुविधा भी दी जा रही है।

सीजनल इन्फ्लूएंजा की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी निर्देश जारी

भोपाल, मध्यप्रदेश में संक्रमण एवं गंभीर श्वसन संबंधी बीमारियों जैसी इन्फ्लूएंजा की बढ़ती प्रवृत्ति के मद्देनजर सीजनल इन्फ्लूएंजा (एच-1, एन-1, एच-3, एन-2) वेरिएंट की रोकथाम के निर्देश स्वास्थ्य आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं सिविल सर्जन को जारी किये हैं। उन्होंने कहा है कि सीजनल इन्फ्लूएंजा वेरिएंट के संबंध में भारत शासन द्वारा जारी गाइड लाइन का अनुसरण किया जाए।

डॉ. खाड़े ने कहा कि सभी फ्लू प्रकरणों एवं सीजनल इन्फ्लूएंजा वेरिएंट की शंका होने पर तुरंत जांच कराएं तथा ओसल्टामिविर (टेमिफ्लू) शुरू की जाए। जिन स्थानों से एक्यूट रिस्पायरेट्री इन्फेक्शन के अधिक प्रकरण आ रहे हैं, उन स्थानों पर रैपिड रिस्पांस टीम भेज कर सर्वे करवाएं। छोटे बच्चे, बूढ़े व्यक्ति एवं कोमॉर्बिडिटी रोगों से पीड़ित लोग अधिक सतर्क रहें। जिला टास्क फोर्स की बैठक कर जरूरी दवाइयां-उपकरण और मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करें। साथ ही कोविड-19 और इन्फ्लूएंजा के टीकाकरण कवरेज का परीक्षण भी करें। सीजनल इन्फ्लूएंजा के सभी सी-कैटेगरी के रोगियों के निदान के लिये थ्रोट स्वाब सैंपल चिन्हित लैब में भेजे जाएं।

स्वास्थ्य आयुक्त ने बताया कि इन रोगों के संचरण को सीमित करने के लिए श्वसन और हाथ की स्वच्छता के पालन के बारे में सामुदायिक जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है। (जैसे खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को एक टीशू पेपर/ कोहनी से ढंकना, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से बचना, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र मास्क का उपयोग करना एवं बार-बार हाथ धोना आदि) लक्षणों की शुरुआती सूचना देने और उन लोगों के संपर्क को सीमित करना जो श्वांस की बीमारी से पीड़ित हैं।

जनभागीदारी समिति अध्यक्ष नई भूमिका में सामाजिक उत्तरदायित्व ईमानदारी से निभाएं

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव एक प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुये।

भोपाल, जनभागीदारी समितियों में मनोनीत अध्यक्ष अपनी नई भूमिका में ऐसे नवाचार करें, जो विद्यार्थियों के जीवन में बदलाव ला सकें। अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को ईमानदारी से निभाएं। यह बात उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल स्थित आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी में प्राचार्यों एवं जन-भागीदारी समितियों में मनोनीत अध्यक्षों के दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुये कही।

डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमारी चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। नीति में हमें कई नए पाठ्यक्रम को शुरू करने की स्वतंत्रता मिलती है। उन्होंने जनभागीदारी समिति के अध्यक्षों से आह्वान किया कि वे महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ नई शिक्षा नीति को समझें और प्लानिंग करें। महाविद्यालयों में कृषि, उद्यानिकी आदि विषयों पर केंद्रित पाठ्यक्रम को शुरू करने में सहयोग दें। डॉ. यादव ने कहा कि विषय-विशेषज्ञों को महाविद्यालय में आमंत्रित कर ऐसे पाठ्यक्रमों को शुरू करवाएं, जो न सिर्फ रोज़गारोन्मुखी हों, बल्कि विद्यार्थियों के जीवन में बदलाव भी ला सकें। महाविद्यालय कैम्पस में पौधों की नर्सरी तैयार करें, इससे संबंधित पाठ्यक्रम भी संचालित किये जायें। पर्यटन के लिये गाइड का निर्धारित पाठ्यक्रम भी शुरू किया जा सकता है। डॉ. यादव ने कहा कि महाविद्यालय कंसल्टेंट नियुक्त कर स्थानीय मूल्यों पर आधारित रोज़गारोन्मुखी पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने में सक्रिय भूमिका निभाएं। महाविद्यालयों के पूर्व छात्रों को अपने साथ अवश्य जोड़ें। उन्होंने कहा कि जन-भागीदारी समिति के अध्यक्ष अपनी व्यवस्थित प्लानिंग बना कर कार्यकाल का पूरा उपयोग करें।

अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री के.सी. गुप्ता ने कहा कि आज के उन्मुखीकरण कार्यक्रम से कई शंकाएं दूर होंगी। जनभागीदारी समिति में अशासकीय प्रतिनिधि मनोनीत करने का आशय यह है कि महाविद्यालय का कार्यक्षेत्र महाविद्यालय तक सीमित न रहे, पारदर्शिता और गुणवत्ता भी आए। उन्होंने कहा कि प्राचार्य और समिति अध्यक्ष बच्चों की शिक्षा और उनके सम्पूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। श्री गुप्ता ने कहा कि महाविद्यालयों में रोज़गारोन्मुखी कार्यक्रम, औद्योगिक क्षेत्रों का भ्रमण कर सामाजिक कार्यक्षेत्र में विद्यार्थियों का सहयोग, महाविद्यालय में बाहरी हस्तक्षेप को रोकना आदि जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी है।

आयुक्त उच्च शिक्षा श्री कर्मवीर वर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा पहली बार 314 महाविद्यालयों के प्राचार्य और मनोनीत जनभागीदारी समिति के अध्यक्षों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में जनभागीदारी समिति के नियम, निर्देश एवं महाविद्यालय प्रबंधन के संबंध में विस्तृत चर्चा की जाएगी। साथ ही विभागीय अधिकारी और विषय-विशेषज्ञों द्वारा जन-भागीदारी समिति से संबंधित प्रस्तुतीकरण दिया जायेगा।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

एजेंसी देना है

मध्यप्रदेश का सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला साप्ताहिक समाचार पत्र

रोज़गार और निर्माण

प्रदेश में शहडोल, कटनी, बैतूल, सागर, दमोह, खण्डवा, हरदा एवं विदिशा जिलों में एजेंसी नियुक्त करना है।

एजेंसी संबंधित कार्य के लिए कार्यालीन समय में संपर्क करें

0755-2760006, 9424442725, 9424444174

प्रमुख आकर्षण

- कॅरियर की खबरें
- सम-सामयिक विषयों पर विशेषज्ञों की टिप्पणियां
- खेल जगत की उल्लेखनीय खबरें
- सप्ताह की प्रमुख घटनाएं
- मध्यप्रदेश सरकार के निर्णयों और योजनाओं की जानकारियां
- विज्ञान की बातें

मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) 462011
फोन नंबर : 0755-2551330, 0755-2760006
www.mpmadhyam.in
madhyam.rojgar@gmail.com

आज ही खरीदें
प्रमुख बुक-स्टॉलों पर उपलब्ध

रामचंद्र पौडेल

नेपाल के नये राष्ट्रपति चुने गए

नेपाल कांग्रेस के नेता रामचंद्र पौडेल नेपाल के नये राष्ट्रपति होंगे। उन्होंने सुभाष नेमबांग को हराया है। पौडेल विद्यादेवी भंडारी का स्थान लेंगे। पौडेल इसके पहले नेपाल की संसद के स्पीकर भी रह चुके हैं। उन्हें 33,802 वोट मिले जबकि नेमयांग को 15,518 वोट मिले।

रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास

50 दिन बाद पहुंचा डिब्रूगढ़

विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास ने अपनी यात्रा पूरी कर ली। यात्रा उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू हुई थी। क्रूज इस क्रम में 50 दिन बाद असम के डिब्रूगढ़ पहुंचा। यात्रा में क्रूज ने 5 राज्यों को पार किया। 3,200 किलोमीटर की दूरी रिकॉर्ड समय में तय की।

ब्रिटेन

एक साथ 960 लोगों ने बुने स्वेटर

इंग्लैंड के डर्बी में 960 लोग एकजुट हुए और एक साथ ही स्वेटर की कढ़ाई–बुनाई की। इसे सबसे ज्यादा लोगों द्वारा एक साथ स्वेटर या कंबल बुनने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। यह आयोजन युद्धग्रस्त यूक्रेन के लोगों की मदद के लिए किया गया। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम था, जहां 2017 में 604 लोगों ने एक साथ कढ़ाई–बुनाई की थी।

अमेरिका

सबसे बदसूरत डॉग विजेता बना

अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में दुनिया का सबसे बदसूरत डॉग्स का कॉम्पटीशन हुआ। इस प्रतियोगिता में छोटे–छोटे बालों वाले छोटी प्रजाति के डॉग को विजेता चुना गया। प्रतियोगिता में अमेरिका के अलावा अन्य देशों के लोग अपने डॉगी को लेकर आते हैं। बदसूरत डॉग को चुनने के लिए कई मानकों पर परखा जाता है।

साइप्रस

क्रिस्टोडौलाइड्स राष्ट्रपति बने

साइप्रस में 49 वर्षीय निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स ने नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। उन्होंने वादा किया कि लंबे समय से चले आ रहे साइप्रस मुद्दे का समाधान खोजना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। संसद के विशेष सत्र के पहले उन्होंने शपथ ग्रहण की। क्रिस्टोडोलाइड्स ने 12 फरवरी को 52 प्रतिशत वोट के साथ जीत हासिल की थी। उन्होंने अनुभवी राजनयिक एंड्रियास मावरोयानीतिस को हराया।

टेलीस्कोप ने

सुपरनोवा की खींची अनोखी तस्वीरें

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के टेलीस्कोप ने चकाचौंध करने वाले मृत सितारों की अद्भुत तस्वीरें ली हैं। सुपरनोवा के रूप में जाने जाने वाले ये सितारे हैं जो बेहद शक्तिशाली विस्फोट में मारे गए। सुपरनोवा अंतरिक्ष में किसी भयंकर और चमकीले विस्फोट से होता है। एक सुपरनोवा अंतरिक्ष में 15,000 से 40,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से गुजरता है। खगोलविदों के अनुसार जब कोई सितारा जीवनकाल के अंतिम चरण में होता है तो उसमें भयंकर विस्फोट होता है।

फ्लोरिडा में

समुद्र तट पर 214 साल पुराना सीप मिला

अमेरिका के फ्लोरिडा में समुद्र तट पर एलीगेटर पाइंट पर हाल ही में सीप मिला। जिसका आकार और मजबूती इसे खास बना रही है। 1.170 किलो के इस सीप को स्टडी के लिए शोधकर्ता अपने साथ ले गए। जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि यह सीप 214 साल पुराना है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इतना वजनी सीप का समुद्र तट पर आना दुर्लभ मामला है।

किलियन एमबापे

जुड़ना चाहते हैं नए क्लब से

पीएसजी फ्रांस के किलियन एमबापे के खत्म होते कॉन्ट्रैक्ट को 2025 तक रीन्यू करना चाहती है, लेकिन एमबापे इस को रीन्यू नहीं करवाना चाहते। वे किसी नए क्लब से जुड़ना चाहते हैं। जानकारी के अनुसार आगामी ट्रांसफर विंडो में उनके नए क्लब का नाम और वेतन की जानकारी सामने आएगी।

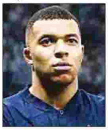

शमा हाकिम मेसीवाला

यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की एसोसिएट जस्टिस नामित

भारतीय मूल की प्रोफेसर शमा हाकिम मेसीवाला को अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सर्वसम्मति से एसोसिएट जज नामित किया गया है। न्यायिक परिषद् के अनुसार सैक्रामेंटो शहर में अपील के तीसरे जिला न्यायालय के सहयोगी न्यायाधीश के रूप में मेसीवाला की नियुक्ति की पुष्टि कैलिफोर्निया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पेट्रीसिया म्युरेरो ने की थी। मेसीवाला 2013 से कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, डेविस स्कूल ऑफ लॉ में सहायक प्रोफेसर हैं।

कनाडा में

सॉकर बोर्ड अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया

कनाडा के सॉकर अध्यक्ष निक बोंटिस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कुछ समय से कनाडा की राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम पुरुषों की तुलना में कम वेतन और फंड के कारण प्रदर्शन कर रही है। बोंटिस ने इस मांग का समर्थन करते हुए इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वे मांगों का समर्थन करते हैं और संस्था का नेतृत्व नहीं कर सकते।

टॉम क्रूज को

पीजीए पुरस्कार मिला

अभिनेता टॉम क्रूज और एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म को प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका (पीजीए) पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्टन में आयोजित समारोह में टॉम क्रूज को डेविड ओ. सेल्जनिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला।

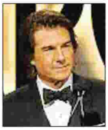

डॉक्टर महेश नागरगोजे को

विश्व प्रसिद्ध मैरी क्यूरी फेलोशिप मिली

महाराष्ट्र में बीड जिले के रोहतवाड़ी गांव के डॉक्टर महेश नागरगोजे को विश्व प्रसिद्ध मैरी क्यूरी फेलोशिप मिली है। इस फेलोशिप को यूरोपीय आयोग देता है। जिसमें एक लाख 89 हजार यूरो (करीब एक करोड़ 70 लाख रुपये) मिलते हैं। इस फेलोशिप के तहत महेश अगले दो साल तक ब्रेन स्ट्रोक पर रिसर्च करेंगे। महेश ने आईआईटी गुवाहाटी से पीएच.डी. की है।

थाईलैंड

राजा की छोटी बेटी मेजर जनरल बनीं

थाईलैंड के राजा महावजीरालोंगकोर्न की छोटी बेटी प्रिंसेस सिरिवन्नावारी नारीरत्न राजकन्या को थाईसेना में मेजर जनरल नियुक्त किया गया है। नारीरत्न राजकन्या रॉयल थाई सेना में विशेषज्ञ के रूप में शामिल की गई हैं। पेशे से वह फैशन डिजाइनर हैं।

माणिक साहा

दोबारा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माणिक साहा दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। उनके साथ ही आठ और मंत्रियों को भी शपथ दिलायी गयी। इस मंत्रिमंडल में सहयोगी दल आईपीएफटी के एक सदस्य को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है।

कैट झोउ को

अंडरवाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 अवॉर्ड मिला

अमेरिकी फोटोग्राफर कैट झोउ द्वारा ब्राजील से बहने वाली अमेजॉन नदी में खींची गई डॉलफिन की तस्वीर को अंडरवाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 अवॉर्ड दिया गया है। अवॉर्ड मिलने के बाद झोउ ने कहा कि इस मछली की तस्वीर खींचने वाले पोज मंत्रमुग्ध करने वाले थे। इस मछली के लिए कई प्रचलित कहानियां भी हैं।

रूसी पनडुब्बी ने

कैलिबर मिसाइल का किया परीक्षण

रूस की डीजल–इलेक्ट्रिक पनडुब्बी पेट्रोपावलोव्स्क–कामचत्स्की ने जापान सागर से एक हजार किलोमीटर की दूरी पर कलिबर क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। बेड़े के प्रेस कार्यालय के अनुसार प्रशांत बेड़े के पेट्रोपावलोव्स्क–कामचत्स्की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी के चालक दल ने जापान के सागर में युद्ध अभ्यास योजना के हिस्से के रूप में पानी के नीचे से एक कैलिबर क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया है। मिसाइल ने निश्चित समय पर लक्ष्य भेदने में सफलता पाई।

हेकानी जाखलू

नगालैंड की पहली महिला विधायक बनीं

नगालैंड में 60 साल बाद हेकानी जाखलू पहली महिला विधायक बनीं। एनडीपीपी की उम्मीदवार हेकानी ने दीमापुर–3 सीट पर जीत हासिल की है। नगालैंड में 27 फरवरी को हुए चुनाव में हेकानी रिकॉर्ड मतों से जीतीं। 60 विधानसभा सीटों पर 184 उम्मीदवारों में केवल 4 महिलाएं ही चुनाव लड़ीं थीं। हेकानी की जीत से नगालैंड को पहली महिला विधायक मिल गई।

इसरो

चंद्रमा के लिए 3डी थर्मोफिजिकल मॉडल बनाया

अहमदाबाद में स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पी आर एल) में वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की सतह के तापमान का पता लगाने के लिए व्यापक त्रि–आयामी थर्मोफिजिकल मॉडल तैयार किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने कहा है कि इस मॉडल के माध्यम से वैज्ञानिक चंद्रमा की सतह और उप सतह पर तापमान को मापने में सक्षम हो सकेंगे। चंद्र विज्ञान और अन्वेषण पहलुओं दोनों के लिए इस मॉडल के माध्यम से सबसे बाहरी और धूल की परत की प्रकृति को नियंत्रित करने सहित कई अनुप्रयोग कर सकते हैं।

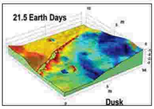

स्मृति शेष

अमेरिका के महान संगीतकार वेन शॉर्टर का निधन

अमेरिका के महानतम संगीतकार और जैज सैक्सोफोनिस्ट वेन शॉर्टर का 89 वर्ष की आयु में लॉस एंजिल्स में निधन हो गया। उनके करीबी एलिस किंग्सले ने मीडिया को यह जानकारी दी। वेन शॉर्टर ने 1956 में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से संगीत की शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने सेना में दो साल का समय व्यतीत किया। 1964 में वेन शॉर्टर ट्रम्पेयर डेविस के ग्रुप में शामिल हो गए थे।

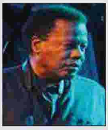

शेयर बाजार के विश्लेषक अश्विनी गुजराल का निधन

भारतीय शेयर बाजार के जाने–माने विश्लेषक अश्विनी गुजराल का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे कई मीडिया चैनलों और बिजनेस चैनलों में टेक्निकल एनालिसिस किया करते थे।

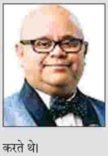

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

(पृष्ठ 22 का शेष)

विशेष:

(1) उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की **अंतिम तिथि 17.06.2023 तक** अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।

(2) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबन्धित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख संलग्न करना भी अनिवार्य है।

टीप-

(1) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा परीक्षा की स्थिति में परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(2) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

(3) मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में विहित छूट तथा यात्रा-व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

(6) जिस श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं वे अनारक्षित पदों के विरुद्ध विचारित किए जाएंगे।

चार मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

पांच **महत्वपूर्ण :-** यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अत: आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छ: **आयु सीमा :** 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

आयु सीमा में छूट : मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अत: सभी अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष होगी। आयु सीमा में अन्य कोई छूट देय नहीं होगी।

सात आयु संगणना तिथि : 01.01.2024

आठ अधिवार्षिकी आयु : 62 वर्ष

नौ **चयन प्रक्रिया :** चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। अभ्यर्थियों की संख्या 500 से कम होने की स्थिति में अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विज्ञापित पदों हेतु 24 तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों।

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा। अनारक्षित तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु 41% तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी हेतु 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे।

टीप :-

(1) अभ्यर्थियों की संख्या 500 से अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

(2) लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस **आवेदन प्रक्रिया :-** उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु इस विज्ञापन के **परिशिष्ट-2** का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने सही ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

(i) आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट-1**

(ii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के निर्देश तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-2**

सचिव

परिशिष्ट-1

आयु सीमा में छूट

(एक) उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसूचित जनजाति के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

तथा

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अत: उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

* ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।

(दो) प्रोत्साहनस्वरूप दी गयी छूट

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप :- (1) **परिशिष्ट-1 (दो)** के अंतर्गत प्रोत्साहनस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यो/योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अत: अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे। (सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट :- (01) उपरोक्त परिशिष्ट – ''एक'' में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

(03) जिस आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं उन्हें आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी किन्तु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

परिशिष्ट-2

आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

1. उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे
   1. **www.mponline.gov.in**
   2. **mppsc.mp.gov.in**

3. अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

4. अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि आवेदन-पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।

फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-

1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
2. फोटो खिचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्में का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टत: दिख रही हों।
4. टोपी हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं हैं। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं, किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफेद हो।
6. किसी और से अपनी फोटो खिचवाएं। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।

5. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

6. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अत: ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व एक बार पुन: अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।

7. आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी तत्समय ही Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सब्मिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "Proceed for Payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा

"Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

8. **त्रुटि सुधार सुविधा :-** अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर **दिनांक 25.05.2023 से 19.06.2023 (दोपहर 12:बजे) तक** प्रति त्रुटि सुधार सत्र रुपये 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। **नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।** अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क 500 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु 250 निर्धारित है अत: आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपये 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

09. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। **विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।**

2. **परीक्षा हेतु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क**

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
रुपये 250/-	**रुपये 500/-**

टीप : आयोग को प्राप्त शुल्क केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में वापस किया जाएगा।

3. **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि**
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **17.06.2023** है। अंतिम तिथि को दोपहर **12:00** बजे के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :-
दूरभाष :- हेल्पलाइन – 0755-6720220 तथा 0755-6720221

4. **अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नहीं करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-**

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षो/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे।
इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं --------------------- आयोग के **मध्यप्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग हेतु** सहायक संचालक रेशम **क्रमांक 07/2023 दिनांक 13.03.2023** के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ

1. मैं ------------------पुत्र/पुत्री श्री------------------- निवासी ग्राम/कस्बा/शहर/---------------- जिला ------------, मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ----------------जाति का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।

2. मैं शपथपूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ।

दिनांक :- -----------------

हस्ताक्षर----------------------
नाम-------------------------
रोल नंबर--------------------

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
कार्यरत/छंटनी किए गए शासकीय सेवकों हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5. जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।

6. **अनुशासनिक निर्देश :-**
यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या
02 प्रतिरूपण किया हो; या
03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
05 ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हो; या
06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या
07 परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या
08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक छति पहुंचाई हो; या
09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित है, अतिक्रमण किया हो; या
10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

तब आयोग द्वारा :-
(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है अनर्ह ठहरा सकेगा
और/या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।
(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।
(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. **अनर्हताएं :-** ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8. **परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-**
01 परीक्षा का परिणाम केवल "रोज़गार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।
02 परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अत: सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबन्धित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।
03 साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वयंमेव समाप्त हो जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

9. **यात्रा व्यय का भुगतान :-**
(अ) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों, को परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।
(ब) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आबंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।
(स) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-
1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो।

(द) **अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना होगा। साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।**
(इ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।
(फ) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

जी-24577/48288/2023

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

खनिज साधन विभाग - मध्यप्रदेश शासन हेतु खनि अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 06/2023/13.03.2023

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 09.06.2023 दोपहर 12:00 बजे तक

आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 16.06.2023

महत्वपूर्ण

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के खनिज साधन विभाग हेतु खनि अधिकारी के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार है:-

अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता -

1. भू-विज्ञान (जियोलॉजी) में स्नातकोत्तर उपाधि या अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान (एप्लाईड जियोलॉजी) में एम.टेक. उपाधि।

रोज़गार पंजीयन -

(क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।

(ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।

2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे आवेदन पत्र **दिनांक 10.05.2023 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 09.06.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in, तथा mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकते हैं।
3. आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने तथा आवेदन शुल्क का भुगतान करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त करें तथा आवेदन पत्र में उल्लेखित भुगतान विवरण से यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क भुगतान हो चुका है। उक्त ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ अपनी अर्हता से संबंधित सभी अभिलेखों तथा अनुप्रमाणन-पत्रक, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक एवं उपस्थिति-पत्रक (आयोग की वेबसाइट **https://mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध) की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न कर आयोग कार्यालय में **दिनांक 16.06.2023 तक** जमा कराएं। **आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट-2 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें एवं तद्नुसार पर्याप्त समय पूर्व आवेदन-पत्र भरें।**
4. आवेदक ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जाँच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में **दिनांक 16.05.2023 से दिनांक 11.06.2023 तक त्रुटि सुधार किया जा सकेगा।** इस हेतु प्रति सुधार सत्र रु. 50/- त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। आवेदक त्रुटि सुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन अमान्य किए जाएंगे तथा आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनाएँ, परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **https://mppsc.mp.gov.in** में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही आवश्यक होने पर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिए गए e-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर e-mail तथा SMS Alert भी प्रेषित किए जाएंगे। अत: आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करें।
6. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है, वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है। जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अत: अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे विभाग को अपनी शिकायत अग्रेषित कर सकते हैं।
7. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें।
8. कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।
9. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
10. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टत: परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना विवर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
11. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित अभ्यर्थियों को परीक्षा में आने-जाने का नियमानुसार भुगतान प्राप्त करने हेतु **Reimbursement** का वर्गीकरण प्रावधानित है। जिसके अनुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जाती है, अतएव इस संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
12. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य/दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, अतएव इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
13. **आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।**
14. **उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 25181/2019 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा।**

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से खनिज साधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD
1.	खनि अधिकारी	2	1	1	1	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0

दो **पद का विवरण**

01	**पद का नाम**	:	खनि अधिकारी
	विभाग का नाम	:	खनिज साधन विभाग
	श्रेणी	:	राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी)
	पद स्थिति	:	अस्थायी
	वेतनमान	:	56100-177500(12)
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	खनिज अधिनियम, नियमों एवं शासन के निर्देशों का क्रियान्वयन/पालन। शासन द्वारा निर्धारित खनिज राजस्व लक्ष्य की पूर्ति करना। जिला कार्यालय खनिज शाखा का नियंत्रण करना। खदानों का निरीक्षण, रॉयल्टी निर्धारण/वसूली, अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण की रोकथाम करना। जिले में पदस्थ अमले के कार्यों का नियंत्रण। शासन/संचालक/कलेक्टर द्वारा समय-समय पर निर्देशित अन्य कार्य।

तीन **शैक्षणिक अर्हता :**

अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता **भू-विज्ञान (जियोलॉजी) में स्नातकोत्तर उपाधि या अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान (एप्लाईड जियोलॉजी) में एम.टेक. उपाधि।**

विशेष :

(1) उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि **09.06.2023** तक अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।

(2) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबन्धित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख संलग्न करना भी अनिवार्य है।

टीप :-

(1) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा परीक्षा की स्थिति में परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(2) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

(3) मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में विहित छूट तथा यात्रा-व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

(6) जिस श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं वे अनारक्षित पदों के विरुद्ध विचारित किए जाएंगे।

चार मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

पांच महत्वपूर्ण :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अत: आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छ: आयु सीमा : 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

आयु सीमा में छूट : मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अत: सभी अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष होगी। आयु सीमा में अन्य कोई छूट देय नहीं होगी।

सात आयु संगणना तिथि :- 01.01.2024

आठ अधिवार्षिकी आयु :- 62 वर्ष

नौ चयन प्रक्रिया :- चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। अभ्यर्थियों की संख्या 500 से कम होने की स्थिति में अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विज्ञापित पदों हेतु 36 तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों।

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा। अनारक्षित तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु 41% तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी हेतु 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे।

टीप:-

(1) अभ्यर्थियों की संख्या 500 से अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

(2) लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस आवेदन प्रक्रिया :- उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु इस विज्ञापन के **परिशिष्ट-2** का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने सही ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

(i) आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट-1**

(ii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के निर्देश तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-2**

सचिव

परिशिष्ट-1

आयु सीमा में छूट

(एक) उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

तथा

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अत: उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

* ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।

(दो) प्रोत्साहनस्वरूप दी गयी छूट

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप:-

(1) **परिशिष्ट-1** (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहनस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यो/योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे।

(सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट :- (01) उपरोक्त परिशिष्ट - ''एक'' में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

(03) जिस आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं उन्हें आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी किन्तु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

(तीन) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पि.वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

परिशिष्ट-2

आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

1. उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे
   1. www.mponline.gov.in
   2. mppsc.mp.gov.in

3. अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

4. अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि आवेदन-पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।

   फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-
   1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
   2. फोटो खिचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
   3. यदि आप चश्मे का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ़्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टत: दिख रही हों।
   4. टोपी हैट तथा डार्क चश्मे स्वीकार्य नहीं हैं। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं, किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
   5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफेद हो।
   6. किसी और से अपनी फोटो खिचवाएं। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।

5. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

6. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अत: ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व एक बार पुन: अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।

7. आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी तत्समय ही Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सब्मिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

   अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "Proceed for Payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

8. **त्रुटि सुधार सुविधा :-** अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर **दिनांक 16.05.2023 से 11.06.2023 (दोपहर 12 बजे)** तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। **नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।** अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क 500 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु 250 निर्धारित है अत: आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपये 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी। **ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।**

09. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें की उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। **विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।**

2. **परीक्षा हेतु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क**

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
₹ 250/-	**₹ 500/-**

टीप: आयोग को प्राप्त शुल्क केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में वापस किया जाएगा।

3. **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि**

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की **अंतिम तिथि 09.06.2023** है। अंतिम तिथि को दोपहर 12:00 बजे के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :-

दूरभाष :- हेल्पलाइन – 0755-6720220 तथा 0755-6720221

4. अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नहीं करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंकसूचियां।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं --------------------- आयोग के **मध्यप्रदेश शासन के खनिज साधन विभाग** हेतु खनि अधिकारी क्रमांक **06/2023 दिनांक 13.03.2023** के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ

1. मैं ------------------ पुत्र/पुत्री श्री --------------------- निवासी ग्राम/कस्बा/शहर/---------------- जिला ------------, मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ------------- जाति का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।
2. मैं शपथपूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ।

दिनांक :- -----------------

हस्ताक्षर---------------------

नाम-------------------------

रोल नंबर--------------------

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

कार्यरत/छंटनी किए गए शासकीय सेवकों हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5. जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।

6. **अनुशासनिक निर्देश :-**

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या

02 प्रतिरूपण किया हो; या

03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

05 ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हो; या

06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या

07 परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या

08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक छति पहुंचाई हो; या

09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या

10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है अनर्ह ठहरा सकेगा
और/या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. **अनर्हताएं :-** ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8. **परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-**

01 परीक्षा का परिणाम केवल "रोज़गार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।

02 परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अत: सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबन्धित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।

03 साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वयंमेव समाप्त हो जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

9. **यात्रा व्यय का भुगतान :-**

(अ) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों, को परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।

(ब) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आबंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(स) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो।

(द) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना होगा। साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(इ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।

(फ) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

जी-24576/48287/2023

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ/पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 02/2023/13.03.2023

पशु पालन एवं डेयरी विभाग, मध्यप्रदेश शासन

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 09.05.2023

महत्वपूर्ण निर्देश

A. आवेदन-पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-

1. **मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ/पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी के कुल 80 पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।**
2. आवेदन-पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे आवेदन-पत्र **दिनांक 10.04.2023 (दोपहर 12:00 बजे) से 09.05.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in** तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकते हैं।
3. उपरोक्त परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। अन्य किसी भी प्रकार से भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

B. आयु की गणना :-

1. **आयु की गणना 01 जनवरी 2024 के संदर्भ में की जाएगी।**
2. आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10 वीं (High School) की अंक-सूची में अंकित है। अत: अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उक्त अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

C. शुल्क संबंधी निर्देश :-

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट-02 का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी को दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से भली-भांति अध्ययन के पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :-

1. **अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 17.04.2023 से 11.05.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र ₹ 50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।**
2. **अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार परीक्षा अथवा साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अत: वे आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।**
3. त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-2) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष) शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा अभ्यर्थी से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

E. पात्रता :-

शैक्षणिक अर्हता (1) विधि के नियमों के अधीन स्थापित भारत की किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक।

अन्य अर्हता (1) विधि के नियम के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद के अधीन, पद के विज्ञापन की तारीख के पूर्व पंजीकृत।

(2) पंजीकरण स्थायी होना अनिवार्य है।

रोज़गार पंजीयन - (अ) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।

(ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र अनिवार्यत: प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(स) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।

3. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता/अनुभव/वांछनीय अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अत: अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे उस विभाग को अपनी शिकायत प्रेषित कर सकते हैं।

F. परीक्षा केन्द्र तथा प्रवेश-पत्र :-

1. इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु **इन्दौर, भोपाल, जबलपुर तथा ग्वालियर** स्थित परीक्षा केन्द्रों पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की **OMR** आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम, परीक्षा तिथि एवं प्रवेश-पत्र उपलब्धता तिथि को यथासमय आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।
2. आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापनों में ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रण के समय अभ्यर्थियों से परीक्षा केन्द्र आवंटन हेतु शहर की अग्रमान्यता एवं उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा एक बार अग्रमान्यता उपरांत परीक्षा शहर परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित अभ्यर्थियों को परीक्षा में आने-जाने का नियमानुसार यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु Reimbursement का वर्गीकरण प्रावधानित है, जिसके अनुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जाती है। अतएव इस संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

G. परीक्षा नियम/निर्देश आदि :-

1. चयन/परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन/निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों/निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
   चयन/परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोज़गार पंजीयन आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
2. पाठ्यक्रम निर्धारण समिति द्वारा विज्ञापन के संदर्भ में प्रकाशित पाठ्यक्रम में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है, तो तदनुसार संशोधित पाठ्यक्रम परीक्षा के यथोचित समयपूर्व आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। परीक्षा उपरोक्तानुसार संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जाएगी। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची/प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
4. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य/दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. **उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019, 25181/2019 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा/चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाएगा।**

अन्य निर्देश :

1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएँ, संशोधन आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अत: समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त E-mail Address/पत्राचार/दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
2. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावेजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अत: अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टत: परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना वर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएँ तथा परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** एवं रोजगार और निर्माण समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
6. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर आयोग को अविलम्ब प्रदान कर दें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

एक **भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत निम्न पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-**

पद का नाम :- पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ/पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी
(Veterinary Assistant Surgeon / Veterinary Extention Officer)
रिक्ति विवरण

रिक्तियों की वर्गवार संख्या					रिक्तियों में मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिलाओं हेतु आरक्षित पद					
UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल पद
22	13	16	21	8	7	4	5	7	3	80

Abbreviations: UR- अनारक्षित, SC-अनुसूचित जाति, ST- अनुसूचित जनजाति, OBC- अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

टीप :- सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार उपरोक्तानुसार विज्ञापित पदों का परीक्षा परिणाम दो भागों में मुख्य भाग एवं प्रावधिक रूप में घोषित किया जाना है, इस संबंध में विभाग द्वारा आयोग को प्रेषित पत्र क्रमांक 1/1/1/0003/2022-Sec-1-35(ANH), दिनांक 18.11.2022 के अनुसार **मुख्य भाग तथा प्रावधिक रूप से घोषित होने वाले पदों का विवरण का उल्लेख भी उपरोक्त तालिका में किया गया है।**

UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल पद
मुख्य भाग (87%)										
22	13	16	11	8	7	4	5	4	3	70
प्रावधिक भाग (13%)										
10 (काल्पनिक)	-	-	10	-	3 (काल्पनिक)	-	-	3	-	10

उक्त पदों हेतु परीक्षा में चयनित प्रावधिक अभ्यर्थी साक्षात्कार में प्रावधिक रूप से ही सम्मिलित होंगे एवं माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने के उपरांत वह अपने संबंधित वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित) में रोके गए 13 प्रतिशत पद के विरुद्ध ही चयनित होंगे न कि पूर्व घोषित हो चुके 87 प्रतिशत पद के विरुद्ध।

आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम उपरोक्तानुसार विभाजन के आधार पर घोषित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों द्वारा उक्त विभाजन को मान्य करते हुए आवेदन पत्र भरे जाएंगे तथा साक्षात्कार हेतु सफल अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार के पूर्व इस आशय का अभिवचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

दो **पद का विवरण**

(A) **विभाग का नाम** : मध्यप्रदेश शासन, पशु पालन एवं डेयरी विभाग

(B) **श्रेणी** : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी

(C) **पद स्थिति** : अस्थायी

(D) **वेतनमान** : रुपए 15600-39100+5400 ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
नोट- उपरोक्त वेतनमान छठे वेतन आयोग अनुसार है। सातवें वेतनमान में तत्स्थानी वेतनमान देय होगा।

(E) **कर्तव्य** : पशु चिकित्सा एवं पशुपालन

(F) **पद का नाम** : पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ/पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी Veterinary Assistant Surgeon/Veterinary Extention Officer

(G) **अर्हता** :

अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता (1) **विधि के नियमों के अधीन स्थापित भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक।**

अन्य अर्हता (1) **विधि के नियम के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद के अधीन, पद के विज्ञापन की तारीख के पूर्व पंजीकृत।**
(2) **पंजीकरण स्थायी होना अनिवार्य है।**

रोज़गार पंजीयन - (अ) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यापीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।
(ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र अनिवार्यत: प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
(स) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।

(H) **आयु सीमा** : 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

(I) **आयु संगणना तिथि 01.01.2024**

तीन (i) अभ्यर्थी के पास शैक्षणिक अर्हताएं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थी विज्ञापित पदों हेतु विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे। मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद के अधीन, पद के विज्ञापन की तारीख के पूर्व पंजीकृत होना अनिवार्य है।

(ii) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

(iii) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

(iv) **किसी भी प्रवर्ग में मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।**

(v) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित हैं।

(vi) मध्यप्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

(vii) पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ/पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी के पद के कार्यस्वरूप को देखते हुए उपरोक्त पद दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु चिन्हांकित नहीं हैं दिव्यांगजन अभ्यर्थी उक्त पदों हेतु आवेदन के पात्र नहीं होंगे।

आयु सीमा में दी गयी अन्य छूटों के लिए **परिशिष्ट-1** देखें।

चार **मध्य प्रदेश सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

पांच **महत्वपूर्ण :-** यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अत: आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छ: अधिवार्षिकी आयु :- **62 वर्ष**

सात **चयन प्रक्रिया :-**

(1) इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की OMR आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन परिणाम, परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा आयोजन से संबन्धित समस्त जानकारियां, परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम, परीक्षा तिथि एवं प्रवेश-पत्र उपलब्धता तिथि आदि यथासमय आयोग की वेबसाइट **http://www.mppsc.mp.gov.in/** पर प्रकाशित किया जाएगा।

(2) परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की पेपर सेटर/मॉडरेटर द्वारा तैयार प्रावधिक उत्तर-कुंजी आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 07 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इस अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 100 रुपए (Non-Refundable) शुल्क देय होगा तथा प्रति सत्र पोर्टल शुल्क (रुपए 40/-) पृथक से देय होगा। आपत्ति हेतु देय शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाएगा। समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी :-

1. ऐसे प्रश्न जिनका प्रावधिक उत्तर-कुंजी में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया है और विकल्पों में अन्य विकल्प सही है तब प्रावधिक उत्तर-कुंजी को संशोधित किया जाएगा।

2. प्रश्न के हिन्दी तथा अँग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में केवल हिन्दी अनुवाद ही मान्य होगा।
3. ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हैं, सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा।
4. ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक भी सही उत्तर न हो को प्रश्नपत्र से विलोपित किया जाएगा।
5. विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित की जाएगी। अंतिम उत्तर-कुंजी के प्रकाशन के पश्चात कोई भी आपत्ति/पत्र-व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम होगा।
6. उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर प्रारंभिक परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा।

दस **आवेदन प्रक्रिया :-** उक्त पद हेतु आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु **परिशिष्ट-2** का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनाएँ, ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **http://www.mppsc.mp.gov.in/** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिए गए e-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर आवश्यक होने पर e-mail तथा SMS Alert भी प्रेषित किए जाएंगे। अत: अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने e-mail Address तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा उसे अंतिम चयन परिणाम तक अपरिवर्तित रखें एवं आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

बारह अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-
(i) आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट-1**
(ii) आवेदन पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-2**
(iii) आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश **परिशिष्ट-3**

सचिव

परिशिष्ट-1

आयु सीमा में छूट

(एक) **उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें**

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

तथा

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अत: उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

* ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।

(दो) **प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट**

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप:-

(1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।
(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे।
(सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट :- (01) उपरोक्त परिशिष्ट – ''एक'' में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।
(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।
(03) जिस आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं उन्हें आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी किन्तु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

(तीन) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पि. वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

परिशिष्ट-2

आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-
1. उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे
1. mppsc.mp.gov.in
2. www.mppsc.mp.gov.in
3. अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
4. अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि आवेदन-पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।

फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-
1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
2. फोटो खिंचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्में का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ़्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टत: दिख रही हों।
4. टोपी हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं हैं। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं, किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफ़ेद हो।
6. किसी और से अपनी फोटो खिंचवाए। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।

5. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।
6. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अत: ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व एक बार पुन: अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।
7. आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात उसका नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी तत्समय ही Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।
अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "Proceed for Payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।
8. **त्रुटि सुधार सुविधा :-** अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 17.04.2023 से 11.05.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा। **अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क 500 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु 250 निर्धारित है अत: आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपए 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।**
ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

09. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

2. **परीक्षा हेतु तथा आवेदन तथा परीक्षा शुल्क**

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
₹ 250/-	₹ 500/-

टीप: आयोग को प्राप्त शुल्क केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में वापस किया जाएगा।

3. **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि**

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 09.05.2023 है। अंतिम तिथि को दोपहर 12:00 बजे के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :-

दूरभाष :- हेल्पलाइन – 0755-6720220 तथा 0755-6720221

E-mail :- mppsconline@gmail.com

4. अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नहीं करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमी लेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

---

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं --------------------- आयोग के मध्यप्रदेश शासन के पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ/पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी क्रमांक 02/2023 दिनांक 13.03.2023 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ

1. मै --------------------पुत्र/पुत्री श्री------------------------ निवासी ग्राम/कस्बा/शहर/----------------- जिला -------------, मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/ करती हूँ कि मैं ------------- जाति का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।
2. मै शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ।

दिनांक :- -----------------

हस्ताक्षर----------------------

नाम---------------------------

रोल नंबर---------------------

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

कार्यरत/छंटनी किए गए शासकीय सेवकों हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5. जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।

6. **अनुशासनिक निर्देश :-**

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या

02 प्रतिरूपण किया हो; या

03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

05 ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हो; या

06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या

07 परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या

08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या

09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या

10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है अनर्ह ठहरा सकेगा

और/या

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. **अनर्हताएं :-** ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8. **परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-**

01 परीक्षा का परिणाम केवल "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।

02 परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अत: सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबन्धित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।

03 साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वयमेव समाप्त हो जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

9. **यात्रा व्यय का भुगतान :-**

(अ) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों, को परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।

(ब) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आबंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(स) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो।

(द) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना होगा। साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(इ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुने।

(फ) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

परिशिष्ट-तीन

आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश

टीप : ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन आप्टिकल स्कैनर/कम्प्यूटर द्वारा किया जाएगा अतः ओ.एम.आर. शीट का उपयोग नीचे बताई गई बातों पर आवश्यक ध्यान रखते हुए अत्यन्त सावधानी पूर्वक करें।

1. आप अपने साथ परीक्षा कक्ष में कम से कम दो काले बाल प्वाइंट पेन अवश्य लाएं।
2. गोले भरने के लिए केवल काला बाल प्वाइंट पेन का ही उपयोग करें। गोलों को पूरी तरह गहरा काला करें, अधूरा अस्पष्ट या हल्का काला करने पर ओ.एम.आर. शीट स्कैनर द्वारा जांची नहीं जा सकेगी।
3. ओ.एम.आर. शीट पर किसी प्रकार का रफकार्य न किया जाए। इस कार्य के लिए प्रश्नपत्र पर अलग से स्थान निर्धारित है, उस स्थान का ही उपयोग करें।
4. ओ.एम.आर. शीट अत्यन्त सावधानीपूर्वक रखें। उसे किसी तरह से मोड़ा या काटा न जाए और किसी प्रकार से गंदी न की जाए अन्यथा कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर उसे रद्द कर देगा।
5. उत्तर देना प्रारंभ करने के पहले सुनिश्चित कर लें कि ओ.एम.आर. शीट पर सभी प्रविष्टियाँ सही रूप से की गई हैं। अभ्यर्थी द्वारा उसे प्रदत्त प्रश्न पत्र सेट ए.बी.सी.डी. अंकन न करने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
6. आपको प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के सामने का केवल एक ही गोला काला करना है। एक से अधिक गोले को काला करने पर या गोलों को हल्का, अस्पष्ट या अधूरा काला करने पर या किसी अन्य पेन्सिल या स्याही से काला करने पर किसी अन्य तरीके से कोई निशान जैसे (✓) या (✗) लगाने पर ओ.एम.आर. शीट कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी नहीं जाएगी।
7. **ओ.एम.आर. शीट पर उत्तर अंकन के लिए - सामान्य निर्देश -**

(अ) **प्रश्नों के उत्तर :** ओ.एम.आर. शीट पर यथास्थान उत्तर अंकित करने के अनुदेश दिए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ओ.एम.आर. शीट पर आवश्यक संख्या लिखी है। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने क्रमशः 4 गोले ए.बी.सी.डी. बने हैं। प्रश्नपत्र में प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर ए.बी.सी.डी. दिए हैं। इनमें से एक सही उत्तर चुनकर संबंधित प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने बने गोलों में से केवल एक गोला काले बाल पाइन्ट पेन से गहरा काला करें। एक से अधिक गोलों को काला करने पर प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। OMR Sheet में उत्तर अंकित कर उसे काटने/मिटाने/व्हाइटनर लगाने से उक्त प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

(ब) ओ.एम.आर. शीट के सामने के पृष्ठ पर अपना नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा तिथि, प्रश्नपत्र कोड आदि भरने के लिए बने खानों में प्रविष्टि के लिए काले बाल पेन का उपयोग करें। प्रश्न पत्र A,B,C,D set में से कोई एक ही सेट दिया जाएगा। अपने सेट का कोड क्रमांक सावधानी से नियत स्थान पर भरें एवं सेट के गोले को काले पेन से काला करें।

(स) **हस्ताक्षर -** ओ.एम.आर. शीट पर निर्धारित स्थान पर बाल पेन से हस्ताक्षर करें।

(द) ओ.एम.आर. शीट के पीछे के पृष्ठ पर अनुक्रमांक, प्रश्न पत्र कोड के कॉलम के गोलों में प्रविष्टि करने के लिए काला बाल प्वाइंट पेन का उपयोग कर संबंधित क्रमांक के गोले को काला करें। अभ्यर्थी उसे आवंटित प्रश्न पत्र के सेट कोड ध्यान से देखें तथा सेट की जानकारी सुनिश्चित होने के पश्चात ही प्रश्न पत्र के सेट कोड के गोले को अत्यंत सावधानी से काला करें। इसी काले किए गए कोड (ABCD के गोले) के आधार पर ही उत्तरशीट का मूल्यांकन किया जाएगा। सेट कोड गलत भरने पर त्रुटि सुधार नहीं होगा। मूल्यांकन अभ्यर्थी द्वारा भरे गए सेट कोड की उत्तर कुंजी के आधार पर होगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। आवश्यक प्रविष्टियां सही स्थान पर उचित रूप से न भरने पर अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य नहीं किया जाएगा।

8. **रोल नम्बर की प्रविष्टि (चित्र एक)**

रोल नम्बर के खाने में बायें से दायें 1 से 6 तक स्तम्भ है। पहला स्तम्भ का लाख का, दूसरा स्तम्भ दस हजार का, तीसरा स्तम्भ हजार का, चौथा स्तम्भ सैकड़े का, पांचवा स्तम्भ दहाई का एवं छठा स्तम्भ इकाई का है। इनके नीचे 0 से 9 अंक लिखे हुए गोले हैं। इन्हीं में आपको अपने रोल नम्बर

भरना है। उदाहरणार्थ, यदि आपका रोल नं. 684021 है तो आप पहले ऊपर की लाइन में चौकोर खानों में दर्शाए अनुसार रोल नम्बर काला बाल प्वाइंट पेन से लिखें तत्पश्चात पहले स्तम्भ के गोले क्रमांक 6, दूसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 8, तीसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 4, चौथे स्तम्भ के गोले क्रमांक 0, पांचवे स्तम्भ के गोले क्रमांक 2 तथा छठे स्तम्भ के गोले क्रमांक 1 को काला बाल प्वाइंट से गहरा काला करें।

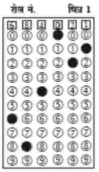

अनुक्रमांक के गोले न भरने पर या गलत भरने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अंकों में तथा गोले भरने में भिन्नता होने पर भी ओ.एम. आर शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

परीक्षार्थियों हेतु निर्देश एवं अनुदेश

निम्नलिखित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के उपरांत ही परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हों। निर्देशों एवं अनुदेशों का पालन न करने पर परीक्षार्थी आयोग द्वारा निर्धारित दंड का भागी होगा।

एक - प्रवेश

01 परीक्षा में परीक्षार्थी को दिया गया प्रवेश नितांत प्रावधिक है।

02 परीक्षा नियत समय पर प्रारंभ होगी। केन्द्राध्यक्ष की घड़ी का समय ही प्रामाणिक मानकर परीक्षा संचालन किया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

03 परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र तथा मान्य फोटो युक्त परिचय-पत्र आवश्यक रूप से अपने साथ रखें।

04 परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी की जाँच की जाएगी। परीक्षार्थी अपने साथ केवल दो काले बाल प्वाइंट पेन, प्रवेश-पत्र एवं मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर आएँ। इसके अतिरिक्त मोबाइल, केलक्युलेटर, पेजर एवं किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है।

दो - निर्गमन

01 सामान्यतः परीक्षार्थी को परीक्षा की अवधि में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीक्षक से विशेष अनुमति लेकर उनकी निगरानी में ही बाहर जाया जा सकेगा।

02 किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् एक घंटे तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भले ही उसने प्रश्नपत्र हल कर लिया हो।

03 प्रश्नपत्र हल करने के पश्चात् केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक द्वारा ओ.एम.आर. शीट एकत्रित किए जाने के उपरांत वीक्षक की अनुमति से ही परीक्षार्थी परीक्षा भवन छोड़ेगा। ओ.एम.आर. शीट सहित कक्ष से बाहर जाने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा।

04 निर्धारित समय समाप्त होने के उपरांत किसी भी परीक्षार्थी को अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा (केवल दृष्टिबाधित तथा ऐसे अस्थिबाधित जो दोनों ही हाथों से लिखने में असमर्थ हैं तथा वे जिन्होंने सहलेखक की सुविधा ली है, ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में 20 मिनिट प्रति घण्टा अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

निर्धारित समय के उपरांत कोई भी परीक्षार्थी न तो लिखे उत्तरों में कोई संशोधन करेगा और न ही शेष रहे प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेगा।

तीन - ओ.एम.आर. शीट पर नाम और अनुक्रमांक :-

ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना नाम और अनुक्रमांक लिखें। ओ.एम.आर. शीट के अन्य किसी भी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और न ही पता अंकित करें। ओ.एम.आर. शीट के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना वर्जित है। ओ.एम.आर. शीट पर पेंसिल, रबर एवं व्हाइटनर का उपयोग करने या अभ्यर्थी के पास कक्ष में पाए जाने पर अनुचित साधन का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। ओ.एम.आर. शीट में (आपको दिए गए A, B, C, D प्रश्न पत्र सेट में से कोई एक सेट मिलेगा) प्रश्नपत्र का सेट अवश्य लिखें एवं सेट के गोले को काले पेन से अनिवार्यतः काला करें। आपके द्वारा प्रश्नपत्र सेट के गोले को काला करने पर ही उक्त सेट की उत्तर कुंजी से ही ओ.एम.आर. शीट मूल्यांकन होगा। जैसा चित्र में सेट- B को काला किया है। सेट का गोला काला नहीं करने पर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

चित्र-चार

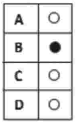

उत्तर अंकित करने हेतु अनुदेश -

1. केवल काली स्याही वाले बॉल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें।
2. प्रत्येक प्रश्न का उत्तर - पत्र में दिए गए प्रश्न क्रमांक के सामने संबद्ध गोले को काला करें।
3. प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु केवल एक ही गोले को गहरा काला करना है, जैसे नीचे दिखाया गया है:-

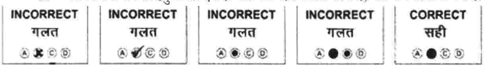

4. पूरे गोले को गहरा काला कीजिए।
5. उत्तर के लिए दिए गए गोले को काला कीजिए एक से अधिक गोले काले करने/चिह्न (•) होने पर भी उत्तर मान्य नहीं होगा।
6. उत्तर पत्र पर कच्चा काम करना मना है। इस काम के लिए प्रश्न पत्र के अंत में खाली जगह का ही उपयोग कीजिए।
7. प्रश्न-पत्र के सेट के गोले को अत्यंत सावधानी से काला करें। उत्तर-पत्र में काले किए गए सेट के गोले के आधार पर ही उसे जांचा जाएगा। गलत गोला काला करने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
8. अभ्यर्थी अगर प्रश्न पुस्तिका सेट का गोला नहीं भरता है, तो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। एवं वह अयोग्य माना जाएगा।
9. अभ्यर्थी अगर अपने अनुक्रमांक के गोले नहीं भरता है, तो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। एवं वह अयोग्य माना जाएगा।
10. अभ्यर्थी अपनी ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका कक्ष के वीक्षक को ही जमा करें।
11. अभ्यर्थी अगर अपनी ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका पर उत्तर के गोले भरने/मिटाने के लिए यदि पेंसिल/व्हाइटनर का उपयोग करता है, तो नकल का प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

चार - अनुचित साधन :-

परीक्षा हॉल/कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण जैसे मोबाइल, वॉच, डिजिटल डायरी, इलेक्ट्रानिक उपकरण, पेजर, केल्कुलेटर आदि तथा पेंसिल, रबर व्हाइटनर जैसी सामग्री के साथ पाया जाता है, तो अनुचित साधन का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। उनके पास कम्पास, स्केल या पॉकेट में कोई अवांछित सामग्री, कोई पुस्तक या कागज जो परीक्षा में प्रश्नपत्र हल करने में सहायक हो। अभ्यर्थी के पास पाए जाने पर नकल प्रकरण दर्ज होगा।

परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग सर्वथा वर्जित व दण्डनीय है। परीक्षा भवन में अपने साथ कोई भी लिखित या कोरा कागज, पुस्तक, वस्तु, टीप विशेषकर मोबाइल, इलेक्ट्रानिक उपकरण तथा अन्य वर्जित वस्तुएँ आदि लाना अनुचित साधनों के प्रयोग में सम्मिलित माना जाएगा। इसी प्रकार परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से चर्चा करना, उसकी ओ.एम.आर. शीट से नकल करना अथवा अपनी शीट से अन्य परीक्षार्थी को नकल करवाना, किसी अन्य परीक्षार्थी से ओ.एम.आर. शीट बदलना, परीक्षा भवन में जोर-जोर से बोलना, किसी भी प्रकार की सांकेतिक भाषा अथवा किसी प्रकार भव भंगिमा से अन्य परीक्षार्थी को किसी प्रश्न का उत्तर बताना अथवा किसी अन्य परीक्षार्थी से किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का कोई प्रयास करना या किसी कागज पर प्रश्न पत्र की नकल करना भी अनुचित साधनों के प्रयोग के अन्तर्गत माना जाएगा। परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी द्वारा दी गई परीक्षा को निरस्त किया जा सकेगा, उसे परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा तथा साथ ही उसे आगामी ऐसी अवधि के लिए जो आयोग उचित समझे, आयोग की सभी परीक्षाओं, अन्य प्रदेशों के आयोगों की परीक्षा एवं साक्षात्कारों से वंचित किए जाने का दण्ड भी दिया जा सकेगा।

परीक्षा की गोपनीयता :- परीक्षा पूर्व/दौरान/पश्चात प्रश्न-पत्र की गोपनीयता के भंग होने की किसी भी गतिविधि में लिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों/व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाकर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

पांच - प्रश्न संबंधी शिकायत

प्रश्न से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत होने पर परीक्षार्थी परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के निर्दिष्ट तिथियों पर 07 दिवस के अंदर निर्धारित शुल्क (100 रुपए प्रति प्रश्न तथा रुपए 40 प्रति सत्र पोर्टल चार्ज पृथक से देय) आपत्ति शुल्क एवं पोर्टल चार्ज किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, जमा कर ऑनलाइन पद्धति से आपत्ति दर्ज कराए। परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर ऑनलाइन पद्धति से दर्ज शिकायतों पर ही विचार किया जाएगा। इसके पश्चात एवं अन्य किसी पद्धति से प्रस्तुत आवेदनों को नस्तीबद्ध किया जाएगा। आपत्ति दर्ज कराने पर देय शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। दर्ज आपत्तियाँ सही पाई जाने पर संशोधन का लाभ समस्त अभ्यर्थियों को प्राप्त होगा। भले ही उनके द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं की गई हो।

छः - ओ.एम.आर. शीट का लौटाना -

परीक्षार्थी परीक्षा के उपरान्त ओ.एम.आर. शीट कक्ष के वीक्षक को ही सौंपेंगे। परीक्षार्थी द्वारा किसी भी स्थिति में ओ.एम.आर. शीट परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना अथवा परीक्षा के उपरांत उसे वापस न दिया जाना गम्भीर अपराध माना जाएगा और इस हेतु उसके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

सात - ओ.एम.आर. शीट पर अनुक्रमांक अंकन व अन्य पूर्तियाँ

1. ओ.एम.आर. शीट पर नियत स्थान पर परीक्षार्थी अपना सही नाम और अनुक्रमांक शब्दों एवं अंकों में अंकित करें तथा परीक्षा का विषय कोड के सही गोले भरें। साथ ही प्रश्न पत्र सेट और भी अत्यंत सावधानी से भरें एवं सेट के गोले को काला करें। इस संबंध में दिए गए निर्देशों को गम्भीरता पूर्वक पढ़ने के पश्चात ही आवश्यक प्रविष्टियों की जाएं।
2. ओ.एम.आर. शीट पर कोई दाग/चिह्न न लगने पाए, इस बात की सतर्कता बरतें।

आठ - प्रश्नपत्र पर अंकन

परीक्षार्थी प्रश्नपत्र पर भी अनुक्रमांक लिखें तथा रफ कार्य प्रश्नपत्र में दिए गए पृष्ठ पर ही करें इसके अतिरिक्त प्रश्नपत्र पर कुछ भी लिखना, प्रश्नपत्र की नकल करना या उसकी प्रति बनाना निषिद्ध होकर अनुचित साधन प्रयोग के समान दण्डनीय है।

नौ - उपस्थिति पत्रक

प्रत्येक प्रश्नपत्र के समय परीक्षा कक्ष में वीक्षक के समक्ष परीक्षार्थी तिथि सहित अपने हस्ताक्षर करें। यह हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर के अनुरूप हों। हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम भी लिखें।

दस - अभ्यर्थियों हेतु सहलेखक संबंधी नियम

अ. अभ्यर्थियों का विवरण जिन्हें सुविधा प्रदान की जाएगी :-

3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. आकस्मिक दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
5. उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों को सहलेखक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

ब. प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जाएगी। उपरोक्त सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं घोषणा-पत्र सहित परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व संबंधित परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत करना होगी ताकि नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके। अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी। लेखन सहायक से घोषणा-पत्र भरवाया जाएगा।

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की अर्हता से कम होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शैक्षणिक अर्हता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता स्नातक से कम होना चाहिए (अर्थात् स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए)। यदि किसी पद की परीक्षा की शैक्षणिक अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि है तो सहलेखक की योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि से कम होनी चाहिए (अर्थात् स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए)

(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :-

ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें उपरोक्तानुसार सहलेखक की सुविधा प्रदान की गई है, निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट

स. इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएं :-

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जाएगा।

द. अभ्यर्थी को पात्र सहलेखक साथ में लेकर परीक्षा हेतु आना होगा। आयोग/केन्द्राध्यक्ष द्वारा सहलेखक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

टीप :- उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण एवं निर्णय लिए जाने हेतु आयोग के सर्वाधिकार सुरक्षित रहेंगे।

ग्यारह - विविध

1. परीक्षार्थियों को किसी भी प्रश्नपत्र में ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेन्सिल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और परीक्षार्थी स्वयं भी ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेन्सिल परीक्षा भवन में नहीं लाएंगे।
2. परीक्षार्थियों को अपने साथ पेंसिल, व्हाइटनर, डिजिटल डायरी, वॉच, केल्क्यूलेटर, सेल्युलर फोन, पेजर तथा अन्य electronic gadgets लाना वर्जित है। उपरोक्त वर्जित वस्तुएं अभ्यर्थी के पास पाए जाने पर अनुचित साधन प्रकरण अंतर्गत नकल प्रकरण बनाया जाएगा।

बारह - परीक्षार्थी ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्नपत्रों पर दी गई समस्त सूचनाएं/निर्देश एवं अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़ें व अनिवार्यतः उनका पालन करें।

बारह - अनुशासन व शालीनता

1. परीक्षा कक्ष में धूम्रपान करना/अशिष्ट, अनर्गल वार्तालाप करना पूर्णतः निषिद्ध व दण्डनीय है।
2. परीक्षा परिसर में एवं भवन के अन्दर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है।
3. परीक्षा भवन के फर्नीचर अथवा केन्द्र पर की गई अन्य व्यवस्था को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जाना चाहिए। यह दण्डनीय है।
4. यदि परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा अशिष्ट आचरण करता है अथवा अनुचित या अशोभनीय या अशालीन व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा। उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी तथा वह ऐसे अन्य दण्ड का भी भागी होगा जो आयोग उचित समझे। केन्द्राध्यक्षों को निर्देश दिए गए है कि ऐसे परीक्षार्थियों के नाम गोपनीय ढंग से आयोग को सूचित किए जाएं। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण में होगा।

जी-24572/48283/2023

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

क्रमांक 16011/19/2022/चयन इन्दौर, दिनांक 09.03.2023

पदनाम - पैथोलॉजी विशेषज्ञ

चयन - सूची (मुख्य भाग - 87 प्रतिशत)

आयोग के विज्ञापन क्रमांक **09/2022 दिनांक 17.08.2022** एवं समय-समय पर जारी शुद्धिपत्रादि, सूचनाओं आदि के संदर्भ में **लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** के अंतर्गत विज्ञापित पद - **पैथोलॉजी विशेषज्ञ** के कुल - 34 पद (अनारक्षित-09, अ.जा. - 06, अ.ज.जा.-07, अ.पि. वर्ग-09, ई.डब्ल्यू.एस.-03) इनमें से महिलाओं हेतु आरक्षित पद - अनारक्षित-03, अ.जा.-02, अ.ज.जा.-02, अ.पि. वर्ग-03, ई.डब्ल्यू. एस.-01 (कुल विज्ञापित पदों में से दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पद - अस्थिबाधित - 01, दृष्टिबाधित - निरंक, श्रवणबाधित - 01 एवं बहु-दिव्यांग-निरंक पद आरक्षित) विज्ञापित किए गए हैं। उक्त पदों की पूर्ति के लिए अर्ह आवेदकों के साक्षात्कार **दिनांक 02.03.2023 से 03.03.2023 तक** आयोजित किए गए।

2. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें के पत्र क्रमांक/1-जी/विज्ञप्ति/सेल-संविदा/2022/1655 दिनांक 18.11.2022 में उल्लेखित रिक्ति विवरण के अनुसार आयोग द्वारा विज्ञापित शुद्धि पत्र क्रमांक 01/09/2022 दिनांक 24.11.2022 के माध्यम से उपरोक्त विज्ञापन क्रमांक 09/2022 दिनांक 17.08.2022 के अंतर्गत विज्ञापित पदों का 87 प्रतिशत मुख्य भाग एवं 13 प्रतिशत प्रावधिक भाग की रिक्तियों का पद विभाजन विज्ञापित किया गया है जिसके अनुसार, चयन परिणाम दो भागों में मुख्य भाग एवं प्रावधिक भाग के रूप में घोषित किया जाना प्रावधानित किया गया है। चयन परिणाम केवल 87 प्रतिशत पदों (मुख्य भाग) का घोषित किए जाने के प्रावधान के तहत् मुख्य भाग हेतु पुनरीक्षित रिक्तियों का विवरण निम्नांकित तालिका में अंकित है। उक्त शुद्धि पत्र दिनांक 24.11.2022 के बिन्दु क्रमांक 3 में उल्लेखित कंडिका के अनुसार प्रावधिक भाग का चयन परिणाम अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के संबंध में प्रचलित न्यायालयीन प्रकरण के अंतिम न्यायिक निर्णय के पश्चात् घोषित किया जाएगा।

3. अतएव साक्षात्कार में प्राप्तांकों के गुणानुक्रम के आधार पर निम्नानुसार केवल 87 प्रतिशत पदों (मुख्य भाग) की चयन सूची घोषित की जाती है :-

1. पैथोलॉजी विशेषज्ञ (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

पद विवरण तालिका (मुख्य भाग - 87 प्रतिशत)

	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ई.डब्ल्यू.एस.	योग
कुल पदों की संख्या	9	6	7	5	3	30
इनमें से महिलाओं के लिए आरक्षित पद	3	2	2	2	1	
कुल पदों में से अस्थिबाधित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद						1
कुल पदों में से श्रवणबाधित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद						1

मुख्य सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग		Seat		श्रेणी
1.	7516	PRATEEK MATHUR	F		UNRF		UNR
2.	7536	TUSHAR GUPTA	M	प्रावधिक	UNR		UNR
3.	7545	PRATYUSH JHA	M		UNR		UNR
4.	7535	SHILPA MITTAL	F		UNRF		UNR
5.	7590	SWATI SONI JAIN	F		UNRF		UNR
6.	7589	ATUL KUMAR PANDEY	M		UNRHO	अस्थिबाधित	UNR
7.	7583	SURBHI KATHURIA	F		UNR		UNR
8.	7591	ASHISH KUMAR PATEL	M	प्रावधिक	OBC		OBC
9.	7512	MANISH PANTH	M		SC		SC
10.	7593	SHALINI RAJE SINGH	F		OBCF		OBC
11.	7506	HEMANT KUMAR VERMA	M		SC		SC
12.	7606	ARVINDRA RAHUL	M	प्रावधिक	SC		SC
13.	7504	KANCHAN SHRIVASTAVA	F		UNR		UNR
14.	7528	PIYUSH DHAWAN	M		SC		SC
15.	7592	RAVI KUMAR MEENA	M		OBC		OBC
16.	7518	RANJAN YADAV	M	प्रावधिक	OBC		OBC
17.	7576	NEERJA KAIN	F		SCF		SC
18.	7542	YOGESH KUMAR SIRSHYAM	M		ST		ST
19.	7541	PREETI SINGH	F	प्रावधिक	OBCF		OBC
20.	7529	BABITA KHANGAR	F	प्रावधिक	SCF	अस्थिबाधित	SC
21.	7562	MANSINGH KUMRE	M	प्रावधिक	ST		ST
22.	7597	TEJASWINI DWIVEDI	F	प्रावधिक	EWSF		EWS
23.	7519	RINKOO NARGAWE	F	प्रावधिक	STF		ST
24.	7556	PRAVEEN KUMAR DWIVEDI	M		EWS		EWS

अनुपूरक सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग		श्रेणी
1.	7539	VAISHALI LATHI	F	प्रावधिक	UNR
2.	7594	NITESH RAWAT	M		UNR
3.	7537	NEHA SAXENA	F	प्रावधिक	UNR
4.	7540	ANJALI DUBEY	F		UNR
5.	7511	VAIBHAV MODI	M	प्रावधिक	OBC
6.	7588	VARSHA PATEL	F	प्रावधिक	OBC
7.	7601	NEHA BANSERIA	F	प्रावधिक	SC
8.	7510	HEMANT KUMAR KOSTI	M		OBC
9.	7524	SARITA TATAWAT	F	प्रावधिक	SC
10.	7551	SUSHMA CHOURASIA	F	प्रावधिक	OBC

टीप : -

1. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-46/99/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 07 नवंबर, 2000 में दिए निर्देशों के तहत् अनारक्षित (ओपन) पदों पर चयन हेतु निर्धारित मापदंड के तहत् आरक्षित वर्ग के वे ही आवेदक ऐसे ओपन पदों पर चयनित किए गए हैं जो कि हर प्रकार से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के समान ही बिना किसी रियायत के योग्यता प्राप्त किए हो। किसी प्रकार की रियायत को प्राप्त किए बिना तथा मेरिट में आने पर ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन मेरिट गुणानुक्रम के आधार पर अनारक्षित पदों पर किया गया है।
2. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-2/97/3/एक भोपाल, दिनांक 10.02.1997 की कंडिका 05 के परिपालन में घोषित की गई चयन सूची में पर्याप्त संख्या में महिला अभ्यर्थी अनुपलब्ध होने की दशा में महिलाओं हेतु आरक्षित पदों को संबंधित प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा गया है।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि आयोग के संज्ञान में आती है तो आयोग के पास चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
4. कुल विज्ञापित पदों में से शुद्धिपत्र दिनांक 24.11.2022 में उल्लेखित मुख्य भाग - 87 प्रतिशत हेतु विज्ञापित कुल 30 पदों में से 05 पद (अ.ज.जा. - 04, ई.डब्ल्यू.एस. - 01) पर्याप्त संख्या में योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं होने के कारण पद रिक्त रहे हैं। कुल विज्ञापित पदों में से दिव्यांग श्रेणी हेतु 02 पद (अस्थिबाधित-01, श्रवणबाधित-01 पद) विज्ञापित है परन्तु श्रवणबाधित दिव्यांग श्रेणी हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण (श्रवणबाधित-01 पद) कुल 01 पद रिक्त रहा है। शासन निर्देश के परिपालन में दिव्यांगजनों के पद रिक्त रहने की स्थिति में अनारक्षित वर्ग के विज्ञापित पदों में से उतने ही पद रिक्त रखे जाने का प्रावधान है। अत: कुल 01 पद दिव्यांगजनों के रिक्त पद के विरुद्ध अनारक्षित वर्ग से रिक्त रखे गए हैं। इस प्रकार कुल 05+01 = 06 पद रिक्त रहे हैं।
5. घोषित चयन परिणाम मान. उच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 5901/2019 एवं डब्ल्यू.पी. 27744/2022 एवं अन्य समान याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा। इसी प्रकार ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के अभ्यर्थियों के चयन की अभ्यर्थिता विज्ञापन में वर्णित कंडिका चार में उल्लेखित याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

सचिव

जी-24345/48278-A/2023 म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र - इंदौर

शुद्धिपत्र क्रमांक 03/07/2021, दिनांक 09.03.2023

पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ परीक्षा 2021

पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के पदों के प्रावधित अंतिम चयन परिणाम घोषित करने विषयक

01. आयोग द्वारा पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 07/2021, दिनांक 20.09.2021 आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था तथा 'रोज़गार और निर्माण' समाचार पत्र के दिनांक 27.09.2021 के अंक में प्रकाशित किया गया था।

02. उक्त विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से (OMR Sheet आधारित) दिनांक 28.08.2022 (रविवार) को (दोपहर 12:00 बजे से दोपहर पश्चात 03:00 बजे तक) इंदौर जिले के परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की गई थी।

03. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार **पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ** के विज्ञापित पदों का परीक्षा परिणाम दो भागों में मुख्य भाग एवं प्रावधिक रूप में घोषित किया जाना है, इस संबंध में विभाग द्वारा आयोग को प्रेषित पत्र क्रमांक F.No. : 1/1/1/0002/2022-sec-1-35(ANH) दिनांक 12.10.2022 के अनुसार **मुख्य भाग तथा प्रावधिक रूप से घोषित होने वाले पदों का विवरण निम्नानुसार है -**

पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ		रिक्त पदों की संख्या					मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित					कुल
		UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	
(अ)	पूर्व में विज्ञापित पद	25	12	63	21	8	8	4	21	7	3	129
(ब)	मुख्य भाग 87% (14% ओ.बी.सी. पदों के आधार पर) का रिक्ति विवरण	25	12	63	11	8	8	4	21	4	3	119
(स)	प्रावधिक भाग 13% (ओ.बी.सी. पदों के आधार पर) का रिक्ति विवरण	10 (प्रावधिक)	-	-	10	-	3	-	-	3 (प्रावधिक)	-	10

टीप- उक्त पदों हेतु प्रारंभिक परीक्षा में चयनित प्रावधिक अभ्यर्थी साक्षात्कार में प्रावधिक रूप से ही सम्मिलित होंगे एवं माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने के उपरांत वह अपने संबंधित वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित) में रोके गए 13 प्रतिशत पद के विरुद्ध ही चयनित होंगे न कि पूर्व घोषित हो चुके 87 प्रतिशत पद के विरुद्ध।

05. विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

जी-24347/48278/2023 उप सचिव

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

क्रमांक 15659/10/2022/चयन इन्दौर, दिनांक : 03.03.2023

पदनाम - वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान)

चयन - सूची (मुख्य भाग - 87 प्रतिशत)

आयोग के विज्ञापन क्रमांक **14/2021 दिनांक 30.12.2021** एवं समय-समय पर जारी शुद्धिपत्रादि, सूचनाओं आदि के संदर्भ में **गृह विभाग** के अंतर्गत विज्ञापित पद - **वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान)** के कुल - 13 पद (अनारक्षित-03, अ.जा. - 02, अ.ज.जा.-03, अ.पि. वर्ग-04, ई.डब्ल्यू.एस.-01) इनमें से महिलाओं हेतु आरक्षित पद - अनारक्षित-01, अ.जा.-01, अ.ज.जा.-01, अ.पि. वर्ग-01, ई.डब्ल्यू.एस.-निरंक (कुल विज्ञापित पदों में से दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पद - अस्थिबाधित - 01, दृष्टिबाधित - निरंक, श्रवणबाधित - 01 एवं बहु-दिव्यांग-निरंक पद आरक्षित) विज्ञापित किए गए हैं। उक्त पदों की पूर्ति के लिए अर्ह आवेदकों के साक्षात्कार **दिनांक 28.02.2023 से 01.03.2023 तक** आयोजित किए गए।

2. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन में गृह विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1(बी) 152/16/बी-4/दो दिनांक 26.12.2022 में उल्लेखित रिक्ति विवरण के अनुसार आयोग द्वारा विज्ञापित शुद्धि पत्र क्रमांक 05/14/2021 दिनांक 03.01.2023 के माध्यम से उपरोक्त विज्ञापन क्रमांक 14/2021 दिनांक 30.12.2021 के अंतर्गत विज्ञापित पदों का 87 प्रतिशत मुख्य भाग एवं 13 प्रतिशत प्रावधिक भाग की रिक्तियों का पद विभाजन विज्ञापित किया गया है जिसके अनुसार, चयन परिणाम दो भागों में मुख्य भाग एवं प्रावधिक भाग के रूप में घोषित किया जाना प्रावधानित किया गया है। चयन परिणाम केवल 87 प्रतिशत पदों (मुख्य भाग) का घोषित किए जाने के प्रावधान के तहत् मुख्य भाग हेतु पुनरीक्षित रिक्तियों का विवरण निम्नांकित तालिका में अंकित है। उक्त शुद्धि पत्र दिनांक 03.01.2023 के बिन्दु क्रमांक 3 में उल्लेखित कंडिका के अनुसार प्रावधिक भाग का चयन परिणाम अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के संबंध में प्रचलित न्यायालयीन प्रकरण के अंतिम न्यायिक निर्णय के पश्चात् घोषित किया जाएगा।

3. अतएव साक्षात्कार में प्राप्तांकों के गुणानुक्रम के आधार पर निम्नानुसार केवल 87 प्रतिशत पदों (मुख्य भाग) की चयन सूची घोषित की जाती है :-

1. वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान) (गृह विभाग)

पद विवरण तालिका (मुख्य भाग - 87 प्रतिशत)

	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ई.डब्ल्यू.एस.	योग
कुल पदों की संख्या	3	2	3	2	1	11
इनमें से महिलाओं के लिए आरक्षित पद	1	1	1	1	0	
कुल पदों में से अस्थिबाधित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद					1	
कुल पदों में से श्रवणबाधित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद					1	

मुख्य सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	Seat	श्रेणी
1.	3140	NUPUR JOSHI	F	UNRF	UNR
2.	3308	BHOOPENDRA KUMAR CHAURASIA	M	OBC	OBC
3.	3267	PRAMOD KUMAR SHUKLA	M	EWS	EWS
4.	3442	MAHENDRA KUMAR	M	SC	SC
5.	3451	SHRADHA CHOUDHARY	F	SCF	SC
6.	3293	DEEPA YADAV	F	OBCF	OBC
7.	3415	SONAM UIKEY	F	STF	ST
8.	3401	REENA SASTIYA	F	ST	ST
9.	3393	MANGILAL MAIDA	M	ST	ST

अनुपूरक सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	श्रेणी
1.	3168	PAYAL JOSHI	F	UNR
2.	3381	KUNDEN SHARMA	M	OBC
3.	3437	SURESH KUMAR JATAWA	M	SC
4.	3271	NILOFAR SHAIKH	F	EWS
5.	3434	DEEPIKA GOYAL	F	SC
6.	3311	SHABNAM BANO	F	OBC
7.	3391	ANIL KUSHRAM	M	ST
8.	3417	RAJKUMAR JAMRA	M	ST
9.	3408	SHRIKANT KOL	M	ST

टीप : -

1. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-46/99/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 07 नवंबर, 2000 में दिए निर्देशों के तहत् अनारक्षित (ओपन) पदों पर चयन हेतु निर्धारित मापदंड के तहत् आरक्षित वर्ग के वे ही आवेदक ऐसे ओपन पदों पर चयनित किए गए हैं जो कि हर प्रकार से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के समान ही बिना किसी रियायत के योग्यता प्राप्त किए हों। किसी प्रकार की रियायत को प्राप्त किए बिना तथा मेरिट में आने पर ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन मेरिट गुणानुक्रम के आधार पर अनारक्षित पद पर किया गया है।
2. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-2/97/3/एक भोपाल, दिनांक 10.02.1997 की कंडिका 05 के परिपालन में घोषित की गई चयन सूची में पर्याप्त संख्या में महिला अभ्यर्थी अनुपलब्ध होने की दशा में महिलाओं हेतु आरक्षित पदों को संबंधित प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा गया है।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि आयोग के संज्ञान में आती है तो आयोग के पास चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
4. कुल विज्ञापित पदों में से शुद्धिपत्र दिनांक 23.11.2022 में उल्लेखित मुख्य भाग - 87 प्रतिशत हेतु विज्ञापित कुल 11 पदों में से दिव्यांग श्रेणी हेतु 02 पद (अस्थिबाधित-01, श्रवणबाधित-01 पद) विज्ञापित हैं परन्तु दिव्यांग श्रेणी हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण (अस्थिबाधित-01, श्रवणबाधित-01 पद) कुल 02 पद रिक्त रहे हैं। शासन निर्देश के परिपालन में दिव्यांगजनों के पद रिक्त रहने की स्थिति में अनारक्षित वर्ग के विज्ञापित पदों से उतने ही पद रिक्त रखे जाने का प्रावधान है। अत: कुल 02 पद दिव्यांगजनों के रिक्त पद के विरुद्ध अनारक्षित वर्ग से रिक्त रखे गए हैं।
5. घोषित चयन परिणाम मान. उच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 5901/2019 एवं अन्य समान याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा। इसी प्रकार ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों का चयन शुद्धिपत्र क्रमांक 04/14/2021 दिनांक 25.05.2022 में वर्णित कंडिका 03 में उल्लेखित याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

सचिव

म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर

जी-24340/48276/2023

TENDER NOTICE (Amendment)

Commissioner of Land Records, Madhya Pradesh ("MPCLR" or "The Purchaser") invites proposals from eligible Bidders for **"Selection of System Integrator for WebGIS 2.0"**. More details on the required Services are provided in the RFP under **Section-IV: Schedule of Requirements.**

	Tender No.	Name of the Work/ Services	Tender Fees (In INR)	Earnest Money Deposit (EMD) (In INR)	Last date & time of submission of Bid
1.	CLRMP/ 2023/ 01	Selection of System Integrator for WebGIS 2.0	INR. 5000/- + Processing Fees (non-refundable) to be paid online through MP e-Tendering portal.	INR 90,00,000/- (INR Ninety Lakhs only) Bidder may submit the EMD in the form of Bank Guarantee from a Scheduled/Nationalized Bank or Online. In case of submission of EMD through Bank Guarantee, Bidder shall be required to upload the scanned copy of BG on the MPTender Portal (https://www.mptenders.gov.in)	**28.03.2023** at 18:00 Hrs.

Office of the Commissioner, Land Records

Rajaswa Bhawan, Naka Chandrawadni, Vivekanand Needam Road, Gwalior, Madhya Pradesh - 474002

Phone : 0751-2441200

E-mail : clrgwa@nic.in, **Website :** www.mpbhulekh.gov.in

G-24449/48280/2023

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, खरगोन

फोन नं. : 07282-231402, ई-मेल : eephedkhr@nic.in

क्रमांक/1040/निविदा/का.यं./लो.स्वा.यां./2023 खरगोन, दिनांक : 06.03.2023

निविदा सूचना क्रमांक 30/2022-23

खरगोन जिले के भीकनगांव विकासखण्ड के विभिन्न ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाईप लाइन, घरेलू नल कनेक्शन एवं विद्युत संयोजन कार्य हेतु निविदाएं कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल द्वारा जारी यू.एस.ओ.आर. जो दिनांक 03.07.2018 से प्रभावशील है एवं निविदा सूचना जारी होने के दिनांक तक संशोधित दरों पर, निविदा एपेंडिक्स '2.10' पर ई-टेण्डरिंग पद्धति से **पोर्टल http://mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की जाती है। जिनके टेण्डर आई.डी. 2023_PHED_254926 है। समस्त कार्यों की कुल अनुमानित लागत रु. 72.43 लाख है। उपरोक्त निविदाओं में ऑनलाइन निविदा फार्म क्रय करने की एवं निविदा दर डालने की **अंतिम तिथि - 21.03.2023 समय - 17.30 बजे** तथा ऑनलाइन निविदा दर खोलने की तिथि - 24.03.2023 है।

निविदा एवं उससे संबंधित जानकारी ऊपर दर्शाई गई वेबसाइट पर देखें।

कार्यपालन यंत्री

लोक स्वा. यांत्रिकी खण्ड, खरगोन

जी-24314/48275/2023

कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ग्वालियर परिक्षेत्र, ग्वालियर

ई-मेल : sepheprocgwl@gmail.com, दूरभाष क्रमांक : 0751-2365438, 4031502

(पानी की टंकी के नीचे, मुरार, ग्वालियर)

क्रमांक 738 नि.प्र./मु.अ./लो.स्वा.यां./22-23 ग्वालियर, दिनांक : 06.03.2023

ऑनलाइन वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** पर ग्वालियर जिले के विकास खण्ड भितरवार, डबरा, घाटीगांव, मुरार के 118 ग्रामों में रेट्रोफिटिंग/नवीन नल जल प्रदाय योजनाओं अंतर्गत विभिन्न क्षमताओं की आर.सी.सी. उच्च स्तरीय टंकी, आर.सी.सी. सम्प वैल कम पंप हाउस, पाईप लाइन, घरेलू नल कनेक्शन सहित अन्य विभिन्न सहायक कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की गई हैं। निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है। विवरण निम्नानुसार है : -

स. क्र.	नि.आ.सू. क्र./दि.	टेण्डर आई.डी.	अनुमानित लागत (PAC) (रु. लाख में)	धरोहर राशि (EMD) (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	आमंत्रण की संख्या	कार्य पूर्ण करने की अवधि
01	27/ 03.03.23	2023_PHED_ 257532_1	698.59	6,98,590	20,000/-	प्रथम	09 माह वर्षाकाल सहित
02	28/ 03.03.23	2023_PHED_ 257533_1	772.82	7,72,820	20,000/-	प्रथम	09 माह वर्षाकाल सहित
03	29/ 03.03.23	2023_PHED_ 257534_1	532.11	5,32,110	20,000/-	प्रथम	09 माह वर्षाकाल सहित
04	30/ 03.03.23	2023_PHED_ 257536_1	661.11	6,61,110	20,000/-	प्रथम	09 माह वर्षाकाल सहित
05	31/ 03.03.23	2023_PHED_ 257538_1	621.92	6,21,920	20,000/-	प्रथम	09 माह वर्षाकाल सहित
06	32/ 03.03.23	2023_PHED_ 257539_1	630.56	6,30,560	20,000/-	प्रथम	09 माह वर्षाकाल सहित
07	33/ 03.03.23	2023_PHED_ 257540_1	550.56	5,50,560	20,000/-	प्रथम	09 माह वर्षाकाल सहित
08	34/ 03.03.23	2023_PHED_ 257542_1	553.13	5,53,130	20,000/-	प्रथम	09 माह वर्षाकाल सहित
09	35/ 03.03.23	2023_PHED_ 257546_1	591.46	5,91,460	20,000/-	प्रथम	09 माह वर्षाकाल सहित

निविदा प्रपत्र क्रय	-	दिनांक 09.03.2023 से दिनांक 25.03.2023 सायं 5.30 बजे तक
ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करना	-	**दिनांक 09.03.2023 से दिनांक 25.03.2023 सायं 5.30 बजे तक**
प्रि-बिड मीटिंग	-	दिनांक 16.03.2023, समय-दोपहर 2.00 से 5.30 सायं, स्थान-ग्वालियर
बिड ओपनिंग	-	दिनांक 27.03.2023, समय-दोपहर 1.00 बजे

मुख्य अभियंता

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्वालियर परिक्षेत्र, ग्वालियर

जी-24341/48277/2023

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र - इंदौर

शुद्धिपत्र क्रमांक 02/16/2022 से 51/2022, दिनांक 15.03.2023

सहायक प्राध्यापकों के पदों की पूर्ति हेतु परीक्षा 2022
अर्हकारी अंकों में 5 प्रतिशत अंकों की छूट के संदर्भ में

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31.07.2023
दोपहर 12.00 बजे तक

01. आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक के पदों की पूर्ति हेतु कुल 36 विज्ञापन क्रमांक 16/2022 से 53/2022 दिनांक 30.12.2022 को आयोग की वेबसाइट **https://mppsc.mp.gov.in** तथा रोज़गार निर्माण दिनांक 09.01.2023 के अंक में प्रकाशित किए गए हैं।
02. मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1/1/1/0091/2022/38/1 दिनांक 15.02.2023 में उल्लेखानुसार यूजीसी का राजपत्र प्रकाशन अधिसूचना दिनांक 18.07.2018 की कंडिका-3.4(I) अनुसार अर्हताएं एवं सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग राजपत्र दिनांक 21.11.2022 के अनुसार उक्त विज्ञापनों की कंडिका-दो(G) (V) में कंडिका-3 अनुसार संशोधन किया जाता है :–
    1. ''सीधी भर्ती हेतु अर्हता के उद्देश्य और बेहतर शैक्षणिक रिकॉर्ड के मूल्यांकन के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉनक्रीमीलेयर)/दिव्यांग [(क) दृष्टिबाधित और कम दृष्टिबाधित, (ख)] बहरे और कम सुनने वाले, (ग) लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बोनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। 55 प्रतिशत की पात्रता अंकों (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है उस स्थिति में किसी प्वॉइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) और रियायत अंक प्रक्रिया सहित, यदि कोई हो तो, के आधार पर अर्हता अंक में उपर्युक्त उल्लेखित श्रेणियों के लिए 5 प्रतिशत की छूट अनुमेय है।''
04. विज्ञापनों की शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

जी-24587/48290/2023 **उप सचिव**

संचालक ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला, ग्वालियर (म.प्र.)

E-mail : directorgma@mp.gov.in & gma_gwalior@rediffmail.com
Phone No. - 0751 2480263, 2481841

विज्ञापन सूचना

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-2-15/2022/1/55 भोपाल दिनांक 03.08.2022 द्वारा सृजित/स्थानांतरित, सीनियर रेजीडेन्ट एवं जूनियर रेसीडेन्ट पद, संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक 1200-02/स्था./राज/2021 दिनांक 24.12.2021 एवं ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला म.प्र., प्रबंध समिति की 58वीं बैठक दिनांक 28.12.2022 में लिए गये निर्णय के परिपालन में सीनियर रेसीडेन्ट एवं जूनियर रेसीडेन्ट के रिक्त पदों पर सीमित समयावधि (Tenure) 3 वर्ष हेतु भरे जाने हेतु, विज्ञप्ति जारी कर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्रथम नियुक्ति एक वर्ष हेतु की जावेगी, विभागाध्यक्ष के अनुशंसा एवं स्पष्ट अभिमत पर एक-एक वर्ष कर अधिकतम कुल तीन वर्ष तक आगे बढ़ाई जायेगी। आवेदन कार्यालयीन समय 10:30 AM से 05:30 PM तक संचालक ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला के कार्यालय में प्राप्त किये जावेंगे तथा साथ ही विभागीय वेबसाइट **https://gwaliormentalhospital.org/** पर विस्तृत नियम निर्देश पढ़ सकते हैं।

आवेदन प्रारंभ होने की दिनांक **17.03.23**
आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक **28.03.23**

संचालक
जी-24421/48279/2023 **ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला, ग्वालियर (म.प्र.)**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग, संभाग विदिशा (म.प्र.)

निविदा सूचना

निविदा सूचना क्रमांक 179 एवं 184/2022-23 **विदिशा, दिनांक : 10.03.2023**

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

टेण्डर क्रमांक	जिला	कार्य का प्रकार	आमंत्रण क्र.	कार्य की अनु. राशि (रु. लाख में)	ई.एम.डी.
क्र. एवं कार्य का नाम :– 1. दयानंदपुर बदनपुर भियांखेड़ी गंगरवाड़ा मार्ग लंबाई 5.50 कि.मी. में बी.टी. रिन्यूवल कार्य।					
2023_PWDRB_258947_1	विदिशा	बी.टी. रिन्यूवल	तृतीय	48.85	50000/-
क्र. एवं कार्य का नाम :– 2. दयानंदपुर भौंरिया काछीखेड़ा मार्ग लंबाई 3.00 कि.मी. एवं सेमरा पहुंच मार्ग लंबाई 1.00 कि.मी. कुल लंबाई 4.00 में बी.टी. नवीनीकरण का कार्य।					
2023_PWDRB_259024_1	विदिशा	बी.टी. रिन्यूवल	चतुर्थ	33.44	50000/-
क्र. एवं कार्य का नाम :– 3. धतुरिया हवेली कर्राखेड़ी मदनखेड़ी बेरखेड़ी जैतपुरा मार्ग 0 से 4.50 कुल लंबाई 4.50 कि.मी. में बी.टी. नवीनीकरण कार्य।					
2023_PWDRB_259033_1	विदिशा	बी.टी. रिन्यूवल	पांचवी	37.51	50000/-
क्र. एवं कार्य का नाम :– 4. हाटखेड़ा तरावली मार्ग लंबाई 5.50 कि.मी. में बी.टी. नवीनीकरण का कार्य।					
2023_PWDRB_259059_1	विदिशा	बी.टी. रिन्यूवल	तृतीय	47.95	50000/-
क्र. एवं कार्य का नाम :– 5. बड़ी उकायदा मुण्डेला मार्ग लंबाई 9.00 कि.मी., ईश्वरदास नैनवास आमझीर आश्रम मार्ग लंबाई 2.80 कि.मी., जावती निसोबरी नैनवास मोहनपुरा मार्ग लंबाई 8.20 कि.मी., कुल लंबाई 20.00 कि.मी. में बी.टी. नवीनीकरण कार्य।					
2023_PWDRB_259093_1	विदिशा	बी.टी. रिन्यूवल	चतुर्थ	154.61	154610/-
क्र. एवं कार्य का नाम :– 6. खामबाबा पलोह, जीवाजीपुर गजार मार्ग लंबाई 4.00 कि.मी. में बी.टी. नवीनीकरण का कार्य।					
2023_PWDRB_259102_1	विदिशा	बी.टी. रिन्यूवल	छठवीं	31.40	50000/-
			योग -	**353.76**	

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की **अंतिम तिथि 27.03.2023, (17.30) बजे** निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखा जा सकता है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

कार्यपालन यंत्री
जी-24486/48281/2023 **लोक निर्माण विभाग संभाग विदिशा**

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

क्रमांक. 10887/एम.सी./4/राज/2023 **भोपाल, दिनांक : 13.03.2023**

विज्ञप्ति

म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 के द्वारा लागू मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल का आदेश क्रमांक एफ 2-45/2010/1/55 दिनांक 27.12.2022 के अर्न्तगत स्वाशासी संस्था गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के अधीन रिक्त सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के पद की पूर्ति की जाना है। **आवेदन करने की पात्रता सिर्फ गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल एवं चिकित्सालय से संबद्ध अस्पतालों में पदस्थ उन्हीं चिकित्सकों को होगी जो शासन/एनएमसी द्वारा निर्धारित टी.ई.क्यू नियमावली दिनांक 14.02.2022 अनुसार अर्हताएं पूरी करते हों।**

अतः निम्नलिखित रिक्त पद हेतु निर्धारित प्रपत्र में गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल (स्वशासी समिति) द्वारा **दिनांक 20.03.2023 सायं 5:30 बजे तक** आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

विज्ञापन की संपूर्ण जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल मध्यप्रदेश की वेबसाइट **www.gmcbhopal.net** पर उपलब्ध है। योग्य उम्मीदवारों की सूची एवं साक्षात्कार की तिथि गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की Website पर उपलब्ध कराई जाएगी इस हेतु Website का अवलोकन करें।

आवेदन पत्र डाक द्वारा/व्यक्तिगत रूप से अधिष्ठाता गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 20.03.2023 सायं 5:30 बजे तक
अधिष्ठाता कार्यालय गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल

रिक्तियां निम्नानुसार हैं :

सह प्राध्यापक (पदोन्नति/सीधी भर्ती)
(वेतनमान मैट्रिक्स लेवल- 13ए : 131400-217100)

क्र.	विभाग	UR	OBC	ST	SC	कुल	Remark
1.	दंतरोग विभाग (मेक्सिलोफेसियल पृथक यूनिट)	01	-	-	-	01	

सहायक प्राध्यापक (पदोन्नति/सीधी भर्ती)
(वेतनमान मैट्रिक्स लेवल- 11: 68900-205500)

क्र.	विभाग	UR	OBC	ST	SC	कुल	Remark
1.	कम्युनिटी मेडिसिन	-	-	01	-	01	

रिक्तियों की संख्या परिवर्तनीय है

नोट :-

1. पदों की संख्या अधिक/कम की जा सकती हैं।
2. आवेदन का प्रारूप एवं नियम/शर्तो से संबंधित विस्तृत विवरण चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट **www.gmcbhopal.net** पर उपलब्ध है।
3. समस्त नियुक्तियां शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/निर्णयो के अधीन रहेंगी एवं किन्हीं भी कारणों से किसी भी अभ्यार्थी का आवेदन अयोग्य पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जायेगा। निरस्त होने की स्थिति में अभ्यार्थी किसी भी प्रकार से नियुक्ति के संबंध में अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकेंगे।
4. पदोन्नति के रिक्त पदों में कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्रमांक 396/स्था./राज/2022 भोपाल दिनांक 18.04.2022 में जारी मध्यप्रदेश स्वशासी शैक्षणिक आदर्श सेवा भर्ती नियम 2018 में नियम 3(ग) के अन्तर्गत जारी अनुसूची क्रमांक 2 की टीप क्रमांक 2 अनुसार सीधी भर्ती से भरे जायेंगे।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जी–24637/48307/2023 **गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल**

संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास

1 शिवाजी नगर, भोपाल, दूरभाष : 0755-2441026, 0755-2731261

कमांक: एफ 17/सं.नि./2023/695 **भोपाल, दिनांक : 07.03.2023**

चिकित्सा अधिकारियों की संविदा नियुक्ति
आवेदन की अंतिम तिथि में वृद्धि की सूचना

मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अंतर्गत संचालित गैस राहत चिकित्सा इकाइयों में चिकित्सा अधिकारियों (एम.बी.बी.एस.) के रिक्त पदों पर संविदा आधार पर नियुक्ति की जाने हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से दिनांक 10.03.2023 दिन शुक्रवार तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए थे।

उपरोक्त आवेदन पत्र प्राप्त करने व जमा करने हेतु दिनांक 10.03.2023 दिन शुक्रवार के स्थान पर आवेदन पत्र प्राप्त करने व जमा करने हेतु उक्त **तिथि में दिनांक 31.03.2023 दिन शुक्रवार तक** की वृद्धि की जाती है।

आवेदन पत्र प्राप्त करने, जमा करने तथा पदों की स्थिति व शेष शर्ते पूर्वानुसार यथावत रहेंगी, जिसे विभागीय वेबसाइट **www.bgtrrd.mp.gov.in** पर देखा जा सकता है।

संचालक
जी–24645/48308/2023 **गैस राहत एवं पुनर्वास, भोपाल**

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, संभाग क्र.-02, डी-16, कचनार सिटी, विजय नगर जबलपुर 482002 (म.प्र.), Email : mpphcjabalpur2@gmail.com

निविदा विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, जबलपुर संभाग क्र.- 02 के अंतर्गत निविदा क्रमांक 26/2022-23 सिविल अस्पताल 4F, 4G, 4H आवासगृह जिला उमरिया में बाह्य विद्युतीकरण का कार्य (ऑनलाइन निविदा क्रं. 2023_MPPHC_ 260848) आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 31.03.2023 सायं 6:00 बजे तक सबमिट किये जा सकते हैं।

जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं एवं निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उक्त बेबसाइट पर ही किए जावेंगे पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नही किया जावेगा।

म.प्र. माध्यम/109010/48303/2023 **परियोजना यंत्री**

मध्यप्रदेश नाट्य विद्यालय, भोपाल

(मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग)

(राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध)

उस्ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत एवं कला अकादमी परिसर, बाणगंगा चौराहा, भोपाल (म.प्र.) 462003,

Email Id - 2mpdramaschool@gmail.com, website - www.mpsd.co.in, rmtmusicandartsuniversity.com, Tell No. 0755-2660645, 4012403

दो वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा इन नाट्य रंगमंच पाठ्यक्रम में चयन हेतु विज्ञापन – सत्र 2023–25

मध्यप्रदेश शासन संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालित मध्यप्रदेश नाट्य विद्यालय, भोपाल (राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध) द्वारा नाट्य विधा में प्रशिक्षण के लिए दो वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा इन नाट्य रंगमंच पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक आवेदकों से माह मई / जून 2023 में प्रस्तावित प्रारंभिक चयन 2023–25 हेतु ऑनलाईन (online) आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन करने हेतु नियम व शर्तें निम्नानुसार है।

1. आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक, तीन नाटकों में अभिनय अथवा रंगकर्म के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव अनिवार्य है।
2. आयु 01.01.2023 को सामान्य वर्ग के लिये अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के लिये आयु सीमा संबंधी आरक्षण शासन के नियमों के अधीन रहेगी।
3. आवेदक को **एम.पी. ऑनलाईन (M P Online) पोर्टल पर राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वारा दिनांक 20 मार्च 2023 से 10 अप्रैल 2023 तक** खोले गये लिंक में निर्धारित पंजीयन शुल्क जमा कर पंजीकरण कर आवेदन करना होगा।
4. ऑनलाईन पंजीकृत आवेदन पश्चात् आवेदक को पंजीकृत आवेदन सहित समस्त दस्तावेज जिसमें शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण की मूल अंकसूची की प्रति, अनुभव, आयु सीमा के लिये 10वीं कक्षा की अंकसूची, मूलनिवासी, जाति एवं दो पासपोर्ट साईज की छायाप्रति की स्वहस्ताक्षरित हार्डकॉपी निदेशक, मध्यप्रदेश नाट्य विद्यालय, उस्ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत एवं कला अकादमी परिसर, बाणगंगा चौराहा, भोपाल (म.प्र.) 462003 के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा या सीधे विद्यालय में दिनांक 21 अप्रैल 2023 की शाम 05:00 बजे तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करना होगा, उक्त तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन किसी भी माध्यम से प्राप्त होने पर स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. पंजीकृत आवेदकों के आवेदन की स्क्रूटनी पश्चात् योग्य आवेदक को ही प्रारंभिक चयन की तिथि व भोपाल में स्थल की सूचना केवल मेल के माध्यम से दी जावेगी। अपंजीकृत आवेदक, गैर स्नातक व वांछित योग्यता पूर्ण न करने वाले आवेदक को प्रारंभिक चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नही किया जावेगा।
6. प्रारंभिक चयन में साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय, भोजन, आवासीय व्यवस्था या स्थानीय परिवहन आदि का व्यय आवेदक को स्वयं वहन करना होगा। प्रारंभिक चयन हेतु विद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान आवेदक को नहीं किया जायेगा।

प्रारंभिक चयन से चयनित आवेदकों को भोपाल में माह मई / जून 2023 मे आयोजित अंतिम चयन कार्यशाला में आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन कार्यशाला के लिए चयनित आवेदकों को विद्यालय द्वारा निवास स्थान से भोपाल तथा वापसी का रेल का स्लीपर क्लास अथवा साधारण बस किराये का भुगतान टिकिट / रसीद प्रस्तुत करने पर किया जायेगा तथा भोपाल में आवास एवं भोजन की सुविधा प्रदान की जाएगी।

अंतिम चयन कार्यशाला में चयनित विद्यार्थी मध्यप्रदेश नाट्य विद्यालय के सत्र 2023–25 में नियमानुसार दो वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा इन नाट्य रंगमंच पाठ्यक्रम मे प्रवेश तथा प्रतिमाह नियमानुसार निर्धारित छात्रवृत्ति के पात्र होंगे। छात्रवृत्ति के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की राशि किसी भी विद्यार्थी को प्रदाय नहीं की जायेगी। प्रशिक्षण के दौरान भोपाल में आवास, भोजन, आवागमन आदि की व्यवस्था चयनित विद्यार्थी को स्वयं करनी होगी। उपरोक्त व्यवस्था में विद्यालय का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप / भुगतान नहीं होगा।

विद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये पाठ्यक्रम अनुसार ही समस्त चयनित विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 0755–2660645 पर कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है। आवेदक उपरोक्त विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़कर ही आवेदन प्रेषित करें। चयन प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय का अधिकार निदेशक, मध्यप्रदेश नाट्य विद्यालय, भोपाल को होगा। उपर्युक्त संबंधी किसी भी तरह का वाद–विवाद का न्यायालयीन क्षेत्र भोपाल होगा।

G-24603/48291/2023

निदेशक
मध्यप्रदेश नाट्य विद्यालय, भोपाल

घोषणा

फार्म 4 (नियम 8 देखिए)
साप्ताहिक रोज़गार और निर्माण

1.	प्रकाशन स्थान	:	भोपाल
2.	प्रकाशन अवधि	:	साप्ताहिक
3.	मुद्रक का नाम	:	राघवेन्द्र कुमार सिंह
	क्या भारत का नागरिक है?	:	हाँ
	(यदि विदेशी है तो मूल देश)	:	XXX
	पता	:	शांति भूषण द्विवेदी द्वारा डी.बी. कार्प, दैनिक भास्कर, प्लाट नंबर-10-11 सेक्टर-बी, गोविंदपुरा, भोपाल
4.	प्रकाशक का नाम	:	राघवेन्द्र कुमार सिंह
	क्या भारत का नागरिक है?	:	हाँ
	(यदि विदेशी है तो मूल देश)	:	XXX
	पता	:	मध्यप्रदेश माध्यम 40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल, भोपाल (म.प्र.)
5.	संपादक का नाम	:	राजीव तिवारी
	क्या भारत का नागरिक है?	:	हाँ
	(यदि विदेशी है तो मूल देश)	:	XXX
	पता	:	मध्यप्रदेश माध्यम, 40, प्रशासनिक क्षेत्र अरेरा हिल, भोपाल (म.प्र.)
6.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों	:	मध्यप्रदेश माध्यम 40, प्रशासनिक क्षेत्र अरेरा हिल, भोपाल (म.प्र.)

मैं राघवेन्द्र कुमार सिंह एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

राघवेन्द्र कुमार सिंह
प्रकाशक के हस्ताक्षर

दिनांक : 20.03.2023

M.P. INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPN. LTD.

(Government of Madhya Pradesh Undertaking)
(Formerly M.P. Audyogik Kendra Vikas Nigam (I) Ltd.)
Regional Office, 101, First Floor, Atulya IT Park, Near Crystal IT Park, Khandwa Road Indore-452001 (M.P.), Phone : (O) 0731-2970611, 2974363, 2971311
Fax No. : 0731-2972629, Website : invest.mp.gov.in, E-mail : ed.roind@mpidc.co.in
CIN : U51102MP1977SGC001392

No. MPIDC/R.O.-INDORE/TECH/2023/14388 **Date : 13.03.2023**

NOTICE INVITING TENDER (2nd CALL)

MPIDC Regional office Indore (formerly known as MPAKVN(I) Ltd., Indore) invites online Percentage Rate tender from eligible contractors registered in MPPWD and having relevant experience individually through e-portal : **https://www.mptenders.gov.in** as mention below :-

S. No.	Name of work	PAC	Cost of Tender Form	EMD	Last date of submission
1	Operation and Maintenance of Street Light & High Mast at Industrial Area Nimrani, Distt. Khargone (M.P.)	Rs. 6.49 Lakhs + GST	Rs. 2360/- i/c GST	Rs. 12980/-	27.03.2023

Detailed NIT along with other details can be viewed on above mentioned portals.

Note : The NIT will be uploaded on website of e-procurement system– **http://www.mptenders.gov.in** within 3 days from publication in news paper.

M.P. Madhyam/108927/48293/2023 **EXECUTIVE ENGINEER**

SHRI VAISHNAV COLLEGE OF COMMERCE, INDORE

Affiliated to Devi Ahilya Vishwavidhyalaya, Indore
Sch. No. 71, Gumasta Nagar, Indore, Ph.: 0731-2380060, 2780009

VACANCIES

- **Assistant Professor**
  Commerce, English, Computer, Hindi, History, Economics, Political Science, Physiology, Mass Communication
- **Librarian** ◦ **Training & Placement Officer**
- **Computer Lab Attendant**

deepak

Applications are invited for the above posts. Eligibility as per UGC and M.P. Govt. norms.
Apply within 10 days with complete bio-data, testimonials and photo to:
Email: principalsvcc@gmail.com **SECRETARY**

R-48306/2023

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(An agency of Panchayat & Rural Development Department, Govt. of M.P.)
5th Floor, Block-IInd, Paryavas Bhawan
Bhopal (M.P.)-462011

No./4160/22/D-12/NIT-Maint./2023 **Bhopal, Dated : 15.03.2023**

NOTICE INVITING TENDER No. 208/MTN/2023 (BW)

Online Tenders for the following works are invited on the E-Procurement System portal **https://mptenders.gov.in** as detailed below.

Name of work : Repair/Maintenance of Rural Roads.

1. Table no. 1: Name of Work – Post 5 Years (BW)

S.No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1.	Khandwa	1	2410000.00
2.	Sagar	1	6693000.00

2. Table no. 2 : Name of Work – Post 10 Years (BW)

S.No	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1.	Mandla	1	6181000.00

3. Table no. 3 : Name of Work – Post 15 Years (BW)

S.No	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1.	Balaghat	1	14848000.00

1. Tender document can be purchased only online from the above website from 17.03.2023 from 17:30 hrs.
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document on the above-mentioned portal and concerned PIU.

MPM/108971/48299/2023 **CHIEF GENERAL MANAGER (Tender)**

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)
5th Floor, Block-II, Paryavas Bhawan, Bhopal (M.P.) 462 011

No./4464/22/D-12/MPRRDA/2023 **Bhopal, Dated : 16.03.2023**

NOTICE INVITING TENDER No. 1079 (PMGSY-Bridge-BW)

Online Tenders for Construction of Bridges with 5 years defect liability & maintenance are invited on the E-Procurement System portal **https://www.mptenders.gov.in** as detailed below :

- **Name of Work : Construction of Bridges under PMGSY including maintenance for Five year after construction**

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (In Rs.)
1.	Chhindwara	1	41786000.00

1. **Availability of Bid Documents and mode of submission :** The bid document is available online and should be submitted online in **https://www.mptenders.gov.in**. The bidder would be required to register in the website which is free of cost. For submission of the bids, the bidder is required to have a valid Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities.
2. Bid document may be purchased online from **20.03.2023 (17:30 hrs.)** and last date for online bid submission is **03.04.2023 (17:00 hrs.)**.
3. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and SBD for PMGSY Works (June-2020) on the above-mentioned portal and concerned PIU.

M.P. Madhyam/109016/2023 **CHIEF GENERAL MANAGER (TENDER)**

R-48304/2023

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, सागर, भदभदा रोड, भोपाल

क्रमांक/262/मप्रपुहाका/पयं/सागर/23 दिनांक 09.03.2023

निविदा सूचना क्रमांक 013/2022-23

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, सागर संभाग के अंतर्गत भोपाल, सागर एवं निवाड़ी जिलें में भवन निर्माण/अन्य कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय की अंतिम तिथि 20.03.2023 तक है। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/108908/48292/2023 **परियोजना यंत्री**

M.P. POWER GENERATING COMPANY LTD.

(A Government of M.P. Undertaking)
Block No. 9, Shakti Bhawan, Vidyut Nagar, Rampur:Jabalpur- 482008

No. ED (HR&A)/MPPGCL/Rectt./2022-23/995 **Jabalpur, Dated : 13.03.2023**

CORRIGENDUM

This refers to the advertisement No. ED (HR&A)/MPPGCL/Rectt./2022-23/764 dated 21.02.2023 issued by M.P. Power Generating Co. Ltd. (MPPGCL) for recruitment on various cadres in State Power Sector Companies of M.P. on regular and contract basis - (2022-23).

In partial modification to the aforementioned advertisement dated 21.02.2023, following mandatory requirement mentioned under Clause 1-"Minimum Educational Qualification" in Chapter I & II of the aforesaid advertisement for the **Post Code 006-Law Officer–Trainee and Post Code 014 - Law Officer/Legal Executive** is hereby removed :-

"The candidate should have valid CLAT-PG Score Card as on last date of submission of application, i.e., 16.03.2023."

Further, the last date of Online Registration, Submission of Online Application and Submission of Online Application Fee is extended till **23.03.2023 (up to 23:55 Hrs).** The other terms & conditions of the above said advertisement dated 21.02.2023 will remain unchanged.

M.P. Madhyam/108930/48295/2023 **CHIEF ENGINEER (HR & A)**

आम-सूचना

''सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा (समूह 5 के अंतर्गत पैरामेडीकल स्टाफ, स्टाफ नर्स व अन्य समकक्ष पदों हेतु भर्ती परीक्षा-2023) का आयोजन किया जाना है। उक्त परीक्षा बिना किसी विवाद के संचालित हो सके इस संबंध में बोर्ड द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर खंडपीठ इंदौर एवं ग्वालियर म.प्र. के समक्ष केवियट दायर की जा रही है। यदि किसी अन्य द्वारा इस संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की जाती है, तो उसकी एक प्रति बोर्ड के अधिवक्ता-(1) श्री राहुल दिवाकर अधिवक्ता-751 अग्रवाल कालोनी, जबलपुर (2) श्री कौस्तुभ पाठक अधिवक्ता-102 बी ब्लॉक, प्रकृति कार्पोरेट 18/2 वाय.एन. रोड, इंदौर एवं (3) श्री प्रवीण नेवास्कर अधिवक्ता- के.ऑफ. श्री के.एन. गुप्ता सीनियर एडवोकेट, सरदार आंगरे का बाड़ा, लाला का बाजार, लश्कर, ग्वालियर म.प्र. को उपलब्ध कराने का कष्ट करें''।

विज्ञापन क्र. 58/2023

संचालक

ESB म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल

चयन भवन, मैन रोड-1, चिनार पार्क ईस्ट, भोपाल-462011

R-48297/2023 म.प्र. माध्यम/108963/2023

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, संभाग क्रमांक - 01
कार्यालय भवन 1558, गोरखपुर थाने के पीछे, ऋषि काटेज रतन कालोनी कटंगा, जबलपुर पिनकोड- 482002 (म.प्र.)
फोन नं. : 0761-4927201, E-mail : mpphcjabalpur@gmail.com

निविदा विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, जबलपुर संभाग क्रं.- 01 के अंतर्गत जिला - छिंदवाड़ा में सी.एम. राइज (अ.ज.जा.) योजना अंतर्गत स्वीकृत शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमुआ के निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक - 33 वर्ष 2022 - 23 (ऑनलाइन निविदा क्रं. 2023_MPPHC _260411_1) आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 05.04.2023 तक खरीदकर सायं 05:00 बजे तक सबमिट किये जा सकते है जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं एवं निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उक्त वेबसाइट पर ही किए जावेंगे पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

म.प्र. माध्यम/108968/48298/2023 **परियोजना यंत्री**

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, संभाग क्रमांक - 01, कार्यालय भवन 1558, गोरखपुर थाने के पीछे, ऋषि कॉटेज, रतन कॉलोनी कटंगा जबलपुर (म.प्र.) पिनकोड-482002, फोन नं. - 0761-4927201
ई-मेल : mpphcjabalpur@gmail.com

निविदा प्रेस विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, जबलपुर संभाग क्र. 01 के अंतर्गत जिला-दमोह में मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के अंतर्गत (08+18+72) आवासगृह, पुलिस लाइन, दमोह में बाह्य विद्युतीकरण कार्य हेतु निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक-32 वर्ष 2022-23 (ऑनलाइन निविदा क्र. 2023_MPPHC_260158_1) आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 29.03.2023 तक खरीदकर सायं 05:00 बजे तक** सब्मिट किये जा सकते हैं जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं एवं निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उक्त वेबसाइट पर ही किए जावेंगे पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

म.प्र. माध्यम/108951/2023 R-48296/2023 **परियोजना यंत्री**

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, संभाग क्रमांक - 01, कार्यालय भवन 1558 गोरखपुर थाने के पीछे, ऋषि काटेज रतन कॉलोनी कटंगा, जबलपुर (म.प्र.), पिनकोड-482002
फोन नं. : 0761-4927201, Email : mpphcjabalpur@gmail.com

निविदा विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, जबलपुर संभाग क्रं.- 01 के अंतर्गत आर्चरी हॉस्टल, आर्चरी तकनीकी भवन, आर्चरी ऐरिना, पेवेलियन एवं स्पेक्टर्स गैलरी का निर्माण कार्य, रांझी, जबलपुर के निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक - 31 वर्ष 2022 - 23 (ऑनलाइन निविदा क्रं. 2023_MPPHC_ 259749_1) आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 29.03.2023 तक खरीद कर सायं 05:00 बजे तक सबमिट किये जा सकते हैं जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं एवं निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उक्त वेबसाइट पर ही किए जावेंगे पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

म.प्र. माध्यम/108928/48294/2023 **परियोजना यंत्री**

म.प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, संभाग क्र.-1 भदभदा रोड, भोपाल
क्र./247, 266/तशा/प.यं./2023 दिनांक : 14.03.2023

प्रेस विज्ञप्ति

इस कार्यालय द्वारा COLD STORAGE ROOM & ELECTRICAL WORK AT RFSL BHADBHADA ROAD BHOPAL एवं रेल पुलिस मुख्यालय, भोपाल का निर्माण कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती हैं। क्रमशः निविदा क्रमांक 2023_MPPHC_259428 _1 दिनांक 18.03.2023, 2023_MPPHC_259870 _1 **दिनांक 29.03.2023 समय अपरान्ह 17:00 बजे तक** खरीदे जा सकते हैं। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/108983/2023 R-48301/2023 **परियोजना यंत्री**

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, संभाग क्र.-02, डी-16, कचनार सिटी विजय नगर, जबलपुर-482002, Email - mpphcjabalpur2@gmail.com

निविदा विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, जबलपुर संभाग क्रं.-02 के अंतर्गत निविदा क्रमांक 25/2022-23 सी.एम. राईज योजना अंतर्गत स्वीकृत (1) शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राई का निर्माण कार्य जिला-डिण्डौरी (ऑनलाइन निविदा क्र. 2023_MPPHC _260842) (2) शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा का निर्माण कार्य जिला-डिण्डौरी (ऑनलाइन निविदा क्र. 2023_MPPHC _260844) (3) शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बन्नौदा का निर्माण कार्य जिला-उमरिया (ऑनलाइन निविदा क्रं. 2023_MPPHC _260845) आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 05.04.2023 तक खरीद कर सायं 6:00 बजे तक सबमिट किये जा सकते हैं, जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं एवं निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उक्त वेबसाइट पर ही किए जावेंगे पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नही किया जावेगा।

म.प्र. माध्यम/109009/48302/2023 **परियोजना यंत्री**

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)
5th Floor, Block-II, Paryavas Bhawan, Bhopan M.P.-462 011
(GST No. 23AAATM9054A3ZX)

No./4458/22/D-12/NIT-Maint./2023 Bhopal, Dated : 16.03.2023

NOTICE INVITING TENDER No. 209/MTN/2023

Online Tenders for the following works are invited on the E-Procurement System portal **https://mptenders.gov.in** as detailed below.

1. **Table No. 1 : Name of Work : Repair/Maintenance of the Rural Roads for Five Years Constructed Under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna (Post 5 Year).**

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1.	Alirajpur	1	17751395.00
2.	Ashoknagar	1	989666.00
3.	Balaghat	1	10051724.00
4.	Barwani	2	11629533.00
5.	Betul	1	1702070.00
6.	Bhopal	3	11537784.00
7.	Chhindwara	6	42034840.00
8.	Dewas	6	41461491.00
9.	Dhar	1	15761070.00
10.	Guna	1	7203985.00
11.	Jabalpur	1	16030758.00
12.	Khandwa	4	15996689.00
13.	Mandla	1	20306500.00
14.	Mandsaur	1	1329356.00
15.	Morena	1	9977725.00
16.	Narmadapuram	2	22073798.00
17.	Narsinghpur	3	23955303.00
18.	Raisen	8	54018847.00
19.	Rajgarh	2	14983722.00
20.	Sagar	2	27584118.00
21.	Satna	2	26403816.00
22.	Sheopur	1	10624668.00
23.	Shajapur	1	8892500.00
24.	Shivpuri	3	32170954.00
25.	Singrauli	1	12627260.00
26.	Ujjain	6	38513978.00
27.	Vidisha	5	40516350.00

2. **Table No. 2 : Name of Work : Repair/Maintenance of the Rural Roads for Five Years Constructed Under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna (Post 10 Year).**

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1.	Agar Malwa	1	14545142.00
2.	Anuppur	1	12264362.00
3.	Balaghat	1	13108604.00
4.	Barwani	4	51873687.00
5.	Betul	1	5962153.00
6.	Burhanpur	2	20247997.00
7.	Chhatarpur	1	14640245.00
8.	Chhindwara	2	22454205.00
9.	Dewas	3	30353049.00
10.	Guna	1	12253012.00
11.	Harda	3	37813271.00
12.	Jhabua	1	15050370.00
13.	Khargone	3	25785839.00
14.	Morena	1	8835352.00
15.	Narmadapuram	1	6852807.00
16.	Panna	1	1771785.00
17.	Rajgarh	9	153595398.00
18.	Sagar	1	6808573.00
19.	Satna	2	19210776.00
20.	Sehore	1	4238709.00
21.	Shajapur	3	30302872.00
22.	Shivpuri	4	50010326.00
23.	Singrauli	1	6841003.00
24.	Ujjain	1	9271515.00
25..	Umaria	1	29702348.00
26.	Vidisha	1	7235318.00

3. **Table No. 3 : Name of Work : Repair/Maintenance of The Rural Roads for Five Years Constructed Under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna (Post 15 Year).**

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1.	Barwani	3	24632550.00
2.	Chhindwara	2	14464624.00
3.	Dhar	3	34536978.00
4.	Harda	2	27903561.00
5.	Indore	1	1937679.00
6.	Khandwa	2	19079940.00
7.	Khargone	1	3494857.00
8.	Neemuch	1	13227195.00
9.	Panna	1	9020393.00
10.	Rajgarh	1	17533292.00
11.	Sehore	1	12961413.00
12.	Shajapur	2	24427615.00
13.	Vidisha	1	11367162.00

1. Tender document can be purchased only online from the above website from **24.03.2023 from 17:30 hrs.**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document on the above-mentioned portal and concerned PIU.

CHIEF GENERAL MANAGER (TENDER)

M.P. Madhyam/109019/2023

R-48309/2023

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)
5th Floor, Block-II, Paryavas Bhawan,Bhopal, M.P.–462 011
(GST No. 23AAATM9054A3ZX)
No./4461/22/D-12/MPRRDA/2023 Bhopal, Dated : 16.03.2023

NOTICE INVITING TENDER No. 1080 (PMGSY-B.W.)

Online Tenders for Construction of Rural Roads /CDs with 5 years maintenance are invited on the E-Procurement System portal **www.mptenders.gov.in** as detailed below :

- **Name of Work : Construction/Up-gradation of Rural Roads under PMGSY including maintenance for Five year after construction**

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (In Rs.)
1.	Shahdol	1	16368000.00

1. Bid document may be purchase online from **20.03.2023 (17:30 hrs.)** and last date for online bid submission is **03.04.2023 (17:00 hrs.)**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document on the above-mentioned portal and concerned PIU.

M.P. Madhyam/109018/2023 **CHIEF GENERAL MANAGER (TENDER)**

R-48305/2023

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(An agency of Panchayat & Rural Development Department, Govt. of M.P.)
Block-IInd, 5th Floor, Paryavas Bhavan Arera Hills, Bhopal (M.P.)-462011

SQC CONSULTANCY OF BRIDGES (E-PROCUREMENT NOTICE)

No. 4156 /22/D-12/SQC-Brg./23 Bhopal, Dated : 15.03.2023

Online Bids are invited through e-procurement portal **http://mptenders.gov.in** from the consultants fulfilling the required qualification criteria for Supervision and Quality Control Consultancy of Bridge works being constructed on Rural Roads for the following packages..

- **No. of Packages - 7**
- **No. of Bridges - 113**

Total Estimated Construction Cost (in Rs.) – Rs. 3311129000.00

1. RFP document may be seen, downloaded and purchased from our e-procurement website **https://mptenders.gov.in** from 17:30 hrs on 16.03.2023 .
2. Last date of Submission of bid is date **10.04.2023 upto 17.30 hrs.**

Other details & conditions may be seen in the detailed NIT, Tender document for SQC of Bridge works June, 2021 on our Website **http://mptenders.gov.in.**

MPM/108972/48300/2023 **CHIEF GENERAL MANAGER (Tender)**

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

मध्यप्रदेश भूगोल

1. किस राज्य की सीमा मध्यप्रदेश की सीमा से लगी हुई नहीं है?
अ. गुजरात
ब. महाराष्ट्र
स. बिहार
द. राजस्थान
उत्तर- स. बिहार

2. क्षेत्रफल के हिसाब से मध्यप्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है?
अ. चौथा ब. दूसरा
स. पहला द. तीसरा
उत्तर- ब. दूसरा

3. मध्यप्रदेश में कुल जिलों की संख्या है?
अ. 48 ब. 52
स. 51 द. 50
उत्तर- ब. 52

4. मध्यप्रदेश की सीमा कितने राज्यों की सीमा से लगी हुई है?
अ. 6 ब. 7
स. 9 द. 5
उत्तर- द. 5

5. सांची शहर किस नदी के तट पर बसा है?
अ. बेतवा ब. सिंध
स. काली सिंध द. पार्वती
उत्तर- अ. बेतवा

6. राजस्थान से मध्यप्रदेश के कितने जिलों की सीमा लगती है?
अ. 7 ब. 6
स. 10 द. 14
उत्तर- स. 10

7. मध्यप्रदेश का नवीन जिला निवाड़ी किस जिले से अलग करके बनाया गया?
अ. टीकमगढ़ ब. छतरपुर
स. सागर द. अशोकनगर
उत्तर- अ. टीकमगढ़

8. निम्न में से कौनसी चोटी मालवा के पठार की नहीं है?
अ. सिगार ब. जानापाव
स. हाजारी द. सिद्ध बाबा
उत्तर- द. सिद्ध बाबा

9. मध्यप्रदेश में सर्वाधिक वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है?
अ. उत्तर-पूर्वी
ब. पश्चिमी विक्षोभ
स. द.प. मानसून
द. उपरोक्त में से कोई नहीं
उत्तर- स. द.प. मानसून

10. मध्यप्रदेश में सबसे बड़ा वन वृत्त कौनसा है?
अ. खंडवा ब. होशंगाबाद
स. छतरपुर द. उज्जैन
उत्तर- अ. खंडवा

11. मध्यप्रदेश के किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों को जंगल गलियारा योजना से जोड़ने का प्रस्ताव है?
अ. कान्हा किसली व पेंच
ब. कान्हा किसली व बांधवगढ़
स. बांधवगढ़ व पन्ना
द. कान्हा किसली व फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान
उत्तर- ब. कान्हा किसली व बांधवगढ़

12. मध्यप्रदेश में मिट्टी की प्रकृति का निर्धारण करने में निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है?
अ. नदियों की ब. चट्टानों की
स. वायुमंडल की द. जल की
उत्तर- ब. चट्टानों की

13. कृषि गणना के आधार पर मध्यप्रदेश में जोतों का औसत आकार कितना है?
अ. 2.2 हेक्टेयर ब. 3.5 हेक्टेयर
स. 7 हेक्टेयर द. 2 हेक्टेयर
उत्तर- अ. 2.2 हेक्टेयर

14. नर्मदा नदी की निम्न में से किस परियोजना का बांध मध्यप्रदेश में नहीं बना है?
अ. ओंकारेश्वर परियोजना
ब. महेश्वर परियोजना
स. इंदिरा सागर परियोजना
द. सरदार सरोवर परियोजना
उत्तर- द. सरदार सरोवर परियोजना

15. रत्न परिष्कृत केन्द्र मध्यप्रदेश के किस जिले में है?
अ. विदिशा ब. इंदौर
स. जबलपुर द. देवास
उत्तर- स. जबलपुर

16. कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा स्थापित जीवाणु खाद्य संयंत्र मध्यप्रदेश में कहां पर है?
अ. ग्वालियर ब. जबलपुर
स. भोपाल द. इंदौर
उत्तर- स. भोपाल

17. मध्यप्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
अ. वी.आर. दुबे
ब. एच. कामथ
स. एन.वी. लोहानी
द. पी.वी. दीक्षित
उत्तर- अ. वी.आर. दुबे

18. भौगोलिक आधार पर मध्यप्रदेश को कितने भागों में विभक्त किया गया है?
अ. 4 ब. 5
स. 6 द. 7
उत्तर- द. 7

19. मध्यप्रदेश राज्य प्रमुख रूप से है?
अ. पहाड़ ब. मैदान
स. पठार द. घाटी
उत्तर- स. पठार

20. भू-वैज्ञानिक दृष्टि से मध्यप्रदेश भाग है?
अ. दक्कन ट्रैप का ब. अंगारा लैंड
स. गोंडवाना लैंड द. विंध्य शैल
उत्तर- स. गोंडवाना लैंड

21. मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा भू-भाग किस क्षेत्र में आता है?
अ. मालवा का पठार
ब. बघेलखण्ड क्षेत्र
स. नर्मदा घाटी
द. बुन्देलखण्ड
उत्तर- अ. मालवा का पठार

22. मध्यप्रदेश के किस जिले का भौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक है?
अ. जबलपुर ब. भोपाल
स. ग्वालियर द. छिंदवाड़ा
उत्तर- द. छिंदवाड़ा

23 कर्क रेखा मध्यप्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है?
अ. 12 ब. 14
स. 16 द. 18
उत्तर- ब. 14

24. मध्यप्रदेश में कितने संभाग हैं?
अ. 9 ब. 10
स. 11 द. 12
उत्तर- ब. 10

25. मध्यप्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा होती है?
अ. 50 cm से कम
ब. 100-125 cm
स. 50-75 cm
द. 1002 मिमी.
उत्तर- ब. 100-125 cm

26. मध्यप्रदेश का कौनसा जिला अधिकतम मैग्नीज का उत्पादन करता है?
अ. छिंदवाड़ा ब. बालाघाट
स. जबलपुर द. ग्वालियर
उत्तर- ब. बालाघाट

27. बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है?
अ. डिंडोरी ब. शहडोल
स. उमरिया द. मंडला
उत्तर- स. उमरिया

28. मध्यप्रदेश में निम्न में से किस संभाग में सबसे कम जिले हैं?
अ. सागर
ब. नर्मदापुरम्
स. ग्वालियर
द. इंदौर संभाग
उत्तर- ब. नर्मदापुरम्

29. गंगा और महानदी के बीच जलद्विभाजक किसका भाग है?
अ. बुन्देलखण्ड का पठार
ब. रीवा पन्ना का पठार
स. सतपुड़ा श्रेणी
द. बघेलखण्ड का पठार
उत्तर- द. बघेलखण्ड का पठार

30. निम्न में से कौनसा जिला शहडोल संभाग के अंतर्गत नहीं आता है?
अ. शहडोल ब. अनूपपुर
स. उमरिया द. मंडला
उत्तर- द. मंडला

31. आगर-मालवा जिला किस संभाग के अन्तर्गत आता है?
अ. इंदौर ब. भोपाल
स. उज्जैन द. सागर
उत्तर- स. उज्जैन

32. चम्बल घाटी मध्यप्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है?
अ. मालवा का पठार
ब. मध्यभारत का पठार
स. बुन्देलखण्ड का पठार
द. बघेलखण्ड का पठार
उत्तर- ब. मध्यभारत का पठार

33. अरावली पर्वत श्रृंखला मध्यप्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है?
अ. नर्मदा सोन घाटी
ब. बुन्देलखण्ड का पठार
स. बघेलखण्ड का पठार
द. मालवा का पठार
उत्तर- द. मालवा का पठार

34. मध्यप्रदेश में निम्न जिलों में से कौनसा जिला 2 अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है?
अ. सतना ब. रीवा
स. अलीराजपुर द. छतरपुर
उत्तर- स. अलीराजपुर

35. मध्यभारत का पठार प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है?
अ. 10.68% ब. 7.5%
स. 9.58% द. 11.5%
उत्तर- अ. 10.68%

36. मध्यप्रदेश में विकासखण्डों की संख्या क्या है?
अ. 213 ब. 313
स. 413 द. 513
उत्तर- ब. 313

37. निम्न में से कौनसा जिला जबलपुर संभाग का नहीं है?
अ. कटनी ब. छिंदवाड़ा
स. हरदा द. बालाघाट
उत्तर- स. हरदा

38. लमेटा सीरीज किस प्रकार के शैल समूह में पाई जाती है?
अ. गोंडवाना शैल समूह
ब. तृतीयक शैल समूह
स. क्रिटेशियस शैल समूह
द. आर्य शैल समूह
उत्तर- स. क्रिटेशियस शैल समूह

39. किस पठार में चंबल घाटी स्थित है?
अ. मालवा का पठार
ब. बुन्देलखण्ड का पठार
स. मध्यभारत का पठार
द. रीवा पन्ना का पठार
उत्तर- स. मध्यभारत का पठार

40. मध्यप्रदेश की कुल भूमि का सर्वाधिक भाग धारण किये है?
अ. मालवा का पठार
ब. बुन्देलखण्ड का पठार
स. मध्यभारत का पठार
द. रीवा पन्ना का पठार
उत्तर- अ. मालवा का पठार

41. विदेशी यात्री फाह्यान ने कहां की जलवायु को विश्व की श्रेष्ठतम् जलवायु कहा है?
अ. मालवा का पठार
ब. बुन्देलखण्ड का पठार
स. मध्यभारत का पठार
द. रीवा पन्ना का पठार
उत्तर- अ. मालवा का पठार

42. सिद्धबाबा किस पठार की सबसे ऊंची चोटी है?
अ. सतपुड़ा मैकाल श्रेणी
ब. बुन्देलखण्ड का पठार
स. नर्मदा सोन घाटी
द. रीवा पन्ना का पठार
उत्तर- ब. बुन्देलखण्ड का पठार

43. कौनसा पठार मध्यप्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है, यहां सोन तथा जोहिला नदियां प्रवाहित होती हैं?
अ. मालवा का पठार
ब. बुंदेलखण्ड का पठार
स. मध्यभारत का पठार
द. बघेलखण्ड का पठार
उत्तर- द. बघेलखण्ड का पठार

44. मध्यप्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है?
अ. मैहर ब. बांधवगढ़
स. कान्हा द. पचमढ़ी
उत्तर- द. पूर्वी भाग

45. निम्नलिखित में से मध्यप्रदेश के किस भाग में सबसे ऊंची चोटी है?
अ. बघेलखण्ड ब. सतपुड़ा श्रेणी
स. नर्मदा घाटी द. बुन्देलखण्ड
उत्तर- ब. सतपुड़ा श्रेणी

46. मध्यप्रदेश का सिंगरौली बेसिन प्रसिद्ध है?
अ. कृषि हेतु
ब. जल विद्युत हेतु
स. कोयला हेतु
द. उच्चजन घनत्व हेतु
उत्तर- स. कोयला हेतु

47. किन जिलों का समूह बुन्देलखण्ड क्षेत्र में आता है?
अ. मंदसौर, राजगढ़, शिवपुरी
ब. टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर
स. दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव
द. रीवा, शहडोल, राजगढ़
उत्तर- ब. टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर

48. पूर्व में उत्तरप्रदेश तथा पश्चिम में राजस्थान से लगने वाला एकमात्र जिला कौनसा है?
अ. गुना ब. अशोकनगर
स. शिवपुरी द. मुरैना
उत्तर- स. शिवपुरी

49. निम्न में से किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है?
अ. बैतूल ब. छिंदवाड़ा
स. श्योपुर द. खण्डवा
उत्तर- स. श्योपुर

श्रद्धा सुमन
(लेखिका, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी विषयों पर लेखन करती हैं)

शासकीय विद्यालयों में शिक्षक करेंगे टैबलेट का उपयोग

भोपाल, मध्यप्रदेश में गुणवत्तायुक्त स्कूली शिक्षा के लिए अब प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को टैबलेट्स की सुविधा भी दी जा रही है। प्राथमिक स्तर के शिक्षक इन टैबलेट्स का उपयोग कक्षा शिक्षण के साथ ही ऑनलाइन शिक्षण और प्रशिक्षण जैसे कार्यों में करेंगे। मध्यप्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान की टीचर्स रिसोर्स पैकेज योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्तर के समस्त शिक्षकों के लिए टैबलेट क्रय हेतु प्रति शिक्षक 10 हजार रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।

राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा 14 मार्च से पात्र शिक्षकों के खाते में राशि का हस्तांतरण प्रारंभ कर दिया गया है। इसके तहत प्रथम दिवस ही तीन हजार से अधिक शिक्षकों के खाते में क्रय राशि का ऑनलाइन भुगतान किया जा चुका है। उक्त योजना की क्रियान्वयन नीति के अनुसार अध्ययन-अध्यापन कार्यों के लिए टैबलेट का क्रय शिक्षक स्वयं करेंगे। जिसके लिए न्यूनतम स्पेसीफिकेशन राज्य स्तर से निर्धारित किए गए हैं। शिक्षकों के द्वारा टेबलेट का देयक एवं स्पेसीफिकेशन MPSEDC के सहयोग से तैयार किये गये माड्यूल में ऑनलाइन दर्ज किया जाना है। माड्यूल पर दर्ज देयक अनुसार अधिकतम राशि रुपये 10 हजार रुपये संबंधित शिक्षक के खाते में राज्य स्तर से ही सीधे जारी की जा रही है।

योजना में क्रय किये गये टैबलेट 4 वर्ष के उपयोग के बाद शिक्षकों के ही हो जायेंगे। टैबलेट की कार्यशीलता अवधि चार वर्ष मानते हुये राज्य स्तर से चार वर्ष तक टैबलेट को ट्रेक किया जायेगा। इसके पश्चात् टैबलेट का मूल्य शून्य माना जायेगा। अर्थात् चार वर्ष पश्चात टैबलेट का उपयोग शिक्षक स्वयं के कार्य के कर सकेंगे। शिक्षकों को सुविधा दी गई है कि वे चाहें तो अतिरिक्त राशि लगाकर टैबलेट क्रय कर सकते हैं।

योजना की ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली अनुसार अब तक लगभग 1 लाख 44 हजार 620 शिक्षक टैबलेट्स क्रय की सहमति दर्ज कर चुके हैं। जिनमें से 1 लाख 4 हजार 969 शिक्षकों ने क्रय उपरांत प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन भी कर दिया है।

ग्रुप-2, सब ग्रुप-4 एवं पटवारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न

सामान्य ज्ञान

1. निम्नलिखित में से किसे 'रैयतवाड़ी बन्दोबस्त' का जन्मदाता माना जाता है?
अ. लॉर्ड कार्नवालिस ब. टॉमस मुनरो
स. गोल्ड स्मिथ द. विगेंर
उत्तर- ब. टॉमस मुनरो

2. भारत में 8^0 चैनल किन दो क्षेत्रों को विभाजित करता है?
अ. कावारत्ती व मिनीकॉय
ब. अण्डमान व निकोबार
स. मालदीव व मिनीकॉय
द. लक्षद्वीप व मालाबार
उत्तर- स. मालदीव व मिनीकॉय

3. भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा की गई है?
अ. तीन बार
ब. दो बार
स. एक बार
द. अभी तक घोषणा नहीं की गई
उत्तर- अ. तीन बार [1962, 1971, 1975]

4. क्योटो प्रोटोकॉल (1997) निम्न में से किस विषय से संबंधित था?
अ. ग्लोबल वार्मिंग
ब. प्रदूषण
स. जैविक संसाधनों से
द. सौर ऊर्जा
उत्तर- अ. ग्लोबल वार्मिंग से

5. मध्यप्रदेश सरकार द्वारा स्थापित 'तुलसी सम्मान' किस विधा हेतु प्रदान किया जाता है?
अ. शास्त्रीय संगीत
ब. लोक एवं पारंपरिक कला
स. हिन्दी कविता
द. अभिनय
उत्तर- ब. लोक एवं पारंपरिक कला

6. मध्यप्रदेश लाइफ टाईम अचीवमेंट पुरस्कार किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की स्मृति में प्रदान किया जाता है?
अ. प्रभाष जोशी
ब. मेजर ध्यानचंद
स. कैप्टन रूपसिंह
द. इनमें से कोई नहीं
उत्तर- स. कैप्टन रूपसिंह

7. बुरहानपुर में स्थित 'अकबरी सराय' का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था?
अ. टोडरमल ब. अब्दुल रहीम खानखाना
स. अकबर द. फैज़ी
उत्तर- ब. अब्दुल रहीम खानखाना

8. मृतकों को दफनाने की 'सिडोली प्रथा' किस जनजाति में प्रचलित है?
अ. कोरकू ब. सहरिया
स. कोल द. उराँव
उत्तर- अ. कोरकू जनजाति

9 लेक्लांशे सेल में किस धातु की छड़ एनोड का कार्य करती है?
अ. तांबा ब. जस्ता
स. कार्बन द. एल्युमिनियम
उत्तर- ब. जस्ता

10. प्रकाश के किस गुण के कारण सूर्योदय के कुछ समय पहले एवं सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी हमें दिखाई देता है?
अ. प्रकाश का परावर्तन
ब. प्रकाश का पूर्णआंतरिक परावर्तन
स. प्रकाश का अपवर्तन
द. इनमें से कोई नहीं
उत्तर- स. प्रकाश का अपवर्तन

11. सूर्य में पाया जाने वाला 'सूर्य धब्बा चक्र' कितने वर्षों का होता है?
अ. 11 वर्ष ब. 25 वर्ष
स. 10 अरब वर्ष द. 22 वर्ष
उत्तर- द. 22 वर्ष

12. यदि एक पिण्ड को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है। तब इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा?
अ. धरातल पर अधिकतम होगी
ब. सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी
स. वापसी यात्रा के दौरान अधिकतम होगी
द. धरातल व अधिकतम ऊंचाई दोनों पर अधिकतम होगी
उत्तर- ब. सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी

13. आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन आता है?
अ. त्रिज्या का मान बढ़ता है
ब. त्रिज्या का मान घटता है
स. त्रिज्या का मान स्थिर रहता है
द. इनमें से कोई नहीं
उत्तर- अ. त्रिज्या का मान बढ़ता है

14. प्रोड्यूसर गैस किन दो गैसों के मिश्रण को कहा जाता है?
अ. $CO+N_2$ ब. CO_2+CO
स. O_2+CO द. CO_2+N_2
उत्तर- अ. $CO+N_2$

15. निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण कोलोन में बैक्टीरिया के द्वारा भी होता है?
अ. विटामिन B_{12}
ब. विटामिन B_9 (फॉलिक एसिड)
स. विटामिन B_7
द. विटामिन B_6
उत्तर- ब. विटामिन B_9 (फॉलिक एसिड)

16. एम.एस. एक्सेल में निम्न में से किस कुंजी के द्वारा सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं?
अ. Tabkey ब. Cell पर क्लिक करके
स. Arrow Key द. उपरोक्त सभी
उत्तर- द. उपरोक्त सभी

17. निम्नलिखित कमांड में से कौन सी कमांड लिनक्स से संबंधित नहीं है?
अ. Mail ब. Mesg
स. Write द. Grep
उत्तर- द. Grep

18. स्प्रेडशीट में इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक क्या कहलाता है?
अ. सेल एड्रेस
ब. सेल लोकेशन
स. सेल पोजीशन
द. सेल कॉन्टेन्ट
उत्तर- अ. सेल एड्रेस

19. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर एलाइन करने के लिए शॉर्टकट बटन कौनसा है?
अ. Ctrl+D ब. Ctrl+A
स. Ctrl+E द. Ctrl+B
उत्तर- स. Ctrl+E

20. एम.एस. वर्ड में बड़े अक्षरों को छोटा और छोटे अक्षरों को बड़ा करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है?
अ. लोअर केस ब. टोगल केस
स. टाइटल केस द. सेनटेन्स केस
उत्तर- ब. टोगल केस

21. मॉनीटर और हार्ड डिस्क ड्राइव जैसे पावर हंग्री कम्पोनेंट को आइडल रखने पर कम्प्यूटर किस मोड में चला जाता है?
अ. हाइबरनेट ब. ओपन मोड
स. स्टैंड बॉय द. शट डाउन
उत्तर- स. स्टैंड बॉय मोड में

22. निम्नलिखित में से कौनसा तत्व अधिकार अंतरण में शामिल नहीं है?
अ. अधिकार ब. उत्तरदायित्व
स. उत्तरदेयता द. आदेश
उत्तर- द. आदेश

23. किसी भी संगठन में निम्नलिखित में से कौनसा तत्व वित्तीय प्रोत्साहन में सम्मिलित नहीं है?
अ. वेतन, भत्ता
ब. बोनस
स. सह- साझेदारी/स्कंध
द. पद संवर्धन
उत्तर- द. पद संवर्धन

24. किसी भी कंपनी के द्वारा उपार्जित लाभांश से संबंधित निर्णयों को कौनसा कारक प्रभावित नहीं करता है?
अ. संवृद्धि सुयोग
ब. करारोपण नीति
स. उपार्जन
द. स्वामिगत निधि
उत्तर- द. स्वामिगत निधि

25. स्थाई संपत्तियों का वित्त प्रबंधन किन स्रोतों से नहीं किया जाता है?
अ. पूर्वाधिकार अंश
ब. ऋणपत्र
स. अल्पकालीन स्रोत
द. दीर्घकालीन ऋण
उत्तर- स. अल्पकालीन स्रोत

26. विपणन मिश्र की विभिन्न दरों में P_s में कौनसा वर्ग सम्मिलित नहीं है?
अ. उत्पादन ब. स्थान
स. प्रचार द. प्रेरणा
उत्तर- द. प्रेरणा

27. वस्तुओं के भौतिक रूप से वितरण के प्रमुख घटकों का उपयुक्त क्रम कौनसा होगा?
अ. उत्पादक, फुटकर विक्रेता, थोक विक्रेता, उपभोक्ता
ब. उत्पादक, थोक विक्रेता, उपभोक्ता, फुटकर विक्रेता
स. उत्पादक, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, उपभोक्ता
द. इनमें से कोई नहीं
उत्तर- स. उत्पादक, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, उपभोक्ता

28. किसी भी वस्तु के मूल्य निर्धारण को निम्न में से कौनसा तत्व प्रभावित नहीं करता है?
अ. उत्पादन लागत
ब. विपणन विधियां
स. सरकार एवं विधिक नियमन
द. विक्रय संवर्धन
उत्तर- द. विक्रय संवर्धन

29. निम्न वाक्यों में से कौनसा शुद्ध वाक्य है?
अ. अन्तर्साक्ष्य के आधार पर सूर जन्मांध नहीं थे।
ब. अन्तर्साक्ष्य के आधार पर सूर जन्मंध नहीं थे।
स. अन्तः साक्ष्य के आधार पर सूर जन्मांध नहीं थे।
द. अन्तर्साक्ष्य के आधार पर सूर जन्मांध नहीं थे।
उत्तर- स. अन्तः साक्ष्य के आधार पर सूर जन्मांध नहीं थे।

30. 'सतसई' शब्द में समास का कौनसा भेद है?
अ. कर्मधारय ब. द्विगु
स. तत्पुरुष द. द्वन्द्व
उत्तर- ब. द्विगु

31. यजुर्वेद शब्द का सन्धि-विच्छेद होगा?
अ. यजु+वेद ब. यर्जु+वेद
स. यजुः+वेद द. यजु+र्वेद
उत्तर- स. यजुः+वेद

32. 'पलंग पर अंकित बैठा है' इस वाक्य में 'पलंग' किस कारक में है?
अ. करण ब. सम्प्रदान
स. अधिकरण द. कर्म
उत्तर- स. अधिकरण

33. 'ध्यानपूर्वक' शब्द है?
अ. परिमाणवाचक क्रिया विशेषण
ब. कालवाचक क्रिया विशेषण
स. स्थानवाचक क्रिया विशेषण
द. रीतिवाचक क्रिया विशेषण
उत्तर- द. रीतिवाचक क्रिया विशेषण

34. प्रमत्त- स्वेच्छाकारी शब्द युग्म निम्न में से किसका अनेकार्थी शब्द है?
अ. उत्कृष्ट ब. उन्मत्त
स. प्रपीड़ित द. परितप्त
उत्तर- ब. उन्मत्त

35. 'क्षणिक' शब्द का विलोम होगा?
अ. अक्षणिक ब. अक्षण
स. शाश्वत् द. क्षीण
उत्तर- स. शाश्वत्

36. $1\div\{1+1\div(1+1\div(1+1\div2)\}$ का मान क्या होगा?
अ. 1 ब. 5/8
स. C द. 1/2
उत्तर- ब. 5/8

37. एक दुकानदार ने 15 किग्रा चावल 29 रु. प्रति किग्रा की दर से खरीदे और 25 किग्रा 20 रु. प्रति किग्रा की दर पर उसने दोनों प्रकार के चावलों का मिश्रण ₹ 27 प्रति किग्रा की दर पर बेचा। उसे कितना लाभ हुआ?
अ. ₹125 ब. ₹150
स. ₹140 द. ₹145
उत्तर- द. ₹145
Solv - कुल (15+25) किग्रा चावल का क्रय मूल्य $=15\times29+25\times20 \Rightarrow 435+500=$ ₹ 935
कुल 40 किग्रा चावल का विक्रय मूल्य $=40\times27=$ ₹1080
∴ कुल लाभ = विक्रय मूल्य - क्रय मूल्य = 1080-935 =₹145

38. किसी कोड भाषा में यदि COW को ZLT लिखा जाता है तो PRIMATE को क्या लिखा जाएगा?
अ. MOFXQBJ ब. MOFJXQB
स. BQXJFOM द. इनमें से कोई नहीं
उत्तर- ब. MOFJXQB

39. Select the Correct active form of the given sentence Let flowers not be plucked
A. Flowers are not plucking
B. Flowers not be plucked
C. Don't pluck flowers
D. Doesn't pluck Flowers
Ans- C. Don't pluck flowers

40. find the error-
A. At Last Rohit found
B. Narayan under the shade
C. of a tree and brought him
D. Back on the City
Ans- D. Back on the City

41. Select the most appropriate option to Substitule the underlined segment in the given sentence
Don't stay out late. Come home <u>soon</u>.
A. Quickly B. Fast
C. Early D. No improvement
Ans- C. Early

42. Choose the correctly spelt word-
A. Naucea
B. Nausea
C. Nausi
D. Nauceai
Ans- B. Nausea (Means- Feeling of sickness with on inclination to vomit)

- कृतिका जावरिया
(लेखिका, प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित विषयों पर लेखन करती हैं)

यूजीसी नेट, राज्य पात्रता तथा सहायक प्राध्यापक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न

वाणिज्य

प्र. 1 यदि स्थायी लागत रु. 2,50,000 हो तथा परिवर्तनशील लागत 4 रु. प्रति इकाई व विक्रय मूल्य 8 रु. प्रति इकाई हो तो इकाइयों में समविच्छेद बिंदु (Break-even Point) होगा :–

(A) 60,000 Units (B) 60500 Units
(C) 61000 Units (D) 62500 Units

उत्तर **(D) 62500 Units**

हल B.E.P. in Units = $\frac{\text{Fixed Cost}}{\text{C Per unit}}$

Contribution Per unit = Per unit selling price - Per unit Variable Cost = 8-4 = 4

B.E.P. in Units = $\frac{2,50000}{4}$ = 62500 Units

प्र. 2 यदि स्थायी लागत रु. 80000 हो तथा लाभ मात्रा अनुपात (P/v Ratio) 20% हो तो समविच्छेद बिंदु (Rs. में) होगा :–

(A) Rs. 300000 (B) Rs. 350000
(C) Rs. 380000 (D) Rs. 400000

उत्तर **(D) Rs. 400000**

हल B.E.P. (Rs.) = $\frac{\text{Fixed Cost}}{\text{P/V Ratio}}$

$= \frac{80,000 \times 100}{20}$ = Rs. 4,00,000

प्र. 3 यदि Profit = Rs. 30000, P/V Ratio 45% हो तो सुरक्षा सीमा (margin of safety) होगी :–

(A) Rs. 50000 (B) Rs. 60000
(C) Rs. 65000 (D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर **(D) इनमें से कोई नहीं**

हल Margin of safety = $\frac{\text{Profit}}{\text{P/V Ratio}}$

$= \frac{30000 \times 100}{45}$ = Rs. 66667

प्र. 4 यदि विक्रय राशि Rs. 400000 हो तथा B.E.P. in Rs. 650000 हो तो सुरक्षा सीमा होगी :–

(A) Rs. 250000 (B) Rs. 150000
(C) Rs. 100000 (D) सुरक्षा सीमा नहीं है

उत्तर **(D) सुरक्षा सीमा नहीं है**

हल चूंकि प्रश्न में विक्री की राशि B.E.P. की राशि से कम है। अत: सुरक्षा सीमा नहीं है।

प्र. 5 यदि स्थिर लागत रु. 8000 हो, समविच्छेद बिक्री Rs. 40000 हो तथा अर्जित लाभ Rs. 2000 हो तो P/V Ratio होगा :–

(A) 40% (B) 30%
(C) 25% (D) 20%

उत्तर **(D) 20%**

हल हमें B.E.P. in Rs. दिया है जो कि Rs. 40000 है तथा स्थायी लागत 8000 दी हुई है अत:

B.E.P. in Rs. = $\frac{\text{Fixed Cost}}{\text{P/V Ratio}}$

$40000 = \frac{8000 \times 100}{x}$

$40000x = 800000$

$x = \frac{800000}{40000}$ = 20%

प्र. 6 अंशदान (Contribution) के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है :–

(A) अंशदान सीमांत लागत की धारणा पर आधारित है।
(B) अंशदान में लाभ तथा स्थिर लागत दोनों शामिल होते हैं।
(C) समविच्छेद बिंदु के पश्चात पूरा अंशदान लाभ बन जाता है।
(D) सभी कथन सत्य हैं।

उत्तर **(D) सभी कथन सत्य हैं।**

प्र. 7 सम-विच्छेद विश्लेषण का प्रयोग होता है:–

(A) सम विच्छेद बिंदु की गणना में
(B) सुरक्षा की सीमा ज्ञात करने में
(C) बनाओ या क्रय निर्णय करने में
(D) इन सभी में

उत्तर **(D) इन सभी में**

प्र. 8 लागत-मात्रा-लाभ (Cost-Volume-Profit) विश्लेषण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है :–

(A) लागत-मात्रा-लाभ विश्लेषण प्रबंधकीय निर्णयन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है
(B) लागत-मात्रा-लाभ विश्लेषण के माध्यम से उत्पाद के मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है।
(C) लागत-मात्रा-लाभ विश्लेषण के माध्यम से सम विच्छेद बिंदु ज्ञात किया जाता है।
(D) यह विश्लेषण लाभ नियोजन (Profit & Planning) में उपयोगी नहीं है।

उत्तर **(D) यह विश्लेषण लाभ नियोजन (Profit & Planning) में उपयोगी नहीं है।**

प्र. 9 P/V Ratio के आधार पर B.E.P. निकलेगा :–

(A) केवल रुपयों में
(B) केवल मात्रा में
(C) केवल किलोग्राम में
(D) इन सभी में

उत्तर **(A) केवल रुपयों में**

प्र. 10 सम विच्छेद बिंदु को इकाइयों में निकालने का सूत्र है :–

(A) $\frac{\text{Fixed Cost}}{\text{P/V Ratio}}$

(B) $\frac{\text{Sales}}{\text{P/V Ratio}}$

(C) $\frac{\text{Profit}}{\text{P/V Ratio}}$

(D) $\frac{\text{Fixed Cost}}{\text{Contribution Per unit}}$

उत्तर (D) $\frac{\text{Fixed Cost}}{\text{Contribution Per unit}}$

प्र. 11 स्थायी लागत ज्ञात करने का सूत्र है :–

(A) Fixed Cost = Sales - (Variable Cost + Profit)
(B) Fixed Cost = Sales - B.E.P. Sales
(C) Fixed Cost = 1 - P/v Ratio
(D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर **(A) Fixed Cost = Sales - (Variable Cost + Profit)**

प्र. 12 P/v Ratio ज्ञात करने का सूत्र है :–

(A) $\frac{S-V}{S} \times 100$

(B) 1 - Variable Cost Ratio

(C) $\frac{\text{Fixed Cost + Profit}}{\text{Sales}} \times 100$

(D) उपरोक्त सभी

उत्तर **(D) उपरोक्त सभी**

प्र. 13 निम्न में से कौन सा कथन सत्य है :–

(A) स्थिर लागत को घटाकर सुरक्षा की सीमा को सुधारा जा सकता है।
(B) लाभ-मात्रा अनुपात को विक्रय मूल्य बढ़ाकर सुधारा जा सकता है।
(C) सम विच्छेद बिंदुओं का आशय है = कुल आगम बराबर है कुल लागत के।
(D) सभी कथन सत्य हैं।

उत्तर **(D) सभी कथन सत्य हैं।**

प्र. 14 रोकड़ प्रवाह विवरण (Cash Flow Statement) महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से :–

(A) फर्म की तरलता का विश्लेषण किया जा सकता है।
(B) विभिन्न क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का विश्लेषण किया जा सकता है।
(C) रोकड़ स्थिति का विश्लेषण किया जा सकता है।
(D) इन सभी का विश्लेषण किया जा सकता है।

उत्तर **(D) इन सभी का विश्लेषण किया जा सकता है।**

प्र. 15 ''जो प्रबंध कर सकता है वह किसी का भी प्रबंध कर सकता है।'' यह कथन है :–

(A) एलन (B) जार्ज और टैरी
(C) एफ.डब्ल्यू (D) लोरेन्स एप्पले

उत्तर **(D) लोरेन्स एप्पले**

प्र. 16 ''नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है।'' यह कथन है :–

(A) पीटर एफ. ड्रकर (B) हरबर्ट ए. साइमन
(C) एफ.डब्ल्यू टेलर (D) एलन

उत्तर **(D) एलन**

प्र. 17 ''नियोजन के लिए ऐसा विकल्प चुनना चाहिए जो संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिकाधिक योगदान दे सके यह बात नियोजन के किस सिद्धांत से संबंधित है :–

(A) समय का सिद्धांत
(B) वचनबद्धता का सिद्धांत (Principle of Commitment)
(C) नीति निर्धारण का सिद्धांत
(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर **(D) इनमें से कोई नहीं**

हल यह नियोज्य के वैकल्पिक मार्गों का सिद्धांत (Principle of Alternatives) से संबंधित है।

प्र. 18 निर्णय से संबंधित परिसीमित विवेकता (Bounded Rationality) की अवधारणा दी है :–

(A) पीटर एफ ड्रकर
(B) जार्ज आर टैरी
(C) एलन
(D) हरबर्ट ए. साइमन

उत्तर **(D) हरबर्ट ए. साइमन**

प्र. 19 निम्न में से कौन प्रबंध प्रक्रिया का भाग नहीं है :–

(A) नियोजन (B) संगठन
(C) नियंत्रण (D) विपणन

उत्तर **(D) विपणन**

प्र. 20 निम्न में से कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है :–

(A) सहभागिता का सिद्धांत
(B) नेतृत्व सिद्धांत
(C) उद्देश्य की एकता का सिद्धांत
(D) आवश्यकताओं की क्रमबद्धता का सिद्धांत

उत्तर **(D) आवश्यकताओं की क्रमबद्धता का सिद्धांत**

प्र. 21 संगठन संरचना में निम्न में से कौन से कदम उठाने होते हैं :–

(A) प्रकृति के अनुसार कार्यों का विभाजन
(B) प्रत्येक कार्य को छोटी-छोटी क्रियाओं में समूहबद्ध करना
(C) क्रियाओं के प्रत्येक समूह को योग्य व्यक्ति को सौंपना
(D) ये सभी

उत्तर **(D) ये सभी**

प्र. 22 निम्न में से कौन सा संगठन कार्य सम्पादन एवं लक्ष्य प्राप्ति पर जोर देता है :–

(A) औपचारिक संगठन
(B) अनौपचारिक संगठन
(C) औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन दोनों
(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर **(A) औपचारिक संगठन**

प्र. 23 निम्न में से कौन सा कथन सत्य है :–

(A) औपचारिक संगठन में बॉस अपने अधीनस्थों को आवश्यक आदेश व निर्देश देने का अधिकार रखता है तथा अधीनस्थों से उन आदेश व निर्देशों के पालन करने की अपेक्षा की जाती है।
(B) अनौपचारिक संगठन अनायास ही बन जाता है
(C) अनौपचारिक संगठन में सम्प्रेषण की गति तीव्र होती है
(D) सभी कथन सत्य हैं

उत्तर **(D) सभी कथन सत्य हैं**

प्र. 24 निम्न में से कौन सी प्रक्रिया थर्मोस्टेट (thermo state) की तरह कार्य करती है :–

(A) नियोजन प्रक्रिया (B) संगठन प्रक्रिया
(C) नियंत्रण प्रक्रिया (D) ये सभी

उत्तर **(C) नियंत्रण प्रक्रिया**

प्र. 25 निम्न में से कौन से कदम नियन्त्रण प्रक्रिया में उठाए जाते हैं :–

(A) नियंत्रण मानकों (Standards) का निर्धारण
(B) वास्तविक परिणामों की मानकों से तुलना
(C) सुधारात्मक कदम उठाना
(D) ये सभी

उत्तर **(D) ये सभी**

प्र. 26 नियंत्रण की आधुनिक पद्धतियों में शामिल है :–

(A) प्रबंधकीय अंकेक्षण
(B) बजटरी नियन्त्रण तकनीक
(C) लाभ-लागत विश्लेषण
(D) ये सभी

उत्तर **(D) ये सभी**

प्र. 27 प्रबंध प्रक्रिया की अंतिम अवस्था (Phase) है :–

(A) संगठन (B) अभिप्रेरणा
(C) नेतृत्व (D) नियन्त्रण

उत्तर **(D) नियन्त्रण**

प्र. 28 भरती (Recruitment) के बाह्य स्त्रोत में शामिल है :–

(A) विज्ञापन (B) रोजगार एजेन्सी
(C) शिक्षा संस्थान (D) ये सभी

उत्तर **(D) ये सभी**

प्र. 29 एक संस्था में पदोन्नति (Promotion) के आधार होना चाहिए :–

(A) योग्यता
(B) वरिष्ठता
(C) योग्यता तथा वरष्ठिता
(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर **(C) योग्यता तथा वरष्ठिता**

प्र. 30 मानव संसाधन प्रबंध का कार्यक्षेत्र नहीं है :–

(A) लागत लेखा
(B) वित्तीय लेखा
(C) प्रबंधकीय लेखांकन
(D) ये सभी

उत्तर **(D) ये सभी**

प्र. 31 मानव संसाधन प्रबंध के सिद्धांत में शामिल है:–

(A) अभिप्रेरणा का सिद्धांत
(B) श्रम प्रतिष्ठा का सिद्धांत
(C) समूह भावना का सिद्धांत
(D) ये सभी

उत्तर **(D) ये सभी**

प्र. 32 ''मानव शरीर में जो स्थान स्नायु तंत्र (Nervous System) का है वही स्थान संगठन में सेविवर्गीय प्रबंध का है '' यह कथन है:–

(A) एल्ड्रिक का (B) मार्शल का
(C) डर्क्स का (D) ब्रीच का

उत्तर **(A) एल्ड्रिक का**

प्र. 33 मानव संसाधन प्रबंध का उद्देश्य मधुर संबंध स्थापित करना है -

(A) श्रम एवं प्रक्रिया के मध्य
(B) श्रम एवं मशीन के मध्य
(C) श्रम एवं कार्य के मध्य
(D) श्रम एवं पूंजी के मध्य

उत्तर **(C) श्रम एवं कार्य के मध्य**

प्र. 34 भारार्पण (Delegation) आवश्यक है -

(A) शीघ्र तथा अच्छे निर्णय हेतु
(B) मनोबल में वृद्धि हेतु
(C) अधीनस्थों की प्रेरणा हेतु
(D) उपरोक्त सभी हेतु

उत्तर **(D) उपरोक्त सभी हेतु**

- डॉ. डी.सी. राठी
(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी विषयों पर लेखन करते हैं)

कॅरियर की राहें

बढ़ रहे हैं पर्यटन सेक्टर में कॅरियर के अवसर

'रोज़गार और निर्माण' के पाठकों के लिये 'कॅरियर की राहें' नाम से उपयोगी स्तंभ लगातार प्रकाशित किया जा रहा है। अच्छे कॅरियर के लिये जरूरी है कि युवा कॅरियर की विभिन्न विधाओं से परिचित हों और अपनी रुचि, योग्यता और क्षमताओं के अनुरूप अपने लिये उपयुक्त कॅरियर का निर्धारण करें। पिछले 40 वर्षों से नई पीढ़ी के लिये कॅरियर संबंधी विषयों पर नियमित लेखन कर रहे, डॉ. जयंतीलाल भंडारी युवाओं को कॅरियर के विभिन्न अवसरों से परिचित कराते हुये आगे बढ़ने का मार्गदर्शन दे रहे हैं।

इस समय दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर भारत का पर्यटन उद्योग तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की रिपोर्ट 2019 के अनुसार इस समय भारत में ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री का देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में करीब 6.8 फीसदी का योगदान है। ट्रैवल एवं टूरिज्म के जीडीपी में योगदान के संदर्भ में भारत का दुनिया के 185 देशों में 10वाँ स्थान है, जबकि देश के कुल रोज़गार में पर्यटन क्षेत्र का योगदान 8.78 प्रतिशत है। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशिया में भारत सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। भारत 2028 तक ट्रैवल एंड टूरिज्म की दृष्टि से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दिखाई दे सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर का कारोबार वर्ष 2028 तक करीब 480 अरब डॉलर हो जाने की संभावना रखता है।

वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट से पर्यटन सेक्टर तेजी से बढ़ेगा

गौरतलब है कि 1 फरवरी 2023 को पेश हुए वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित किए जाने की घोषणा से पर्यटन सेक्टर के बढ़ने की गति और तेज होने की संभावना है। पर्यटन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2023-24 के केंद्रीय बजट में 1742 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। साथ ही 2030 तक पर्यटन उद्योग के जरिये 56 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'मिशन मोड में पर्यटन का विकास' विषय पर बजट के बाद आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि नए बजट के तहत भारत में कई स्थानों की नए पर्यटन केंद्रों के रूप में पहचान की गई है और गंतव्य स्थलों के समग्र विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी के मुताबिक सुविधाओं में बढ़ोत्तरी होने से पर्यटकों के बीच पर्यटन के लिए आकर्षण में वृद्धि हुई है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम मंदिर के पुनर्निर्माण से पहले यहां एक साल में लगभग 80 लाख लोग आते थे, लेकिन नवीनीकरण के बाद यहां पिछले साल वर्ष 2022 में पर्यटकों की संख्या 7 करोड़ से अधिक हुई है। केदारघाटी में पुनर्निर्माण का कार्य पूरा होने से पहले यहां आने वाले केवल 4-5 लाख तीर्थयात्रियों की तुलना में पिछले साल 15 लाख श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन करने आए हैं। जैसे-जैसे भारत के पर्यटन स्थलों का विकास हो रहा है और इसकी जानकारी दुनिया को हो रही है। वैसे-वैसे भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। पिछले साल 2022 में जनवरी में आए केवल 2 लाख पर्यटकों की तुलना में इस साल 2023 में जनवरी में 8 लाख विदेशी पर्यटक भारत आए हैं।

टूरिज्म के विभिन्न सेक्टर और उनमें कॅरियर

अब भारत के कई ऐसे बिंदु हैं, जो देश में टूरिज्म के विभिन्न आयामों को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देश में तरह-तरह के जो विभिन्न पर्यटन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इनमें तटीय पर्यटन, समुद्र तट पर्यटन, हिमालय पर्यटन, साहसिक पर्यटन, वन्यजीव पर्यटन, पर्यावरण पर्यटन, विरासत पर्यटन, आध्यात्मिक पर्यटन, विवाह स्थल पर्यटन, खेल पर्यटन, धार्मिक पर्यटन,

सांस्कृतिक विरासत पर्यटन, योग, आयुर्वेद एवं चिकित्सा पर्यटन आदि तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में जिस तेजी से ये विविध पर्यटन बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से इस सेक्टर में कॅरियर के नए-नए अवसर निर्मित होते हुए दिखाई दे रहे हैं।

टूरिज्म में कॅरियर के विभिन्न मौके

टूरिज्म इंडस्ट्री में सरकारी पर्यटन विभाग, इमिग्रेशन एंड कस्टम, ट्रैवल एजेंसीज, एयरलाइंस, टूर ऑपरेटर, होटल, एयरलाइन, कैटरिंग, गाइड, दुभाषिए, टूरिज्म प्रमोशन एवं सेल्स जैसी सेवाएं शामिल होती हैं। इन सभी पर्यटन से जुड़े कार्यों में कॅरियर के मौके बढ़ रहे हैं। इन दिनों टूरिज्म सेक्टर में ट्रैवल कंसलटेंट, टूरिज्म मैनेजर, टूरिज्म रिलेशनशिप मैनेजर, इनबाउंड टूर मैनेजर, टूर एजीक्यूटिव, सेल्स मैनेजर, आउटबाउंड एवं डोमेस्टिक टूर मैनेजर, ट्रैवल काउंसलर, ऑपरेशंस मैनेजर, ट्रैवल बुकिंग एजीक्यूटिव आदि की काफी मांग है। युवा बतौर ट्रैवल एजेंट, टूर गाइड एवं गेस्ट रिलेशन ऑफिसर भी कार्य शुरू कर सकते हैं।

टूरिज्म सेक्टर में कॅरियर की जरूरी स्किल्स

जो युवा टूरिज्म सेक्टर में कॅरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए इस सेक्टर से संबंधित किसी डिग्री-डिप्लोमा के साथ-साथ कुछ विशेष स्किल्स जरूरी हैं। वाकपटुता, मिलन सारिता, प्रकृति, पुरातत्व और यात्रा में रुचि, परिश्रम, नम्रता, अच्छा कम्प्यूटर नॉलेज, हिन्दी, क्षेत्रीय भाषा एवं अंग्रेजी में दक्षता, भौगोलिक ज्ञान, विदेशी मुद्रा विनिमय संबंधी जानकारी इस सेक्टर में कॅरियर के लिए लाभप्रद हैं।

टूरिज्म में कॅरियर से संबंधित विभिन्न कोर्स

टूरिज्म में बैचलर डिग्री कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स करने

हेतु किसी भी विषय समूह से 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। टूरिज्म इंडस्ट्री में फुल टाइम कोर्सेज के अलावा शॉर्ट टर्म कोर्स के विकल्प भी मौजूद हैं। बैचलर कोर्स तीन साल के और पीजी कोर्स दो साल के होते हैं। कई संस्थानों द्वारा सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स भी कराए जाते हैं। टूरिज्म से जुड़े कुछ प्रमुख कोर्स इस प्रकार हैं- बैचलर ऑफ टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ टूरिज्म स्टडीज, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, एमए इन टूरिज्म मैनेजमेंट, टूरिज्म से जुड़े एक वर्षीय शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्स इस प्रकार हैं- एयरलाइन टिकटिंग, एयरलाइन ग्राउंड ऑपरेशंस, ग्राउंड सपोर्ट एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट, गाइडिंग एंड स्कॉटिंग, कार्गो मैनेजमेंट, एयरपोर्ट लॉजिस्टिक मैनेजमेंट आदि। टूरिज्म पीजी डिप्लोमा कोर्स या पीजी स्तर के कोर्स के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक है। इस कोर्स में किसी भी विषय या स्ट्रीम के छात्र दाखिला ले सकते हैं।

टूरिज्म का कोर्स कहां से करें ?

देश और प्रदेश के कोने-कोने में टूरिज्म का कोर्स कराने के लिए सरकारी एवं प्रायवेट सेक्टर में कई संस्थान कार्यरत हैं। आप अपनी उपयुक्तता के अनुरूप किसी अच्छे गुणवत्तापूर्ण संस्थान से टूरिज्म का कोई उपयुक्त कोर्स करके कॅरियर की राह पर आगे बढ़ सकते हैं।

- डॉ. जयंतीलाल भंडारी

(लेखक, कॅरियर मार्गदर्शन के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में प्रतिष्ठित हैं।)

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान - खेल

1. **वर्ष 2023 में किस महिला खिलाड़ी ने मलेशिया ओपन खिताब जीता है?**
(अ) रत्वानोक इंतानोन
(ब) अकाने यामागुची
(स) आन से यंग
(द) कैरोलिना मारिन

2. **वर्ष 2022 में किस रेसर ने ब्रिटिश ग्रांप्री फॉर्मूला-वन रेस जीती थी?**
(अ) कार्लोस सेंज
(ब) मैक्स वर्स्टापेन
(स) लुईस हैमिल्टन
(द) चार्ल्स लेकलर्क

3. **टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं?**
(अ) रॉस टेलर
(ब) केन विलियमसन
(स) स्टीफन लेमिंग
(द) ब्रैंडन मैक्कुलम

4. **उसेन बोल्ट किस खेल के महान खिलाड़ी रह चुके हैं?**
(अ) फुटबॉल (ब) बास्केटबॉल
(स) एथेलेटिक्स (द) फॉर्मूला-वन

5. **इनमें से किस खेल में एक टीम में महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं?**
(अ) नेटबॉल (ब) बास्केटबॉल
(स) लॉन बॉल (द) कॉर्फबॉल

6. **इनमें से किस भारतीय निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक-2012 में कांस्य पदक जीता है?**
(अ) गगन नारंग
(ब) अभिनव बिंद्रा
(स) मानवजीत सिंह संधू
(द) समरेश जंग

7. **क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 या इससे अधिक विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हैं?**
(अ) स्टुअर्ट ब्रॉड (ब) टिम साउथी
(स) मिशेल स्टार्क (द) ड्वेन ब्रावो

8. **फॉर्मूला-वन चैम्पियनशिप के एक सत्र में सबसे ज्यादा रेस जीतने वाले रेसर हैं?**
(अ) माइकल शूमाकर
(ब) लुईस हैमिल्टन
(स) मैक्स वर्स्टापेन
(द) एर्टन सेना

9. **वर्ष 2022 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप में महिला एकल चैम्पियन बनी हैं?**
(अ) ताई जू यिंग
(ब) साइना नेहवाल
(स) चेन यूफेई
(द) अकाने यामागुची

10. **सौरभ चौधरी किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं?**
(अ) तीरंदाजी (ब) मुक्केबाजी
(स) निशानेबाजी (द) स्क्वॉश

11. **वर्ष 2022 में सिनसिनाटी ओपन में महिला एकल वर्ग की चैम्पियन बनी थीं?**
(अ) एश्ले बार्टी
(ब) सिमोना हालेप
(स) बारबोरा क्रेजिकोवा
(द) कैरोलिना गार्सिया

12. **सूर्यकुमार यादव ने किस देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया है?**
(अ) इंग्लैंड (ब) श्रीलंका
(स) बांग्लादेश (द) आयरलैंड

13. **वर्ष 2022 में किस क्लब ने यूएफा चैम्पियंस लीग का खिताब जीता था?**
(अ) बायर्न म्युनिख
(ब) रियल मैड्रिड
(स) लिवरपूल
(द) बार्सिलोना

14. **बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डेन ने कितनी बार ओलिंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता है?**
(अ) दो बार (ब) तीन बार
(स) चार बार (द) इनमें से कोई नहीं

15. **क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कितनी बार बेलोन डि ओर पुरस्कार जीता है?**
(अ) एक बार (ब) तीन बार
(स) चार बार (द) पांच बार

16. **भारत ने इनमें से किस खिलाड़ी की कप्तानी में अंडर-19 वर्ल्डकप नहीं जीता है?**
(अ) मोहम्मद कैफ
(ब) विराट कोहली
(स) ईशान किशन
(द) उन्मुक्त चंद

17. **वर्ष 2006 में किस शहर में एशियाई खेल आयोजित किए गए थे?**
(अ) नई दिल्ली (ब) दोहा
(स) जकार्ता (द) प्योंगचांग

18. **वर्ष 2023 में वर्ल्ड फिगर स्केटिंग चैम्पियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी?**
(अ) अमेरिका (ब) कनाडा
(स) चेक रिपब्लिक (द) जापान

19. **इटली ने किस वर्ष फीफा फुटबॉल वर्ल्डकप नहीं जीता है?**
(अ) वर्ष 1930 (ब) वर्ष 1934
(स) वर्ष 1938 (द) वर्ष 1982

20. **मारिन सिलिक टेनिस में किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं?**
(अ) जर्मनी (ब) क्रोएशिया
(स) कनाडा (द) बेलारूस

21. **भारत में खेला जाने वाला टूर्नामेंट डूरंड कप किस खेल से संबंधित है?**
(अ) क्रिकेट (ब) हॉकी
(स) फुटबॉल (द) बैडमिंटन

22. **इनमें से किस खेल के खेल परिसर को वेलोड्रम कहा जाता है?**
(अ) मुक्केबाजी (ब) साइक्लिंग
(स) आईस स्केटिंग
(द) इनमें से कोई नहीं

23. **टोक्यो ओलिंपिक-2020 में किस देश ने हैंडबॉल खेल में दोनों स्वर्ण पदक जीते हैं?**
(अ) स्पेन (ब) डेनमार्क
(स) फ्रांस (द) नॉर्वे

24. **मनीष कौशिक किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं?**
(अ) हॉकी (ब) शतरंज
(स) बैडमिंटन (द) मुक्केबाजी

25. **वर्ष 2021 में किस खिलाड़ी ने एटीपी फाइनल्स का खिताब जीता था?**
(अ) एलेक्जेंडर ज्वेरेव
(ब) डेनिल मेदवेदेव
(स) एंडी मरे
(द) इनमें से कोई नहीं

उत्तर

1. (ब), 2. (अ), 3. (ब), 4. (स), 5. (द), 6. (अ), 7. (ब), 8. (स), 9. (द), 10. (स), 11. (द), 12. (अ), 13. (ब), 14. (अ), 15. (द), 16. (स), 17. (ब), 18. (द), 19. (अ), 20. (ब), 21. (स), 22. (ब), 23. (स), 24. (द), 25. (अ)

- पुष्पेंद्र कुमार सविता

(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वाले विषयों पर लेखन करते हैं।)

परम वीर चक्र विजेताओं के नाम पर द्वीपों का नामकरण

सशस्त्र बलों के लिए प्रेरणादायक पहल

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पराक्रम दिवस के अवसर पर अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण किया था। परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण करने की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की महान अभूतपूर्व पहल हमारे सशस्त्र बलों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। "रोज़गार और निर्माण" में हम उन 21 परम वीर चक्र विजेताओं की संक्षिप्त जानकारी प्रकाशित कर रहे हैं, जिनके नाम पर द्वीपों का नामकरण किया गया है। इस अंक में हम 10 विजेताओं की जानकारी प्रकाशित कर रहे हैं। आगामी अंक में शेष 11 विजेताओं की जानकारी आपसे साझा की जाएगी। आइये जानते हैं इन वीर सपूतों के संघर्ष और उनके बलिदान के बारे में...

- हर वर्ष 23 जनवरी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है।
- 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 124वीं जयंती पर पराक्रम दिवस घोषित किया गया था।
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए और नेताजी की स्मृति का सम्मान करने के लिए रॉस द्वीप समूह (Ross Islands) का नाम बदलकर 2018 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम पर रखा गया था।

1. मेजर सोमनाथ शर्मा- अंडमान और निकोबार के सबसे बड़े द्वीपों का नामकरण प्रथम परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा गया। 03 नवंबर, 1947 को मेजर सोमनाथ शर्मा की कमांड में 4 कुमाऊं की एक कंपनी को पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा श्रीनगर में हमला करने के पश्चात बडगाम में एक लड़ाकू गश्त पर जाने का आदेश मिला। मेजर सोमनाथ शर्मा ने अटल निश्चय के साथ शत्रु से लड़ाई में अपनी कंपनी का नेतृत्व किया। गोलाबारी करते रहने का निर्देश देते रहे और इसी दौरान उनके नजदीक एक मोर्टार शेल आकर फटा जिससे वे वीरगति को प्राप्त हो गए।

2. मेजर शैतान सिंह- 18 नवंबर, 1962 को बहुत बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों ने उनके ठिकाने पर जबरदस्त हमला किया। मेजर शैतान सिंह इस ऑपरेशन के दौरान पूरी तरह हावी रहे और इस विकट स्थिति में व्यक्तिगत खतरा उठाते हुए एक प्लाटून पोस्ट से दूसरे तक जाकर अपने सैनिकों का मनोबल बनाए रखा। गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद वह अपने सैनिकों को प्रेरित करते हुए उनका नेतृत्व करते रहे। जब उनके सैनिकों ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास किया तो उन्होंने मना कर दिया और अपनी अंतिम सांस तक उन्हें लड़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। उनके इस उत्कृष्ट वीरता, प्रेरक नेतृत्व और सर्वोच्च बलिदान के लिए मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।

3. सूबेदार मेजर सेवानिवृत्त ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव- ऑपरेशन विजय के दौरान अठारहवीं ग्रेनेडियर्स के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव घातक प्लाटून के सदस्य थे जिसे जम्मू कश्मीर के द्रास में टाइगर हिल टॉप पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। 03 जुलाई, 1999 को दुश्मन की भारी गोलाबारी के बीच अपनी टीम के साथ उन्होंने बर्फीली खड़ी चट्टान पर चढ़ाई की और वहां स्थित बंकर को ध्वस्त कर दिया जिससे प्लाटून उस खड़ी चट्टान पर चढ़ने में कामयाब हो गई। अदम्य साहस और सर्वोच्च कोटि के शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।

4. नायक जदुनाथ सिंह- राजपूत रेजीमेंट के नायक जदुनाथ सिंह जम्मू और कश्मीर में नौशेरा के नजदीक तैन धार में चौकी कमांडर थे। 06 फरवरी, 1948 को शत्रु सेनाओं ने उनकी चौकी पर एक के बाद एक हमला करना शुरू कर दिया। वे और उनकी टुकड़ी शत्रु द्वारा लगातार किए गए तीन हमलों से अपनी चौकी को बचाने में कामयाब रहे। तीसरे हमले के अंत तक चौकी पर मौजूद 27 जवानों में से 24 जवान शहीद अथवा घायल हो चुके थे। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, उन्होंने अकेले ही शत्रुओं का सामना किया। इस उत्कृष्ट शौर्य और सर्वोच्च बलिदान के लिए नायक जदुनाथ सिंह को मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।

5. लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे- ऑपरेशन विजय के दौरान 11 गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन के लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को जम्मू-कश्मीर के बटालिक में खालूबार रिज को दुश्मनों से खाली कराने का काम सौंपा गया। 03 जुलाई, 1999 को उनकी कंपनी जैसे ही आगे बढ़ी दुश्मन ने उन पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। उन्होंने निडरतापूर्वक दुश्मन पर आक्रमण कर चार सैनिकों को मार डाला और दो बंकर तबाह कर दिए। कंधे और पैरों में जख्म होने के बावजूद वे पहले बंकर के निकट पहुंचे और भीषण मुठभेड़ में दो अन्य सैनिकों को मारकर बंकर खाली करा दिया। उनके अदम्य साहस से प्रोत्साहित होकर उनके सैनिकों ने दुश्मन पर हमला जारी रखा और अंततः पोस्ट पर कब्जा कर लिया। अत्यंत उत्कृष्ट शौर्यपूर्ण कारनामे का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान करने के लिए लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।

6. लांस नायक अल्बर्ट एक्का- 1971 के भारत-पाक युद्ध में गंगासागर में दुश्मन के प्रतिरक्षा ठिकानों पर आक्रमण के दौरान लांस नायक अलबर्ट एक्का चौदहवीं गार्ड्स की अग्रवर्ती कंपनी में तैनात थे। 04 दिसंबर, 1971 को लांस नायक एक्का ने देखा कि दुश्मन की मशीनगन की गोलीबारी से उनकी कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की पूरी तरह उपेक्षा करते हुए उन्होंने दुश्मन के बंकर पर धावा बोल दिया और शत्रु के दो सैनिकों को संगीन से मारकर एलएमजी को शांत कर दिया। अचानक एक इमारत से मीडियम मशीनगन से गोलीबारी होने लगी। बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद वे रेंगते हुए आगे बढ़े और हथगोला फेंककर एक सैनिक को मार डाला। एमएमजी से गोलीबारी जारी थी लेकिन लांस नायक एक्का ने उत्कृष्ट वीरता का प्रदर्शन करते हुए बंकर में प्रवेश किया और दुश्मन को मार गिराया। इस तरह उन्होंने आक्रमण की सफलता सुनिश्चित की। उत्कृष्ट वीरता, दृढ़ निश्चय और उच्च कोटि के शौर्य के लिए लांस नायक अलबर्ट एक्का को मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।

7. मेजर होशियार सिंह- 15 दिसंबर, 1971 को भारत-पाक युद्ध के दौरान मेजर होशियार सिंह तीसरी ग्रेनेडियर्स की एक कंपनी की कमान संभाले हुए थे और उन्हें जरपाल में दुश्मन के एक ठिकाने पर कब्जा करने का आदेश मिला। हमले के दौरान उनकी कंपनी पर भीषण गोलाबारी हुई। दुश्मन ने जवाबी कार्रवाई में एक के बाद एक कई आक्रमण किए। घायल होने के बावजूद वे एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक कार्रवाई करते हुए अपने सैनिकों को प्रेरित करते रहे और दुश्मनों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया। हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया और दुश्मन वहां से भाग खड़े हुए। उनके निर्भीक नेतृत्व और अदम्य युद्ध की क्षमता के लिए मेजर होशियार सिंह को परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।

8. नायब सूबेदार बाना सिंह- 26 जून, 1987 को जम्मू एवं कश्मीर लाइट इंफेंट्री की आठवीं बटालियन के नायब सूबेदार बाना सिंह स्वेच्छा से उस कार्यबल में शामिल हुए जिसे 21,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन द्वारा सियाचिन ग्लेशियर में पाक सेना के कब्जे में कायद चौकी को छुड़ाने का कार्य सौंपा गया था। सियाचिन की भयंकर जलवायु के साथ तीव्र बर्फीले तूफान, -50° सेल्सियस के लगभग तापमान और ऑक्सीजन की कमी जीवित रहने के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। नायब सूबेदार बाना सिंह और उनके जवानों ने शून्य दृश्यता की स्थितियों में जोखिमपूर्ण मार्ग से बर्फ की 457 मीटर ऊंची दीवार पर चढ़ाई की, चोटी पर पहुंचे और हथगोले फेंककर दुश्मन के बंकर को ध्वस्त कर दिया। अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में असाधारण शौर्य और नेतृत्व का प्रदर्शन करने के लिए नायब सूबेदार बाना सिंह को परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।

9. सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल- 16 दिसंबर, 1971 को भारत-पाक युद्ध के दौरान पूना हॉर्स 'ए' स्क्वाड्रन के सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल मदद के आकस्मिक आह्वान पर शकरगढ़ सेक्टर में 'बी' स्क्वाड्रन की मदद के लिए बढ़े। मजबूत ठिकानों और आरसीएल गन वाले मोर्चों से उनके टैंकों पर भारी गोलाबारी की गई। दुश्मन के आक्रमण को विफल करते हुए वे 'बी' स्क्वाड्रन के पास पहुंचे और दुश्मन के साथ घमासान युद्ध में शामिल हो गए। इस युद्ध में शत्रु के दस टैंक ध्वस्त हो गए जिसमें से चार टैंकों को स्वयं सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने ध्वस्त किया। इस कार्रवाई में वे बुरी तरह से घायल हो गए और उन्हें पीछे हटने का आदेश दिया गया परंतु उन्होंने आदेश को मानने से मना कर दिया। उनके सेंचुरियन टैंक 'फामागुस्ता' पर दुश्मन का दूसरा गोला गिरने और उनके वीरगति को प्राप्त होने से पूर्व उन्होंने शत्रु के एक और टैंक को ध्वस्त कर दिया। असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने के लिए सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।

10. सूबेदार और मानद कप्तान (तत्कालीन लांस नायक) करम सिंह- 13 अक्टूबर 1948 को 1 सिख रेजीमेंट के लांस नायक करम सिंह जम्मू-कश्मीर की रिचमर गली में एक टुकड़ी की कमान संभाले हुए थे। दुश्मन ने बंदूकों और मोर्टारों से भारी गोलाबारी द्वारा हमला शुरू किया जिससे पोस्ट के सभी बंकर बर्बाद हो गए। बुरी तरह घायल और लहूलुहान होते हुए भी लांस नायक करम सिंह एक से दूसरे बंकर में जाकर अपने साथियों की मदद करते रहे और उन्हें लड़ने के लिए प्रेरित करते रहे। अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में उत्कृष्ट साहस और अदम्य शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए लांस नायक करम सिंह को परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।

- रश्मि रंजन
(लेखिका, समसामयिक विषयों पर लेखन करती हैं।)

ग्रामीण भारत की नवीन जल संग्रहण संरचना हैं अमृत सरोवर

जल और जीवन का अमिट संबंध है, जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। वैश्विक स्तर पर जल आधारित चिन्तन-मनन जारी है कि आगामी समय में जल की उपलब्धता, संरक्षण, संग्रहण, नवीन जल संरचनाओं के निर्माण हेतु किन-किन उपायों को अपनाया जाए जिससे मानव जीवन संरक्षित रहे। पर्यावरण असंतुलन, कम वर्षा, जंगलों की लगातार कमी, वायु प्रदूषण आदि ज्वलंत समस्याएं जल तत्व की महत्वता को प्रभावित करती हैं। भारतीय संस्कृति में जल पूज्यनीय है। हमारे देश में नदियों को "माँ" संबोधित किया जाता है। जीवनदायिनी माना जाता है। सरिताओं की अपनी-अपनी सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्वता है। 'नर्मदाजी' को मध्यप्रदेश की जीवनरेखा कहा जाता है। गुजरात में भी नर्मदा नदी का विशेष महत्व है।

आर्थिक दृष्टिकोण से जल (नदियों) की अहम भूमिका है। वर्षा के जल को संरक्षित करने हेतु प्राचीनकाल से राजाओं के द्वारा कूप, नहरें, बावड़ियां, झीलें, जलाशय, तालाब आदि का निर्माण कराया जाता था, जो वर्षभर पेयजल के उपयोग तथा राज्य की प्रजा एवं पशुओं के उपयोगार्थ होता था। कृषि हेतु मुख्यतः नदियों की महत्ता होती है, जो प्रकृति की देन है। नदियों के जल को संरक्षित करने की पुरातन व्यवस्था रही है। जल संरचनाओं का निर्माण एवं जल संरक्षण के सुखद परिणाम रहे हैं, आज भी कई प्राचीन जल संरचनाएं प्रेरणास्पद हैं एवं प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ ऐतिहासिक धरोहर के रूप में देखी जा सकती हैं।

हम स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के रूप में 'आजादी का अमृत महोत्सव' मना रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी ने जल की महत्ता को रेखांकित करते हुए एक जनकल्याणकारी विचार व्यक्त किया- प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण किया जाए, जिसका क्रियान्वयन माह अप्रैल-2022 से मनरेगा योजनान्तर्गत किया जा रहा है, जो निश्चित तौर पर स्थानीय आमजन के हितार्थ बहुत उपयोगी है। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर अमृत सरोवर एक नवीन जल संरचना के रूप में विकसित की जा रही है, जो जल संग्रहण का स्थाई साधन होने के साथ-साथ ग्राम की धरोहर के रूप में भी अपना स्थान रखती है।

अमृत सरोवर का चयन तकनीकी दृष्टिकोण के साथ-साथ स्थानीय जनता की सहमति से किया जाता है। मुख्य मार्ग से सरोवर स्थल तक मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है। मुख्य

मार्ग पर सूचना पटल लगाया जाता है, जिसमें सरोवर स्थल की दूरी, नाम एवं अन्य तकनीकी की जानकारी अंकित होती है। बरसात के पानी के लिए अतिरिक्त जल भरण हेतु अन्य साधन विकसित करना, कृषि उत्पादन में सहयोग, बुनियादी लक्ष्य है। सरोवर निर्माण से स्थानीय जनता को एक ओर जहां जल संग्रहण हेतु एक वृहद् संरचना प्राप्त हो रही है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय आधार पर रोज़गार के साधन भी उपलब्ध हो रहे हैं। जैसे- सिंघाड़ा उत्पादन, मछली उत्पादन, पर्यटन आदि गतिविधियां, स्व-सहायता समूह के माध्यम से संचालित हैं। अमृत सरोवर के दोनों ओर किनारों पर तीन कतारों में वृक्षारोपण कार्य किया जाता है। प्रथम कतार में शोभादार वृक्ष, द्वितीय कतार में फलदार वृक्ष एवं तृतीय कतार में छायादार वृक्षों का रोपण सम्मिलित है, जो प्राकृतिक सुन्दरता के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण हेतु सहायक है।

अमृत सरोवर निर्माण लागत में मनरेगा के साथ-साथ अन्य योजनाओं की राशि का अभिशरण जैसे- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, 15वें वित्त आयोग की राशि, कॉरपोरेट, सोशल रिस्पोंसिबिलिटी, सांसद निधि, विधायक निधि आदि वित्तीय संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है, साथ ही जल उपयोगकर्ता समूह द्वारा प्रदान किए जाने वाले योगदान जैसे- सामग्री, धनराशि, मशीनें, ईंधन, श्रम आदि का निर्धारण कर इनका भी उपयोग किया जा सकता है। अमृत सरोवर की न्यूनतम जल भण्डारण क्षमता 10,000 घनमीटर निर्धारित की गई है। मध्यप्रदेश में 3900 (प्रत्येक जिले में 75) का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसके विरुद्ध 33 प्रतिशत अधिक (5224 अमृत सरोवर निर्माण) के कार्य प्रारंभ किए गए, जिनकी लागत राशि 1005 करोड़ रुपये है। 68.12 प्रतिशत (2657 अमृत सरोवरों का) निर्माण पूर्ण हो गया है, जिस पर रुपये 438.48 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं। शेष अमृत सरोवर प्रगतिरत् हैं (दिनांक 20.02.2023 की स्थिति में)।

ग्रामीण विकास में अमृत सरोवर की सराहनीय भूमिका परिलक्षित होती है। एक ओर जहां ग्राम में एक बहुपयोगी जल संरचना का निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से जलस्तर में वृद्धि होना, कृषि उत्पादकता में सहयोग, स्थानीय आधार पर रोज़गार की उपलब्धता सुनिश्चित होना है, जो अमृत सरोवर की प्रासंगिकता को व्यक्त करती है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पूरे देश में अमृत सरोवरों का निर्माण प्रधानमंत्री की जल समृद्धि हेतु मानवीय कल्याण की भावना को व्यक्त करता है, साथ ही ग्रामीण भारत की प्रगति में अपनी महत्ता व्यक्त करता है।

- डॉ. वेदप्रकाश पाराशर
(लेखक, सहायक लेखाधिकारी मनरेगा परिषद् हैं)

खेल चर्चा

एशियन कुश्ती चैम्पियनशिप में हिस्सा लेंगे 30 पहलवान

अस्ताना, कजाखस्तान में आयोजित होने वाली एशियन कुश्ती चैम्पियनशिप में भारत के 30 पहलवान हिस्सा लेंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ और देश के शीर्ष पहलवानों के बीच विवाद के बीच खेल मंत्रालय द्वारा गठित निगरानी समिति की देखरेख में हुए ट्रायल में पहलवानों का चयन किया गया। चैम्पियनशिप के लिए ट्रायल के जरिए फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन और महिला वर्ग में 10-10 पहलवानों सहित 30 पहलवानों का चयन किया गया है। इस चैम्पियनशिप में दीपक पूनिया, अंशु मलिक, सरिता मोर और सोनम मलिक जैसी दिग्गज पहलवान भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।

दक्षिण अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज को 2-0 से हराया

जोहानिसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच खेली गई दो मैचों की टेस्ट सीरीज को दक्षिण अफ्रीका ने 2-0 से अपने नाम कर लिया है। दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज के दूसरे और अंतिम मैच में वेस्टइंडीज को 284 रनों से हराया। मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में एडेन मार्क्रम (96) और टोनी डि जॉर्जी (85) की शानदार पारियों की बदौलत 320 रन बनाये। इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 251 रन ही बना सकी। दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने 172 रनों की शतकीय पारी खेली, जिसके चलते दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में 321 रन बनाये और वेस्टइंडीज को जीत के लिए 391 रनों का लक्ष्य दिया। इस विशाल लक्ष्य के जवाब में वेस्टइंडीज की टीम बिखर गई और महज 106 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई।

अकाने यामागुची ने जीता जर्मन ओपन खिताब

मल्हेम, जापान की अनुभवी महिला खिलाड़ी अकाने यामागुची ने जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग के फाइनल में यामागुची ने दक्षिण कोरिया की युवा खिलाड़ी आन से यंग को 21-11, 21-14 से हराया। यामागुची ने चौथी बार ये टूर्नामेंट जीता है। यामागुची ने वर्ष 2017, 2018 और 2019 में भी ये खिताब जीता है।

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शॉन मार्श ने किया संन्यास का ऐलान

सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज शॉन मार्श ने घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 30 वर्षीय शॉन ने कहा कि वे प्रथम श्रेणी और वन-डे क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। वे अब सिर्फ ट्वेंटी-20 क्रिकेट खेलेंगे। शॉन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 38 टेस्ट मैचों में 2265 रन, 73 वन-डे अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 2773 रन और 15 ट्वेंटी-20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 255 रन बनाये हैं। शॉन ने टेस्ट में 6 और वन-डे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 7 शतक भी बनाये हैं। शॉन मार्श ने जून 2008 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था। उन्होंने आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच आईसीसी वन-डे विश्वकप 2019 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था। शॉन मार्श घरेलू क्रिकेट में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिये खेलते हैं।

भारत ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में बनाई जगह

अहमदाबाद, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में खेला गया टेस्ट मैच ड्रॉ होने के बावजूद भारत ने इस वर्ष जून माह में खेले जाने वाले आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने चार मैचों की टेस्ट सीरीज (बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी) 2-1 से जीती है।

- **भारत ने लगातार दूसरी बार आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में जगह बनाई है।**
- **भारत ने लगातार चौथी बार बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी जीती है।**
- **भारत ने वर्ष 2017 और 2021 में ऑस्ट्रेलिया में और वर्ष 2019 में भारत में जीती है ये ट्रॉफी।**
- **भारतीय टीम ने घरेलू सरजमीं पर लगातार 16वीं टेस्ट सीरीज जीती है।**

अहमदाबाद में खेले गए सीरीज के चौथे और अंतिम मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। ऑस्ट्रेलिया को सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा और ट्रेविस हेड ने मजबूत शुरुआत दिलाई और पहले विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी की। हेड ने 32 रन बनाये। भारतीय गेंदबाजों ने मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ और पीटर हैंड्सकॉम्ब को जल्दी आउट कर मैच में वापसी की। इसके बाद ख्वाजा ने कैमरन ग्रीन के साथ पांचवें विकेट के लिए 208 रनों की साझेदारी की। ख्वाजा ने 180 रन बनाये, वहीं ग्रीन ने 114 रनों की पारी खेली। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहली पारी में 480 रन बनाये।

पहली पारी में भारतीय टीम की शुरुआत भी शानदार रही। रोहित शर्मा (35) और शुभमन गिल (128) ने पहले विकेट के लिए 74 रन जोड़े। शुभमन के बाद विराट कोहली भी पुराने रंग में नजर आये। विराट ने रवींद्र जडेजा (28), केएस भरत (44) और अक्षर पटेल (79) के साथ मिलकर भारत को विशाल स्कोर तक पहुंचाया। विराट ने वर्ष 2019 के बाद टेस्ट क्रिकेट में शतक जमाया और 186 रनों की बेहतरीन पारी खेली। भारतीय टीम ने पहली पारी में 571 रन बनाये।

पहली पारी में 91 से पिछड़ने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दूसरी पारी में भी बढ़िया बल्लेबाजी की। ट्रेविस हेड (90) और मार्नस लाबुशेन (63) ने अर्धशतकीय पारियां खेलीं। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में दो विकेट खोकर 175 रन बनाकर पारी घोषित की। मैच में परिणाम निकलने की संभावना खत्म होने पर दोनों टीम के कप्तान मैच को ड्रॉ करने पर सहमत हो गए।

भोपाल में होगी इंडोर रेंज निशानेबाजी चैम्पियनशिप

भोपाल, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बाद अब मध्यप्रदेश अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप की मेजबानी के लिए तैयार है। मध्यप्रदेश राज्य निशानेबाजी अकादमी भोपाल में 20 से 27 मार्च तक आईएसएसएफ विश्वकप रायफल/पिस्टल निशानेबाजी चैम्पियनशिप का आयोजन करेगा। इंडोर रेंज में आयोजित होने वाली ये देश की पहली निशानेबाजी चैम्पियनशिप है। इस चैम्पियनशिप में 33 देशों के 325 खिलाड़ी और 75 ऑफिशियल्स शामिल होंगे। इस चैम्पियनशिप का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय रायफल महासंघ (एनआरएआई) नई दिल्ली के तकनीकी सहयोग से किया जा रहा है।

बांग्लादेश ने ट्वेंटी-20 में इंग्लैंड को किया क्लीन स्वीप

मीरपुर, बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने ट्वेंटी-20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बड़ा उलटफेर करते हुए मौजूदा विश्व चैम्पियन इंग्लैंड को ट्वेंटी-20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया है। बांग्लादेश ने सीरीज के तीसरे और अंतिम मैच में इंग्लैंड को 16 रन से हराया। मैच में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 2 विकेट खोकर 158 रन बनाये। बांग्लादेश के लिए लिटन दास ने सबसे ज्यादा 73 रन बनाये। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 6 विकेट खोकर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड के लिए डेविड मलान ने 53 और कप्तान जोस बटलर ने 40 रन की पारी खेली, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। इससे पहले बांग्लादेश ने पहला मैच 4 विकेट और दूसरा मैच 6 विकेट से जीता था।

भारत ने एफआईएच प्रो लीग में विश्व चैम्पियन जर्मनी को हराया

राउरकेला, एफआईएच प्रो लीग में भारतीय हॉकी टीम का बेहतरीन प्रदर्शन जारी है। भारत ने टूर्नामेंट में हॉकी की विश्व चैम्पियन जर्मनी को लगातार दो बार हराया है। भारत ने जर्मनी को दूसरे मैच में 6-3 से हराया। इस जीत के साथ भारत अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है।

मैच में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। जर्मनी की टीम ने मैच के तीसरे मिनट में टॉम ग्राहमबुश के गोल के जरिए बढ़त बना ली थी। पहले क्वार्टर तक जर्मन टीम 1-0 से आगे थी। दूसरा क्वार्टर भारत के नाम रहा। भारत के लिए पहला गोल 21वें मिनट में जुगराज ने और दूसरा गोल 22वें मिनट में अभिषेक ने किया। मैच के 23वें मिनट में गोंजालो पिलेट ने गोल कर मैच में वापसी की कोशिश की, लेकिन 24वें मिनट में सेल्वन कार्थी ने और 26वें मिनट में हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर भारत को 4-2 से आगे कर दिया।

मैच के तीसरे क्वार्टर में मेल्टे हेलविग ने 31वें मिनट में गोल किया। इसके बाद दोनों टीमों ने गोल करने के कई प्रयास किए। चौथे क्वार्टर में भारतीय टीम ने एक बार फिर शानदार खेल दिखाया और जर्मन टीम को पूरी तरह धो दिया। मैच के 46वें मिनट में कार्थी ने और 51वें मिनट में अभिषेक ने गोल करके भारत की जीत सुनिश्चित कर दी। भारत ने यह मैच 6-3 से अपने नाम किया।

मैक्स वर्स्टापेन ने जीती फॉर्मूला-वन सत्र की पहली रेस

साखिर, पिछले बार के फॉर्मूला-वन चैम्पियन मैक्स वर्स्टापेन ने इस वर्ष जीत के साथ शुरुआत की है। रेडबुल टीम के रेसर वर्स्टापेन ने बहरीन ग्रांप्री फॉर्मूला-वन रेस का खिताब अपने नाम किया है। वर्स्टापेन ने 57 लैप की रेस को एक घंटा 33 मिनट 56.736 सेकेंड में पूरा किया।

रेस में वर्स्टापेन के टीम साथी सर्जियो पेरेज दूसरे, फर्नांडो अलोंसो तीसरे, कार्लोस सेंज चौथे और पूर्व विश्व चैम्पियन लुईस हैमिल्टन पांचवें स्थान पर रहे। वर्स्टापेन ने प्रैक्टिस रेस में शानदार प्रदर्शन करते हुए मुख्य रेस में पोल पोजिशन हासिल की। रेस के दौरान वर्स्टापेन पूरे समय आगे रहे। वर्स्टापेन ने अंतिम लैप में सभी रेसरों को काफी पीछे छोड़कर आसानी से जीत दर्ज की। बहरीन ग्रांप्री रेस को जीतने पर वर्स्टापेन को 25 अंक मिले हैं। इस रेस के साथ ही रेसरों के बीच ड्राइवर्स चैम्पियनशिप की दौड़ भी शुरू हो गई है, जिसमें वर्स्टापेन ने शुरुआती बढ़त बना ली है।

- **मैक्स वर्स्टापेन ने दो बार वर्ष 2021 और 2022 में जीती है फॉर्मूला-वन चैम्पियनशिप।**
- **माइकल शूमाकर और लुईस हैमिल्टन सबसे ज्यादा 7-7 बार बने हैं चैम्पियन।**
- **वर्स्टापेन के नाम एक सत्र में सबसे ज्यादा 15 रेस जीतने का रिकॉर्ड दर्ज है।**

न्यूजीलैंड ने आखिरी गेंद पर जीता टेस्ट मैच

क्राइस्टचर्च, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच क्राइस्टचर्च में खेला गया टेस्ट मैच बेहद रोमांचक रहा। न्यूजीलैंड ने इस मैच में आखिरी गेंद पर दो विकेट से जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड की इस जीत ने विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप में भारत की जगह पक्की कर दी।

मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 355 रन बनाये। श्रीलंका के लिए कप्तान दिमुथ करूणारत्ने (50) और कुशल मेंडिस (87) ने अर्धशतकीय पारी खेली। न्यूजीलैंड के लिए टिम साउथी ने 5 और मैट हेनरी ने 4 विकेट लिये। इसके जवाब में पहली पारी में न्यूजीलैंड की टीम लड़खड़ा गई थी, टीम के 5 विकेट 151 के स्कोर तक आउट हो गए थे। इसके बाद डेरिल मिशेल (102) और मैट हेनरी (72) ने पारी को संभाला और न्यूजीलैंड को 373 के स्कोर तक पहुंचाया।

- **टेस्ट क्रिकेट में दूसरी बार किसी टीम ने आखिरी गेंद पर जीत हासिल की है।**
- **इससे पहले वर्ष 1948 में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को आखिरी गेंद पर हराया था।**
- **केन विलियमसन ने टेस्ट क्रिकेट की चौथी पारी में चौथी बार शतक बनाया है।**

दूसरी पारी में श्रीलंका के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों ने खराब प्रदर्शन किया। इसके बाद एंजेलो मैथ्यूज ने (115) शतकीय पारी खेली और निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर टीम को 302 रन तक पहुंचाया। श्रीलंका ने न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 285 रनों का लक्ष्य रखा। मैच के आखिरी दिन इस लक्ष्य को बेहद मुश्किल माना जा रहा था। न्यूजीलैंड को लक्ष्य तक पहुंचाने का दारोमदार कप्तान केन विलियमसन ने संभाला। विलियमसन ने नाबाद 121 रन बनाये। विलियमसन का साथ डेरिल मिशेल ने निभाया। मिशेल ने दूसरी पारी में 81 रन बनाये और विलियमसन के साथ 142 रनों की साझेदारी की।

अंतिम समय में तेजी से रन बनाने के चलते न्यूजीलैंड की टीम ने लगातार विकेट गंवाये। लेकिन विलियमसन ने हार नहीं मानी और अपनी टीम को जीत दिलाकर ही लौटे। न्यूजीलैंड ने मैच की आखिरी गेंद पर बाइ के जरिए रन लिया और जीत दर्ज की।

हैरी ब्रूक चुने गए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ

दुबई, इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज हैरी ब्रूक को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने फरवरी माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। ब्रूक ने भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और वेस्टइंडीज के गेंदबाज गुडाकेश मोती को पछाड़कर यह पुरस्कार हासिल किया है। ब्रूक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। ब्रूक पाकिस्तान के बाबर आजम के बाद दो बार प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की एश्ले गार्डनर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई हैं। आईसीसी ने कहा कि फरवरी माह के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के नतीजे दिसम्बर 2022 के समान हैं। तब भी ब्रूक और गार्डनर अपने-अपने वर्ग में विजेता बनी थीं।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

सामयिकी

सऊदी अरब और ईरान के बीच हुई डील

मीडिल ईस्ट में इन दिनों काफी हलचल है। ईरान और सऊदी अरब ने जब से हाथ मिलाया है तब से ही क्षेत्र में काफी

हंगामा है। दोनों देश जो एक-दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, अब दूतावास को खोलकर संबंधों को बहाल करने की तैयारी में हैं। ईरान और सऊदी अरब के बीच हुए इस समझौते को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बड़ा झटका करार दिया जा रहा है। नेतन्याहू अक्सर सार्वजनिक तौर पर ईरान को एक बड़ा खतरा करार देते हैं। वह हमेशा इस बात को दोहराते आए हैं कि ईरान राजनयिक प्राथमिकताओं और व्यक्तिगत धर्मयुद्ध के लिए बड़ा खतरा है।

चीन में हुई वार्ता के बाद ईरान और सऊदी अरब ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। एक साल तक चीन ने इस रिश्ते के लिए कोशिशें की थीं। दोनों देशों के बीच हुई इस डील को इजरायल की आंतरिक राजनीति के लिए भी बड़ा झटका करार दिया जा रहा है।

आईआईटी धारवाड़ राष्ट्र को समर्पित

प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का किया लोकार्पण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हुबली-धारवाड़, कर्नाटक में प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास

- **धारवाड़ बहु-ग्राम जलापूर्ति योजना की आधारशिला रखी गई।**
- **हम्पी स्मारकों के समान डिजाइन किए गए पुनर्विकसित होसपेटे स्टेशन का भी किया गया लोकार्पण।**

किया। आईआईटी धारवाड़ के अलावा दुनिया के सबसे लंबे (1507 मीटर) रेलवे स्टेशन सिद्धारूढ़ा स्वामीजी हुबली स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया गया। साथ ही, क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए होसपेटे-हुबली-तीनाईघाट खंड के विद्युतीकरण और होसपेटे स्टेशन के उन्नयन कार्य का भी लोकार्पण किया गया। प्रधानमंत्री ने हुबली-धारवाड़ स्मार्ट सिटी की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। उन्होंने जयदेव हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, धारवाड़ बहु-ग्राम जलापूर्ति योजना और तुपरिहल्ला फ्लड डैमेज कंट्रोल प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखी।

उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि धारवाड़ में आईआईटी के नये परिसर से जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुगम होगी, वहीं बेहतर भविष्य के लिए युवा प्रतिभाएं तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि नया आईआईटी परिसर कर्नाटक की विकास

यात्रा के इतिहास में एक नया अध्याय लिख रहा है। उन्होंने धारवाड़ आईआईटी परिसर की उच्च तकनीकी सुविधाओं का उल्लेख किया और कहा कि यह प्रेरणा के स्रोत के रूप में कार्य करेगा जो संस्थान को दुनिया के अन्य प्रमुख संस्थानों के समान ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आईआईटी-धारवाड़ परिसर को वर्तमान सरकार की 'संकल्प से सिद्धि' (अर्थात संकल्पों द्वारा उपलब्धि) की भावना का एक प्रमुख उदाहरण बताते हुए प्रधानमंत्री ने फरवरी 2019 में इसकी आधारशिला रखने के अवसर को याद किया और इसके महज 4 साल की अवधि के भीतर पूरा होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का भारत अपने शहरों को आधुनिक बनाकर आगे बढ़ रहा है। प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और बेहतर शासन हुबली-धारवाड़ क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। प्रधानमंत्री ने श्री जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च पर कर्नाटक के लोगों के भरोसे का उल्लेख किया, जो बेंगलुरु, मैसूरु और कलबुर्गी में सेवाएं दे रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत 1000 करोड़ रुपये से अधिक की एक योजना का शिलान्यास किया गया है, जहां रेणुका सागर जलाशय और मलप्रभा नदी का पानी नल के माध्यम से 1.25 लाख से अधिक घरों में पहुंचाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि धारवाड़ में नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तैयार होने से पूरे जिले के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने तुपरिहल्ला बाढ़ क्षति नियंत्रण परियोजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में बाढ़ से होने वाले नुकसान में कमी आएगी।

प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि कर्नाटक ने कनेक्टिविटी के मामले में एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया है क्योंकि सिद्धारूढ़ स्वामीजी स्टेशन अब दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। उन्होंने बताया कि यह सिर्फ एक प्लेटफॉर्म का रिकॉर्ड या विस्तार नहीं है बल्कि यह उस सोच को आगे बढ़ा रहा है जो बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देती है। उन्होंने यह भी कहा कि होसपेटे-हुबली-तीनाईघाट खंड का विद्युतीकरण और होसपेटे स्टेशन का उन्नयन इस विजन पर जोर देता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस मार्ग से बड़े पैमाने पर उद्योगों के लिए कोयले की ढुलाई होती है और इस लाइन के विद्युतीकरण के बाद डीजल पर निर्भरता कम होगी, जिससे इस प्रक्रिया में पर्यावरण का संरक्षण होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन प्रयासों से क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति मिलेगी और साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अपने संबोधन को समाप्त करते हुए, प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की पहचान भारत के तकनीक के भविष्य को और आगे ले जाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, कर्नाटक हाईटेक भारत का इंजन है।

अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में

परमाणु संचालित पनडुब्बी को लेकर हुआ करार

अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने परमाणु-संचालित पनडुब्बी को लेकर एक बड़े सौदे की घोषणा की है। यह घोषणा तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने सैन डिएगो में एक शिखर बैठक में भाग लेने के बाद की है।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सैन डिएगो में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ इस डील पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया को मजबूत बनाएंगे और डील के तहत ऑस्ट्रेलियाई कर्मचारियों को बुलाकर ट्रेनिंग देंगे। तीनों नेताओं ने डील के बाद कहा कि ये फैसला केवल हिंद-प्रशांत क्षेत्र को 'मुक्त और खुला' रखने के लिए है। ऑस्ट्रेलिया कई परमाणु-संचालित पनडुब्बी अमेरिका से खरीदेगा। इसी के साथ AUKUS डील के तहत ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन के साथ पनडुब्बियां बनाएगा जो नई तकनीक के साथ विकसित होंगी। डील के तहत 2030 के दशक की शुरुआत में, अमेरिका 50 अरब डॉलर की कीमत पर तीन वर्जीनिया-श्रेणी की पनडुब्बियों को ऑस्ट्रेलिया को बेच देगा।

थाईलैंड में

वायु प्रदूषण से हालात हुये बेहद खराब

थाईलैंड में वायु प्रदूषण अपने चरम पर है। प्रदूषण के कारण आसमान में धुंध की चादर फैली हुई है। लोग जहरीली हवाओं में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। देश में वायु प्रदूषण से हालत इतने खराब हैं कि एक सप्ताह में लगभग 2 लाख लोग बीमार हो गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं बैंकॉक भी हानिकारक धुंध में डूबा हुआ है।

साल के आरंभ से अब तक 1.3 मिलियन लोग हुए बीमार

थाईलैंड अनुमानित 11 मिलियन लोगों का घर और दुनिया के सबसे

लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। लेकिन वाहनों के धुएं, औद्योगिक उत्सर्जन और पराली के धुओं ने देश में जहरीली हवाओं का कंबल ओढ़ लिया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, वायु प्रदूषण के परिणामस्वरूप वर्ष की शुरुआत के बाद से राज्य में 1.3 मिलियन से अधिक लोग बीमार पड़ गए हैं।

'नो डस्ट रूम' किए गए स्थापित

पिछले साल शहर के पर्यावरण में सुधार के वादे के साथ चुने गए बैंकॉक के गवर्नर चाडचार्ट सिट्टीपुंट के एक प्रवक्ता ने कहा कि अगर स्थिति और खराब होती है तो वे इसी तरह का एक और आदेश जारी करने में संकोच नहीं करेंगे। एकवरुण्यो आम्रपाला ने बताया कि शहर द्वारा संचालित नर्सरी ने छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए एयर प्यूरिफायर के साथ-साथ वाहन उत्सर्जन की निगरानी के लिए विशेष 'नो डस्ट रूम' स्थापित किए हैं।

ऑस्कर

भारत को पहली बार मिले दो अवॉर्ड

95वीं ऑस्कर सेरेमनी में पहली बार भारत को अवॉर्ड मिले हैं। फिल्म आरआरआर के गाने नाटू-नाटू ने बेस्ट ओरिजनल सॉन्ग का अवॉर्ड जीता। वहीं, द एलिफेंट व्हिस्परर्स बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म बनी। हालांकि, डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म ऑल दैट ब्रीथ्स रेस से बाहर हो गई है। ऑस्कर अवॉर्ड में इन तीन कैटेगरी में भारत को नॉमिनेशन मिला था। नाटू-नाटू को इससे पहले गोल्डन ग्लोब्स अवॉर्ड में बेस्ट ओरिजनल सॉन्ग का खिताब मिला था। ऑस्कर सेरेमनी में आरआरआर के नाटू-नाटू गाना लिखने वाले चंद्रबोस और कंपोजर एमएम कीरावानी ने ट्रॉफी ली। आरआरआर का तेलुगु में अर्थ रौद्रम रानम रुधिरम और हिंदी में राइज रोर रिवोल्ट है। बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री चुनी गई द एलिफेंट व्हिस्परर्स की डायरेक्टर कार्तिकी गोंजाल्विस और प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा ने अवॉर्ड लिया।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट कर आरआरआर और द एलिफेंट व्हिस्परर्स के मेकर्स को बधाई दी है। उन्होंने कहा-असाधारण! नाटू नाटू.... की लोकप्रियता वैश्विक है। यह एक ऐसा गाना है, जिसे आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। इस सम्मान के लिए, एमएम कीरवानी और चंद्रबोस समेत पूरी टीम को बधाई।

ऑस्कर में इस साल 'एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वन्स' का बोलबाला रहा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनने के साथ इसके लिए डेनियल क्वान तथा डेनियल स्कैनर्ट को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया और फिल्म की अदाकारा मिशेल योह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं फिल्म 'द व्हेल' के लिए ब्रेंडन फ्रेजर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। फिल्म 'एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वन्स' के लिए ही के ह्यू क्वान को सर्वश्रेष्ठ सह-अभिनेता की श्रेणी में और जेमी ली कर्टिस को सर्वश्रेष्ठ सह-अभिनेत्री की श्रेणी में पुरस्कार मिला।

ऑस्कर अवॉर्ड में इनका रहा दबदबा

सर्वश्रेष्ठ फिल्म : एवरीथिंग एवरीवेयर एट वंस, **निर्देशक** : डेनियल क्वान और डेनियल शेइनर्ट (एवरीथिंग एवरीवेयर एट वंस), **अभिनेता** : ब्रेंडन फ्रेजर, द व्हेल **अभिनेत्री** : मिशेल योह (एवरीथिंग एवरीवेयर एट वंस), **सह-अभिनेता** : के. ह्यू क्वान (एवरीथिंग एवरीवेयर एट वंस) **सह-अभिनेत्री** : जेमी ली कर्टिस (एवरीथिंग एवरीवेयर एट वंस), **अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म** : ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट (जर्मनी), **मूल पटकथा** : एवरीथिंग एवरीवेयर एट वंस, डेनियल क्वान और डेनियल स्कैनर्ट, **प्रोडक्शन डिजाइन** : ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, **सिनेमेटोग्राफी** : ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, जेम्स फ्रेंड, **कॉस्ट्यूम डिजाइनर** : ब्लैक पैंथर : वकंडा फॉरएवर, रूथ कार्टर, **फिल्म एडिटिंग** : एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, पॉल रॉजर्स, **डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म** : नवलनी, **लघु डॉक्यूमेंट्री फिल्म** : द एलिफेंट व्हिस्परर्स, **मौलिक संगीत** : ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, वोल्कर बर्टेलमैन, **मौलिक गीत** : नाटू-नाटू, आरआरआर (एम.एम. कीरावानी-संगीत, चंद्रबोस-गीत, **विजुअल इफेक्ट्स** : अवतार : द वे ऑफ वॉटर

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

स्वामी- मध्यप्रदेश माध्यम, प्रकाशक- राघवेन्द्र कुमार सिंह, मुद्रक- राघवेन्द्र कुमार सिंह द्वारा मेसर्स डी.बी. कॉर्प लिमिटेड, 10-11, सेक्टर-B, इंडस्ट्रियल एरिया, गोविंदपुरा, भोपाल से मुद्रित एवं मध्यप्रदेश माध्यम 40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011 (म.प्र.) से प्रकाशित। सम्पादक - राजीव तिवारी।